जस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 514] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 7, 2014/आश्विन 15, 1936
No. 514] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2014/ASVINA 15, 1936

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
रक्षोपाय महानिदेशालय
सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
अधिसूचना
नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2014

विषय: भारत में अनराट एल्युमिनियम के नाट अलायड इनगाट्स के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच-अंतिम निष्कर्ष।

सा. का. नि. 706(अ).—सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 तथा तत्संबंधी सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन), नियमावली, 1997 के संदर्भ में।

I. प्रक्रिया

1. सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5 के अंतर्गत मेरे समक्ष भारत में ''अनराट एल्युमिनियम के नाट अलायड इन्गाट्स'' (जिसे इसमें इसके पश्चात विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के संबंध में मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड और मैसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा अपने परामर्शदाता मैसर्स टी पी एम कंसल्टेन्ट्स के माध्यम से एक आवेदन दायर किया गया है, जिससे कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयातों के कारण हुई गंभीर क्षति/गंभीर क्षति के खतरे से विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों की रक्षा हो सके।

2. उक्त रक्षोपाय नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से आवेदक द्वारा दी गई जानकारी का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों में घटना-स्थल का दौरा करके किया गया। सत्यापन-रिपोर्ट का गैर-गोपनीय पाठ पब्लिक फाइल में रख दिया गया है। इस बात से संतुष्ट हो जाने के बाद कि नियम 5 की अपेक्षाएं पूर्ण हो गई हैं, दिनांक 7 अप्रैल, 2014 को सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के अंतर्गत भारत में अनराट एल्युमिनियम के नाट अलायड इन्गाट्स के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच की शुरूआत का नोटिस जारी तथा उक्त तारीख को ही भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया।

3. सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 (2) और 6 (3) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के गैर-गोपनीय पाठ की प्रति सहित दिनांक 7 अप्रैल, 2014 के जांच की शुरूआत संबंधी नोटिस की प्रति केन्द्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय और संबंधित मंत्रालयों, प्रमुख निर्यातक देशों की सरकारों को भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से तथा नीचे सूचीबद्ध हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गईं:

क. घरेलू उत्पादक

मैसर्स हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड और मैसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

ख. आयातक/प्रयोक्ता:-

1. एरो कैंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस नं. 104, सिटी सेंटर, सिनागॉग स्ट्रीट, पुणे कन्टोनमेंट, महाराष्ट्र
2. एलॉय टेक, प्लॉट नं. 22 ई, III मेन, क्रॉस एट्टीबेले इंडस्ट्रियल एरिया, एनेकल तालुक, बंगलोर, कर्नाटक
3. ए एल एम मेटल्स एंड अलॉय लिमिटेड, सर्वे नं. 56, एन एच 8 ए, वघासिया, वांकानेर, जिला-राजकोट, गुजरात-363621
4. आनंद इंटरप्राइजेज, सर्वे नं. 237/238, प्लॉट नं. 3, 4 और 7 बी, एन-8 बी, ग्राम वेरावल (शापर), जिला-राजकोट, गुजरात-363624
5. अन्विल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड, कृष्णा प्रथम तल, कक्ष सं. 102, 224, ए जे सी बोस रोड, कोलकाता
6. अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अपार हाउस, कॉरपोरेट पार्क, बिल्डिंग नं. 5, सियॉन ट्राम्बे रोड, चेम्बूर, मुंबई-400071
7. अर्सिल कैटालिस्ट प्राइवेट लिमिटेड, कोस्टल हाइवे पर, डाकखाना मुजीपुर, तालुका पड्रा, वडोदरा
8. अरकेमा कैटालिस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 बी, रूबी हाउस, द्वितीय तल, जे. के. सावंत मार्ग, दादर (पश्चिम)।
9. बेस मेटल केमिकल्स, 101, सिनर्जी हाउस II गोरवा, सुभानपुरा, वडोदरा-390023, गुजरात
10. बोथरा मेटल्स एंड अलोय लिमिटेड, बोथरा हाउस, कक्ष सं. 15, तीसरा तल, 5 एसेम्बली लेन, डैडी सेथायगरी लेन, काबादेवी, मुंबई-400002, महाराष्ट्र
11. क्लासिक मेटल कॉरपोरेशन, विंग-402/403, रामजी हाउस, चौथा तल, 30, जम्बुलवाडी, कलाबादेवी रोड, मुंबई-400002
12. डेल्ट्रोनिक्स इंडिया लिमिटेड, ई-3, सेक्टर 59, नोएडा- 201301
13. डायनेमिक केबल्स प्राइवेट लिमिटेड, एफ-260, रोड नं. 13, वी के आई एरिया, जयपुर
14. इलेक्ट्रोलीड पुणे प्राइवेट लिमिटेड, गेट नं. 146, ग्राम महालुंगे, चकन इंडस्ट्रियल एरिया तालखेद, जिला पुणे-410501
15. लक्ष्मी इम्पेक्स, नं. 1126, प्रथम तल, टी एन एच बी कॉलोनी, विल्लापुरम एन आर प्रेस्टीज बिल्डिंग के निकट, अवनियापुरम, मदुरई, तमिलनाडु
16. लैप-रॉस इंजीनियरिंग लिमिटेड, पुलिवलयम गांव, बनावरम डाकघर, शोलिंगहूर, वेल्लोर जिला, रानीपेट-632505, तमिलनाडु
17. मैत्री इम्पेक्स, ऑफिस नं. 905, श्री गुरुकृपा टॉवर, सुभाष रोड, मोटी टंकी चौक, राजकोट-360001
18. मनकसिया लिमिटेड (पूर्ववर्ती हिन्दुस्तान सील्स लिमिटेड), बीकानेर बिल्डिंग, 8/1, लाल बाजार स्ट्रीट, तीसरा तल, कोलकाता-700001
19. मेट ट्रेड (इंडिया) लिमिटेड, 138-139, मेन रोड, गाजीपुर, दिल्ली-110096
20. आइमैक अलॉय कास्टिंग, नं. 4-6, माधावरम हाई रोड, सेमबियम, चेन्नई-600011, तमिलनाडु
21. आई एस एम टी लिमिटेड, लुन्काड टॉवर्स, विमान नगर, पुणे-14
22. जे एस के इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 9, ए. के. नायक मार्ग, सी एस टी (वी टी), मुंबई
23. कटारिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 34-44 इंडस्ट्रियल एस्टेट, रतलाम, मध्य प्रदेश
24. केविन इम्पैक्स, 9, 86-मापला वाडी, रोशन बेकरी के पीछे, लव लेन, मजगांव, मुंबई-400010 महाराष्ट्र

25. ओमाल्को एक्स्ट्रसन प्राइवेट लिमिटेड, बी/4 पुष्पा कॉम्प्लैक्स, डी बी गुप्ता रोड, पहाड़गंज, दिल्ली।

26. पारागांव इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जाकिर कॉलोनी, हापुड़ रोड, एल ब्लॉक के सामने, मेरठ-250004, उत्तर प्रदेश

27. पॉलीकैब वायर्स प्राइवेट लिमिटैड, प्रथम तल, हीको हाउस, 771, पंडित सतवालेकर मार्ग, माहिम (पश्चिम)

28. रानी मेटल्स, प्लॉट नं. 67, जीवन नगर, पार्ट-II, वल्लभगढ़, फरीदाबाद

29. सेज मेटल्स लिमिटेड, 346, फंक्शनल इंडस्ट्रियल एरिया, पटपड़गंज, दिल्ली-110092

30. शिवु एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज, रक्षक विहार डाकखाना, अम्बाला रोड, जगधारी, हरियाणा-135003

31. स्मिता कंडक्टर्स लिमिटेड, 1402/3, रहेजा सेंटर, नारीमन प्वाईंट, फ्री प्रेस जर्नल रोड, मुंबई महाराष्ट्र-400021

32. स्टैंडर्ड कन्ड्यूटिस प्राइवेट लिमिटेड, 2/3, अशोक चैम्बर्स, देवजी रतनसी मार्ग, मस्जिद (पूर्व), मुंबई-400009

33. स्टार एक्सपोर्टस, नं. 3 नैवल हास्पिटल रोड, पेरियामेट, चेन्नई-600003

34. स्टरलाइट टेकनालॉजिस लिमिटेड, ई-।, ई-2, ई-3, एम आई डी सी, वलुज औरंगाबाद-431136, महाराष्ट्र

35. सुनलको अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, कक्ष सं. 26, दूसरा तल, रूंगटा भवन, 94/100, फनसवाडी, मुंबई, महाराष्ट्र-400002

36. स्वास्तिक मेटल रॉलिंग मिल्स, 36, 37, हदाप्सार इंडस्ट्रियल एस्टेट, प्रवीण मसाले कंपनी के निकट, हदाप्सार, पुणे-411013

37. तितरा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, सर्वे नं. 236/1 और 237, वेयर हाउस नं. के 05 एवं के 06 (बी), ग्राम मिथी रोहा, गांधीधाम (कच्छ), पिन-370201

38. गैलेक्सी एल्युमिनियम एल एल पी, 487/1, कुपवार एम आई डी सी के निकट, प्लॉट नं. 3, कुपवाड, ताल-मिराज, सांगली, महाराष्ट्र

39. गुलब्रांडसेन टेक्नॉलिजिस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 405, सिनर्जी स्कवायर, कृष्णा इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोरवा, वडोदरा, गुजरात-390003

40. हिना मेटल प्राइवेट लिमिटेड नं. 117, कीका स्ट्रीट गुलालवाडी, मुंबई-400004, महाराष्ट्र

41. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेन्चूरी भवन, तीसरा तल, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई-400030

42. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, नं. 15/1, कुब्बॉन रोड, बंगलोर, कर्नाटक

43. हिन्दुस्तान विद्युत प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कंचनजंगा, सातवां तल, 18, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली

44. जे एस डब्ल्यू स्टील लिमिटेड, जे एस डब्ल्यू-डॉल्वी वर्क्स, दि इन्क्लेव, पांचवां तल, मराठा उद्योग भवन के पीछे, न्यू प्रभादेवी रोड, प्रभादेवी, मुंबई-400025

45. जे एस डब्ल्यू स्टील लिमिटेड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई-400051

46. मैसर्स जिंदल एल्युमिनियम लिमिटेड, बंगलोर

ग. निर्यातक

1. यूनाइटेड कंपनी ऑफ रूसल, 13/1, निकोलायामस्का स्ट्रीट, मास्को, 109240, रूस
2. एल्युमिनियम बहरीन, पी ओ बॉक्स 570, किंगडम ऑफ बहरीन
3. दुबई एल्युमिनियम कंपनी, पी ओ बॉक्स 3627, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
4. रियो टिंटो हेड ऑफिस 120 कॉलिन्स स्ट्रीट, मेलबर्न, आस्ट्रेलिया 3000
5. सोहार एल्युमिनियम, सोहार इंडस्ट्रियल एस्टेट, सोहार, सल्तनेट ऑफ ओमान
6. ईमाल, एमिरेट्स एल्युमिनियम, पी ओ बॉक्स 111023, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
7. एल्कोवा एल्कोवा ग्लोबल सेंटर, 390 पार्क एवेन्यू, न्यूयार्क, एन वाई 10022, संयुक्त राज्य अमेरिका
8. एल्युमिनियम कारपोरेशन ऑफ चाइना, नं. 62 शीजिमेन नॉर्थ एवेन्यू हैदियान डिस्ट्रिक्ट, बीजिंग, बेज 100082, चीन

9. नार्कस्क हाइड्रो, ड्रैम्मेन्सिवीन 260, नं. 0283, ओस्लो, नार्वे
10. बी एच पी बिलीटन लिमिटेड, थर्ड फ्लोर, 6 हालर्ड स्ट्रीट, जोहान्सबर्ग, गांवटेंग, दक्षिण अफ्रीका
11. कतर एल्युमिनियम लिमिटेड, (क्यू. एस. सी), पी ओ बॉक्स 23086, मेसईद इंडस्ट्रियल सिटी, कतर

घ. निर्यातक राष्ट्र

1. सल्तनेट ऑफ ओमान का दूतावास, नई दिल्ली
2. संयुक्त अरब अमीरात का दूतावास, मिनिस्ट्री आफ इकोनॉमी, नई दिल्ली
3. दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग, नई दिल्ली
4. मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ रसियन फेडरेशन, नई दिल्ली
5. यूरोपियन यूनियन, डेलीगेशन टू इंडिया, नई दिल्ली

4. उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इस अनुरोध के साथ प्रश्नावलियां भेजी गईं कि वे जांच की शुरूआत संबंधी नोटिस के 30 दिनांक के भीतर लिखित में अपनी राय से अवगत कराएं। निम्नलिखित पक्षकारों से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए:-

क) मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी
ख) मैसर्स अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ग) मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ रसियन फेडरेशन
घ) मैसर्स सेन्चुरी मेटल रिसाइकिलिंग प्राइवेट लिमिटेड
ङ) मैसर्स सुनालको अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
च) अल्कोवा इंक का प्रतिनिधित्व कर रहा सुरी एंड सुरी लॉ ऑफिस
छ) मैसर्स एल्युमिनियम बहरीन, बी एस सी का प्रतिनिधित्व कर रहा मैसर्स ई एल पी
ज) संयुक्त राज्य अमीरात का दूतावास
झ) मैसर्स जे एस के इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
ञ) मैसर्स स्मिता कंडक्टर्स लिमिटेड
ट) सल्तनेट ऑफ ओमान, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
ठ) मैसर्स पॉलीकैब वायर्स

5. (क) निम्नलिखित पक्षकारों से उन्हें हितबद्ध पक्षकार के रूप में विचार किए जाने के अनुरोध प्राप्त हुए:-

क) यूरोपियन यूनियन, डेलीगेशन टू इंडिया
ख) मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड ऑफ दि रसियन फेडरेशन
ग) मैसर्स जिंदल एल्युमिनियम लिमिटेड
घ) आंध्र प्रदेश की मैसर्स एल्युमिनियम एक्सटूडर्स एसोसिएशन
ङ) मैसर्स भोरूका एक्सटूसन प्राइवेट लिमिटेड
च) सी ए सी एम ए आई का प्रतिनिधित्व कर रहा एथेना लॉज एसोसिएट्स
छ) मैसर्स के ई आई इंडस्ट्रीज
ज) आस्ट्रेलियाई उच्चायोग
झ) मैसर्स राविन केबल्स लिमिटेड
ञ) मैसर्स फिनोलैक्स केबल्स लिमिटेड
ट) एल्युमिनियम एक्सट्रडर्स काउंसिल (एलेक्स)
ठ) इंडियन इलैक्ट्रीकल एंड इलैक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (आई ई ई एम ए)

सभी अनुरोध स्वीकार कर लिए गए।

ख. निम्नलिखित पक्षकारों ने रक्षोपाय शुल्क नियमावली, 1997 के नियम 6 (4) के अनुसार विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करने के लिए और समय की मांग की:-

क) मैसर्स एल्युमिनियम बहरीन

ख) मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, संयुक्त अरब अमीरात

ग) मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सल्तनेट ऑफ ओमान

छ) मैसर्स के ई आई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

ड.) आस्ट्रेलियाई उच्चायोग

च) मैसर्स राविन केबल्स लिमिटेड

छ) मैसर्स फिनोलैक्स केबल्स लिमिटेड

प्रत्येक मामले में दिनांक **30.06.2014** तक समय बढ़ाए जाने की अनुमति प्रदान की गई।

II. हितबद्ध पक्षकारों की राय (जांच की शुरूआत के पश्चात)

6. निम्निलिखित आयातकों/निर्यातकों/निर्यातक राष्ट्रों से जांच की शुरूआत संबंधी नोटिस के प्रत्युत्तर प्राप्त हुए:-

1) आंध्र प्रदेश की मैसर्स एल्युमिनियम एक्सट्रूडर्स एसोसिएशन
2) मैसर्स भोरूका एक्सट्रशन प्राइवेट लिमिटेड
3) सी ए सी एम ए आई का प्रतिनिधित्व कर रहा एथेना लॉ एसोसिएट्स
4) मैसर्स के ई आई इंडस्ट्रीज
5) मैसर्स राविन केबल्स लिमिटेड
6) मैसर्स फिनोलैक्स केबल्स लिमिटेड
7) एल्युमिनियम एक्सट्रूडर्स काउंसिल (एलेक्स)
8) इंडियन इलेक्ट्रीकल एंड इलैक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (आई ई ई एम ए)
9) मैसर्स अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड
10) मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ रसियन फेडरेशन
11) मैसर्स सेंचुरी मेटल रिसाइकिलिंग प्राइवेट लिमिटेड
12) मैसर्स सुनालको अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
13) अल्कोवा इंक का प्रतिनिधित्व कर रहा सुरी एंड सुरी लॉ आफिस
14) मैसर्स एल्युमिनियम बहरीन, बी एस सी का प्रतिनिधित्व कर रहा मैसर्स ई एल पी
15) मैसर्स जे एस के इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
16) मैसर्स स्मिता कन्डक्टर्स लिमिटेड
17) मैसर्स पॉलीकैब वायर्स
18) मैसर्स जिंदल एल्युमिनियम लिमिटेड
19) सल्तनेट ऑफ ओमान, मिनिस्ट्री ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
20) यूरोपियन यूनियन, डेलीगेशन टू इंडिया
21) संयुक्त अरब अमीरात का दूतावास
22) आस्ट्रेलियाई उच्चायोग

उचित निर्धारण करते समय हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त की गई राय को ध्यान में रखा गया है। प्राप्त अथवा अर्जित गैर-गोपनीय सूचना पब्लिक फाइल में रख दी गई है।

7. घरेलू उद्योग द्वारा व्यक्त की गई राय

i. हाल की अवधि में बहुत अधिक तेजी के साथ विचाराधीन उत्पाद के आयातों में कुछ समय में अचानक, तेज और उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है।

ii. क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन तथा खपत के संबंध में आयात में भी बढ़ोतरी हुई है।

iii. घरेलू उद्योग की बाजार में हिस्सेदारी में क्षति की अवधि के दौरान उल्लेखनीय कमी आई है तथा आयातों की बाजार में हिस्सेदारी बढ़ी है।

iv. आयात में वृद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

- पूरे विश्व में उत्पादकों के पास अपनी घरेलू मांग की तुलना में अधिक क्षमता मौजूद है।
- भारतीय बाजार अधिक विकास की संभावनाओं से युक्त एक बड़ा बाजार है।
- मध्य-पूर्व के देशों के पास अतिरिक्त (सरप्लस) क्षमता मौजूद है।
- विदेशी उत्पादकों की अनुकूल परिस्थितियां

क. ऊर्जा की सस्ती लागत

- मालभाड़े की दृष्टि से भारत एक उपयुक्त बाजार है

v. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में कमी और फिर वृद्धि हुई। परंतु मांग में वृद्धि के बावजूद चालू वर्ष में होने वाला उत्पादन वर्ष 2010-11 में हुए उत्पादन की तुलना में अभी भी कम है।

vi. हाल की अवधि में बिक्री में उल्लेखनीय कमी आई है तथा इसके साथ-साथ इस अवधि में आयातों में वृद्धि हुई है।

vii. रोजगार के स्तर में मामूली कमी आई है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट आई है।

viii. अवधि के दौरान कर से पूर्व लाभ प्रदायकता और घरेलू उद्योग के निवेश पर लाभ में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है।

ix. घरेलू और आयातित उत्पाद के मूल्य में काफी अंतर है।

x. विदेशी उत्पादक के पास उल्लेखनीय रूप से अप्रयुक्त क्षमताएं मौजूद हैं। इसके परिणामस्वरूप विदेशी उत्पादक जहां तक संभव है अतिरिक्त बाजारों की तलाश कर रहे हैं।

xi. आयातों की मात्रा में अपेक्षाकृत कम समय में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है।

xii. घरेलू बाजार में आयातों द्वारा एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है और यह हिस्सेदारी बढ़ ही रही है।

xiii. विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में तेजी से हुई गिरावट को देखते हुए चार वर्ष के लिए 10 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किए जाने का अनुरोध किया जाता है।

8. **आंध्र प्रदेश की एल्युमिनियम एक्सट्रूडर्स एसोसिएशन (ए एल ई एक्स टी ए) द्वारा व्यक्त की गई राय**

i. प्राथमिक उत्पादक, एल एम ई (लंदन धातु विनिमय) दर, अंतरराष्ट्रीय अधिमूल्य, विनिमय दर तथा आयात पर शुल्क को ध्यान में रखते हुए एल्युमिनियम धातु का मूल्य तय कर रहे हैं। भारतीय उत्पादक अधिक अधिमूल्य की मांग कर रहे हैं तथा घरेलू उपभोक्ताओं तक माल की ढुलाई पर उनका कुछ भी व्यय नहीं होता। उनके पास पहले से विद्यमान 5 प्रतिशत सीमा शुल्क का कवच मौजूद है।

ii. प्राथमिक उत्पादक बड़ी मात्रा में अपनी क्षमता का लगभग 30-40 प्रतिशत उत्पादक निर्यात कर रहे हैं और देश में कृत्रिम कमी की स्थिति पैदा कर रहे हैं।

iii. यदि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तब प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादक घरेलू बाजार के लिए अपने उत्पादों का मूल्य तय करते समय उक्त को भी ध्यान में रखेंगे। आयात तब भी जारी रहेगा क्योंकि घरेलू मूल्य, आयात के समान होगा। इससे केवल प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादकों को और अतिरिक्त लाभ होगा तथा इससे भारत के डाउनस्ट्रीट उद्योग तथा उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा।

iv. घरेलू बाजार में तैयार एल्युमिनियम उत्पादों का मूल्य, अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य की तुलना में अधिक होगा। इससे तैयार अलाभकारी और अन्तोगत्वा डाउनस्ट्रीट उद्योग बंद हो जाएंगे जिससे कि देश में रोजगार और राजस्व सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

v. रक्षोपाय शुल्क से डाउनस्ट्रीट उत्पादों के विनिर्माताओं की निर्भरता बढेगी और व्यापार एवं अर्थव्यवस्था का वृहद हित प्रभावित होगा। इससे हजारों डाउनस्ट्रीट उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

9. सुनालको अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड की राय

i. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में कमी आयातों के कारण नहीं है और उत्पादन लागत में अधिक वृद्धि होने के कारण हानि नहीं हो रही है बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में एल एम ई मूल्यों में कमी के कारण से है।

ii. किसी प्रकार के शुल्क लगाए जाने से लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों तथा रोजगार पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

iii. लाभ प्रदायकता में कमी और हानि, उक्त कंपनियों के विस्तार, अत्यधिक विस्तार और आंतरिक पुनर्गठन के कारण से है।

iv. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

v. यदि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तब स्थानीय आयातक के लिए उत्पादन की लागत बढ़ेगी जिससे कि अंतरराष्ट्रीय विक्रेताओं से प्रतिस्पर्धा कर पाना उनके लिए कठिन होगा।

vi. रक्षोपाय शुल्क उपभोक्ता क्षेत्र और सार्वजनिक हित में नहीं है।

vii. यदि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तब इसे निम्नलिखित पर भी लागू किया जाना चाहिए।

- सेकेन्ड्री एल्युमिनियम अलॉयज और रि-मेल्टेड एल्युमिनियम इन्गाट्स के आयात पर भी।
- एफ टी ए में भी एल्युमिनियम स्क्रैप की कच्ची सामग्री पर वर्तमान में लगने वाले शुल्क अर्थात् 2.5 प्रतिशत के बराबर रक्षोपाय शुल्क लगाया जाए।

10. जिंदल एल्युमिनियम लिमिटेड द्वारा व्यक्त की गई राय

(i) उत्पादन से संबंधित आंकड़े झूठे हैं।

(ii) यह दावा कि आवेदक उल्लेखनीय अप्रयुक्त क्षमताओं के साथ कार्य कर रहे हैं, सही नहीं है।

(iii) ऐसे किसी उद्योग को गंभीर क्षति होने का कोई आधार नहीं है जो अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिक कार्य कर रहा हो। केवल हिंडाल्को, जो एक प्रमुख उत्पादक है, उच्च ब्याज लागत, कोयले की कमी तथा कोयल के खानों के आबंटन से संबंधित सी बी आई जांच से प्रभावित है।

(iv) एक अग्रणी उत्पादन नाल्को याचिका में घरेलू उद्योग के साथ शामिल नहीं हुआ है।

(v) एल्युमिनियम का घरेलू मूल्य अत्यधिक ऊंचा है और अंतरराष्ट्रीय मूल्य की तुलना में अधिक है।

(vi) घरेलू उद्योग का बड़ी ही तेज गति से विस्तार हो रहा है और एल्युमिनियम संबंधी क्षमता के अनुरूप अपना और विस्तार कर रहा है।

(vii) कंपनी विश्व की किसी भी एल्युमिनियम कंपनी से मुकाबला कर सकती है और अपने उपभोक्ता उद्योग की कीमत पर केवल अत्यधिक लाभ कमाना चाहती है। तथापि घरेलू उद्योग ने जिस हानि का दावा किया है वह मुख्यत: सरकार से बाक्साइट खानें प्राप्त न होने तथा अपने अनियोजित तथा भारी पूंजीगत व्ययों पर अत्यधिक ब्याज के बोझ के कारण से है। कंपनी को देश में इन्गाट्स के आयातों के कारण कोई नुकसान नहीं हो रहा है।

(viii) मध्य पूर्व से होने वाला आयात सस्ता नहीं है जैसा कि याचिकार्ताओं ने दावा किया है।

(ix) द्वितीयक एल्युमिनियम विनिर्माताओं तथा प्रोसेसरों द्वारा किया जाने वाला एल्युमिनियम का अधिकांश आयात मुख्यत: उनके निर्यात संबंधी हकदारियों के कारण है।

(x) यदि उत्पादन के सही आंकड़ों पर विचार तथा उनकी तुलना आयात संबंधी आंकड़ों से की जाए तब आयात भारतीय उत्पादन का केवल 14.02 प्रतिशत बैठता है। आयात में वृद्धि, घरेलू उत्पादकों के लिए एक प्रतिकूल मूल्य निर्धारण नीति के कारण से है जिसके फलत: उपभोक्ता को मौजूदा एल एम ई की तुलना में अधिक मूल्य का भुगतान करना पड़ता है।

(xi) उद्योग में कर्मचारियों की कटौती, कोई अप्रयुक्त क्षमता होने के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लाभ में असामान्य गिरावट को खतरा नहीं समझा जाना चाहिए और लोगों की कीमत पर और ज्यादा लाभ कमाने के लिए रक्षोपाय शुल्क का अतिरिक्त कवच प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

(xii) रक्षोपाय शुल्क अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होगा क्योंकि इससे सभी एल्युमिनियम उत्पादों की लागत बढ़ेगी तथा इससे अवसंरचना, ऑटोमोबाइल आदि सहित अर्थव्यस्था के सभी क्षेत्रों में मांग प्रभावित होगी।

(xiii) कोई क्षति नहीं हुई है, आंकड़े भ्रामक हैं, उत्पादन में वृद्धि हुई है, लाभ का स्तर यथावत बना हुआ है, हो सकता है यह कम हो और रोजगार की कोई क्षति नहीं हुई है।

11. भोरूका एक्सट्रूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा व्यक्त की गई राय

(i) याचिकाकर्ता अपनी गलाने संबंधी क्षमता का अधिकतर उपयोग मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए कर रहा है ताकि ज्यादा लाभ कमाया जा सके। वे वायर रॉड, रॉल्ड उत्पाद-फाइल, अलाय इन्गाट्स एक्सट्रूशन आदि जैसे अपने डाउनस्ट्रीम उत्पादों के अधिकाधिक उत्पादन को प्राथमिकता दे रहे हैं। उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद स्वाभाविक रूप से इन्गाट्स के उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति आएगी। भारतीय उपभोक्ताओं को आयात हेतु विवश होना पड़ता है क्योंकि इन्गाट्स की काफी कम मात्रा आवेदकों द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई जाती है।

(ii) उत्पादन के संबंध में गलत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।

(iii) उत्पादन, स्थानीय उद्योग को तरसा कर स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

(iv) हिंडाल्को उच्च ब्याज लागत, कोयले की कमी तथा उनके कोयला खदान आबंटन पर हो रही सी बी आई जांच से प्रभावित है।

(v) एक अग्रणी उत्पादन नाल्को को आयातों में वृद्धि से कोई खतरा नहीं है और वह याचिकाकर्ता कंपनियों के साथ शामिल नहीं हुआ है।

(vi) याचिकाकर्ता की मूल्य निर्धारिण प्रणाली इस प्रकार से तैयार की गई है जिससे कि डाउनस्ट्रीम एल्युमिनियम उद्योग से एक-एक पैसा चूस लिया जाए। एल्युमिनियम का घरेलू मूल्य देश में मौजूद अधिकतम विनिमय दर (एल एम ई मूल्य+मेन जापानी पत्तन लाभ+5 प्रतिशत सीमा शुल्क) +मालभाड़ा+ अन्य प्रभार पर आधारित है। जब कभी इनमें कोई परिवर्तन होता है घरेलू मूल्य बदल जाते हैं यद्यपि उत्पादन की लागत वही रहती है।

(vii) प्राथमिक उत्पादन धातु का उत्पादन उस लागत पर कर रहे हैं जो विश्व में न्यूनतम है और उसे उन दरों पर बेच रहे हैं जो विश्व में अधिकतम है।

(viii) एल्युमिनियम के मूल्यों में विश्व भर में मंदी छायी हुई है, इसके बावजूद आवेदक अच्छा लाभ कमा रहे हैं तथा अपनी क्षमताओं में निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। उनकी लाभ प्रदायकता में थोड़ी से कमी वैश्विक आर्थिक मंदी, ब्याज के अधिक बोझ के कारण है।

12. केबल एंड कंडक्टर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सी ए सी एम ए आई) द्वारा व्यक्त की गई राय

(i) रक्षोपाय वैसे असाधारण उपाय हैं जो केवल आपात परिस्थितियों में ही किए जाने चाहिएं। ये उस प्रकार के उपाय हैं जो अनुचित व्यापार प्रणाली में किसी आरोप के अभाव में आयात संबंधी प्रतिबंधों के रूप में क्रियान्वित किए जाते हैं।

(ii) सामग्री का भारत में विद्यमान दर से कम मूल्य पर आयात करना सार्वजनिक हित के प्रतिकूल नहीं समझा जाना चाहिए।

(iii) याचिका, विधि के अंतर्गत रक्षोपाय शुल्क के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है।

(iv) एक घरेलू उद्योग के रूप में नाल्को का शामिल न होना।

(v) उत्पादन संबंधी आंकड़ों की गलत तुलना की गई है।

(vi) उनकी स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार, विगत तीन वर्षों के उत्पादन आंकड़े यह बताते हैं कि घरेलू उद्योग को किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है।

(vii) क्षमता की उपयोगिता को कोई क्षति नहीं पहुंची है।

(viii) कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं हुआ है।

(ix) घरेलू उद्योग की समापन मालसूची काफी कम है। दर्शाया गया आंकड़ा बेतुका है।

(x) इन्गाट की नियंत्रित खपत, इन्गाटों के निर्यात तथा एल एम ई के प्रभाव की जांच नहीं की गई है।

(xi) आयातों से न तो गंभीर क्षति हुई है और न ही इससे गंभीर क्षति होने का खतरा है।

(xii) संवर्धित आयात और क्षति के बीच औपचारिक संबंध का अभाव है।

(xiii) आंकड़ों की शुद्धता और यथेष्टता की जांच किए बिना याचिका पर कार्रवाई की गई है।

(xiv) महत्वपूर्ण परिस्थितियों के अभाव में अनंतिम रक्षोपाय शुल्क का एक पक्षीय मामला नहीं है।

(xv) एल्युमिनियम इंगाटों पर रक्षोपाय शुल्क सार्वजनिक हित में नहीं है। यदि यह जांच सिद्ध भी हो जाती है फिर भी वर्ष 1999 में फास्फोरस संबंधी मामलों को उदाहरण के तौर पर रखते हुए रक्षोपाय शुल्क न लगाया जाए। उस मामले में महानिदेशक ने गंभीर क्षति पाए जाने के बावजूद सार्वजनिक हित में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करने से मना कर दिया था।

13. मैसर्स राविन केबल्स लिमिटेड द्वारा व्यक्त की गई राय

(i) अग्रिम लाइसेंस तथा शुल्क प्रदत्त आयातों के अंतर्गत होने वाले आयातों के बारे में अलग-अलग आंकड़े नहीं दिए गए हैं। आयात संबंधी आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि इसमें अध्याय 76 के दायरे में आने वाले सभी उत्पाद शामिल कर लिए गए हैं। वास्तविक आंकड़ों के स्थान पर अनुक्रमित आंकड़े दिए गए हैं जिससे कि तुलना कर पाना ही असंभव हो जाए।

(ii) एल्युमिनियम आयातों में हुई तथाकथित वृद्धि मुख्यत: घरेलू एल्युमिनियम उत्पादकों के कारनामों और बुरे कार्यों के कारण से हुई है एवं यह अचानक नहीं हुआ है और न ही इसके पीछे अप्रत्याशित घटनाक्रम रहे हैं।

(iii) प्रतिशत के आधार पर क्षमता की उपयोगिता में कमी आयातों के कारण से नहीं बल्कि संचालन संबंधी घाटा, प्राकृतिक आपदाओं, विद्युत तथा कोयले की कमी, वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों में मंदी जैसे अनेक कारणों से हुई है।

(iv) विचाराधीन उत्पाद का निर्यात, विचाराधीन उत्पाद के आयात से कहीं अधिक है।

(v) कुछ मामलों में अंतिम आंकड़े दिए गए हैं वहीं कुछ मामलों में याचिकाकर्ताओं ने अपनी सुविधानुसार अनुक्रमित आंकड़े दिए हैं।

(vi) याचिका स्वयं पूर्ण नहीं है, प्रतिरोधी उद्योग विस्तृत उत्तर दे नहीं पाया है।

(vii) रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने संबंधी किसी भी कदम से डाउनस्ट्रीम उद्योग की व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे न केवल स्वयं एल्युमिनियम उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा अपितु रोजगार की क्षति होने के साथ-साथ भारतीय निर्यातों में जबरदस्त कमी आएगी जिससे देश के लिए विदेशी विनिमय अर्जित करने में भी नुकसान उठाना पड़ेगा।

(viii) नाल्को शामिल नहीं है। अत: याचिका पूरे घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

(ix) निर्यात संबंधी आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

(x) यद्यपि एल एम ई मूल्य गिर रहा है लेकिन घरेलू उद्योग द्वारा तय किए जा रहे मूल्यों में साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योग विचाराधीन उत्पाद का आयात करने पर विवश हो रहा है।

(xi) प्रचालन संबंधी आघात के कारण घरेलू उद्योग की आपूर्तियों में अनिश्चितता है।

(xii) घरेलू उद्योग के विचाराधीन उत्पाद की गुणवत्ता खराब है और प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक शर्तें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

(xiii) घरेलू उद्योग के आर्थिक संकेतकों में किसी भी संकेतक में गिरावट इतनी उल्लेखनीय और आपवादिक नहीं है जिससे कि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का औचित्य साबित किया जा सके।

14. सूरी एंड सूरी लॉ ऑफिस के माध्यम से अल्कोआ ईक द्वारा व्यक्त की गई राय

(i) ऐसा कोई संकेत नहीं है कि किए गए संवर्धित आयात से कोई क्षति हुई है। यह घरेलू उद्योग के इस विकल्प का स्वाभाविक परिणाम है कि उत्पादन क्षमता का उपयोग अधिक लाभ वाले मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए किया जाए।

(ii) नाल्को को शामिल करते हुए महानिदेशक क्षति संबंधी विश्लेषण करें।

(iii) घरेलू मांग में वृद्धि के अनुरूप आयातों तथा घरेलू उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी हुई है।

(iv) आवेदकों द्वारा किए गए सुनियोजित क्षमता विस्तार से घरेलू बाजार के विकास और व्यवहार्यता का पता चलता है।

(v) आवेदकों के निष्पादन संबंधी आंकड़े संवर्धित आयात की प्रमात्रा से प्रभावित नहीं हुए हैं।

(vi) घरेलू उत्पादक पहले से ही बाजार में उल्लेखनीय सुरक्षा का लाभ उठा रहे हैं।

(vii) इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि गंभीर क्षति आसन्न है और न ही होने वाली क्षति के खतरे का संबंध संवर्धित आयात की प्रमात्रा से है।

(viii) आवेदकों का क्षति संबंधी दावा कुल मिलाकर प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित है। वर्ष 2012-13 में घरेलू उद्योग की लाभ प्रदायकता में कमी आई परंतु वर्ष 2013-14 में इसमें उल्लेखनीय रूप से सुधार भी हुआ।

(ix) ऐसा कोई संकेत नहीं है कि लाभ में कमी वैश्विक मांग की परिस्थितियों की बजाय संवर्धित आयात के कारण से हुई है।

15. जे एस के इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा व्यक्त की गई राय

(i) याचिकाकर्ताओं ने इंगाट उत्पादन को कम करते हुए अधिक मूल्य वर्धित उत्पादों का ज्यादा निर्माण करने को प्राथमिकता दी है।

(ii) जांच की अवधि 2011-12 से 2013-14 में, वैश्विक मंदी से वापस होने की अवधि भी शामिल है जिसके दौरान मांग कम थी और प्रत्येक उद्योग संघर्ष कर रहा था।

(iii) भ्रामक आंकड़े

(iv) याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा प्रस्तुत इन्गाट के आयात संबंधी आंकड़े पूरे आयात के लिए हैं। आयात का एक प्रमुख हिस्सा, निर्यात प्रोत्साहन के रूप में है।

(v) अन्य महत्वपूर्ण कारणों जैसे कच्चे सामान की अनुपलब्धता से लाभ प्रदायकता प्रभावित हुई है।

16. ऑल इंडिया एल्युमिनियम एक्सट्रूडर्स काउंसिल (एलेक्स) द्वारा व्यक्त की गई राय

(i) याचिकाकर्ता अपनी गलाने संबंधी क्षमता का अधिकतर उपयोग मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए कर रहा है ताकि ज्यादा लाभ कमाया जा सके। वे अपने डाउनस्ट्रीम उत्पादों के अधिकाधिक उत्पादन को प्राथमिकता दे रहे हैं। उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद स्वाभाविक रूप से इन्गाट्स के उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति आएगी। भारतीय उपभोक्ताओं को आयात हेतु विवश होना पड़ता है क्योंकि इन्गाट्स की काफी कम मात्रा आवेदकों द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई जाती है।

(ii) उत्पादन, स्थानीय उद्योग को तरसा कर स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

(iii) हिंडाल्को उच्च ब्याज लागत, कोयले की कमी तथा उनके कोयला खदान आबंटन पर हो रही सी बी आई जांच से प्रभावित है।

(iv) एक अग्रणी उत्पादन नाल्को को आयातों में वृद्धि से कोई खतरा नहीं है और वह याचिकाकर्ता कंपनियों के साथ शामिल नहीं हुआ है।

(v) एल्युमिनियम का घरेलू मूल्य देश में मौजूद अधिकतम विनिमय दर (एल एम ई मूल्य+ मेन जापानी पत्तन लाभ+ 5 प्रतिशत सीमा शुल्क) + मालभाड़ा अन्य प्रभार पर आधारित है। जब कभी इनमें कोई परिवर्तन होता है घरेलू मूल्य बदल जाते हैं यद्यपि उत्पादन की लागत वही रहती है।

(vi) प्राथमिक उत्पादक धातु का उत्पादन उस लागत पर कर रहे हैं जो विश्व में न्यूनतम है और उसे उन दरों पर बेच रहे हैं जो विश्व में अधिकतम है। वे अंतरराष्ट्रीय दरों से अधिक मूल्यों पर बेच पाने में सफल हो रहे हैं।

(vii) एल्युमिनियम के मूल्यों में विश्व भर में मंदी छायी हुई है, इसके बावजूद आवेदक अच्छा लाभ कमा रहे हैं तथा अपनी क्षमताओं में निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। उनकी लाभ प्रदायकता में थोड़ी सी कमी वैश्विक आर्थिक मंदी, ब्याज के अधिक बोझ के कारण है।

(viii) नाल्को के वित्तीय नतीजे यह बताते हैं कि आयातों में तथाकथित बढ़ोतरी के बावजूद चालू वर्ष में नाल्को का लाभ वैश्विक आर्थिक मंदी की स्थिति तथा धातु के निम्नतर मूल्य के होते हुए भी बेहतर रहेगा। एल एम ई मूल्यों में गिरावट की क्षतिपूर्ति विगत दो वर्षों में 20 प्रतिशत से अधिक रुपये में गिरावट से हो गई है।

(ix) मध्य पूर्व में उत्पादन की लागत कम नहीं है जैसा कि दावा किया गया है।

(x) अधिकांश आयात, निर्यात हकदारियों के रूप में है।

(xi) उत्पादन संबंधी आंकड़े गलत दिए गए हैं।

(xii) यह आरोप लगाया गया है कि आवेदकों को अपनी मालसूची के परिसमापन हेतु निर्यात करने पर विवश किया जा रहा है। तथ्य यह है कि सभी आवेदक एक दीर्घकालिक सुनियोजित रणनीति के तहत विभिन्न कारणों:अपनी निर्यात संबंधी बाध्यता को पूरा करने, विदेशों में स्थित अपनी सहायक कंपनियों को माल भेजने, उनकी मुद्रा प्राप्त करने का अवसर भुनाने के लिए निर्यात कर रहे हैं। निर्यात से उन्हें बेहतर लाभ प्राप्त हो रहा है।

(xiii) गलाने की पूरी क्षमता को सामने रखना तथा केवल कुछ उत्पादों का उत्पादन दिखाना, समग्र रूप से तथ्यों को गलत प्रकार से दर्शाना है।

(xiv) कई जगहों पर अनुक्रमित आंकड़े दिखाकर आंकड़ों को छिपाया, जोड़ा-तोड़ा तथा गलत दिखाया गया है।

(xv) आवेदक के संयंत्रों में रोजगार की कोई हानि नहीं हुई है।

(xvi) वर्ष 2010-11 की तुलना में घरेलू उद्योग की लाभ प्रदायकता थोड़ी सी प्रभावित हुई है जो वैश्विक मंदी के कारण से है न कि आयातों में आई तेजी से।

(xvii) रक्षोपाय शुल्क से सभी एल्युमिनियम उत्पादों की लागत में वृद्धि होगी तथा इससे अवसंरचना, ऑटोमोबाइल आदि सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में मांग पर प्रभाव पड़ेगा।

17. सेन्चुरी एक्सट्रूशन्स लिमिटेड द्वारा व्यक्त की गई राय (दी गई राय ऊपर एलेक्स द्वारा बिंदु-वार दी गई राय के समान है)

18. आई ई ई एम ए द्वारा व्यक्त की गई राय (दी गई राय ऊपर एलेक्स द्वारा बिंदु-वार दी गई राय के समान है)

19. स्मिता कन्डक्टर्स लिमिटेड द्वारा व्यक्त की गई राय (दी गई राय ऊपर एलेक्स द्वारा बिंदु-वार दी गई राय के समान है)

20. के ई आई इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा व्यक्त की गई राय (दी गई राय ऊपर एलेक्स द्वारा बिंदु-वार दी गई राय के समान है)

21. फिनोलैक्स केबल्स लिमिटेड द्वारा व्यक्त की गई राय (दी गई राय ऊपर एलेक्स द्वारा बिंदु-वार दी गई राय के समान है)

22. संयुक्त अरब अमीरात, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी द्वारा व्यक्त की गई राय

(i) जांच की अवधि के दौरान संयुक्त अरब अमीरात से विचाराधीन उत्पाद के आयात से संबंधित आंकड़ा त्रुटिपूर्ण है और संभवत: भारत में संयुक्त अरब अमीरात से आयात होने वाले एल्युमिनियिम मदों के गलत वर्गीकरण, विशेषकर समान प्रशुल्क वर्गीकरण (76011010) के तहत बिलेट और फौन्डरी की एल्युमिनियम मदों के शामिल होने के कारण बढा-चढ़ाकर दर्शाया गया है। जांच की शुरूआत गलत की गई है।

(ii) कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं हुआ है।

(iii) कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात में तथाकथित बढ़ोतरी से आवेदकों को गंभीर क्षति हुई है तथा गंभीर क्षति होने का खतरा है।

(iv) संवर्धित आयात तथा तथाकथित गंभीर क्षति के बीच कोई औपचारिक संबंध नहीं है। आवेदकों को तथाकथित क्षति, जांच की अवधि के दौरान वैश्विक प्रवृत्तियों तथा एल एम ई मूल्य में गिरावट के कारण हुई है।

23. अपार इंडस्ट्रीज द्वारा व्यक्त की गई राय

(i) नाल्को शामिल नहीं हुआ है। दायर याचिका पूरे घरेलूउद्योग का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

(ii) आयातों में वृद्धि की क्षतिपूर्ति निर्यात में बढ़ोतरी से हुई है।

(iii) आवेदकों के आर्थिक निष्पादन के लिए वैश्विक प्रवृत्तियां, एल एम ई मूल्य, ऊर्जा लागत जैसे अन्य कारण उत्तरदायी हैं।

(iv) कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है।

(v) तथाकथित आर्थिक निष्पादन, गलत आंकड़ों से सिद्ध किया गया है और यदि जांच के लिए सटीक आंकड़ा और हाल के आंकड़े लिए गए होते तो रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का कोई औचित्य ही नहीं होता।

24. आस्ट्रेलियाई उच्चायोग द्वारा व्यक्त की गई राय

(i) उत्पाद के दायरे के संबंध में और जांच तथा स्पष्टता की आवश्यकता है।

(ii) भारत का दूसरा सबसे बड़ा घरेलू उत्पादक नाल्को इस याचिका का समर्थन नहीं कर रहा है। इस जांच में नाल्को को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। चूंकि नाल्को शामिल नहीं है तो क्या शेष उत्पादक घरेलू उद्योग की अपेक्षाएं पूरी करते हैं।

(iii) इस बात का आकलन करने के लिए क्या संवर्धित आयात डब्ल्यू टी ओ रक्षोपाय समझौते के अनुच्छेद 2.1 की संवर्धित आयात अपेक्षा पूरी करता है, आयात की मध्यावधि प्रवृत्ति पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए।

(iv) याचिका में दिए गए आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं।

(v) याचिका में 'घरेलू उद्योग' तथा 'घरेलू उत्पादन' का प्रयोग हमेशा केवल याचिकाकर्ताओं के संदर्भ में नहीं किया गया है जिससे भ्रम पैदा होता है।

(vi) आयातों में वृद्धि हुई है परंतु इसी अनुपात में संवर्धित आयात के साथ घरेलू उद्योग की बाजार में हिस्सेदारी बढ़ी है।

(vii) याचिकाकर्ताओं की संयुक्त बाजार हिस्सेदारी वस्तुत: नाल्को की बाजार में हिस्सेदारी की तुलना में बढ़ रही है। आयातों की बाजार में हिस्सेदारी की प्रतिशतता, याचिकाकर्ताओं की बाजार में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी के अनुरूप प्रतीत होती है।

(viii) कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं हुआ है।

(ix) 'अन्य कारणों' जिससे क्षति हो सकती है, की जांच की जानी चाहिए।

(x) कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है या गंभीर क्षति होने का खतरा नहीं है क्योंकि पिछले वर्षों के दौरान प्रतिष्ठापित क्षमता में सतत रूप से वृद्धि हुई है।

III. आम सुनवाई

25. दिनांक 3 जुलाई, 2014 को आम सुनवाई हुई जिसकी सूचना दिनांक 17 जून, 2014 को हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई थी। उक्त सार्वजनिक सुनवाई में घरेलू उद्योग, मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटैड, मैसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड और मैसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के साथ-साथ निम्नलिखित पक्षकारों ने हिस्सा लिया:-

निर्यातक राष्ट्र

i. आस्ट्रेलियाई उच्चायोग

ii. ट्रेड एंड इकोनॉमी सेक्शन, डेलीगेशन ऑफ दि यूरोपियन यूनियन टू इंडिया

iii. सल्तनेट ऑफ ओमान का दूतावास

iv. रूसी परिसंघ

v. संयुक्त अरब अमीरात का दूतावास

vi. किंगडम ऑफ बहरीन

vii. मलेशियाई उच्चायोग

निर्यातक

1. मैसर्स एल्युमिनियम बहरीन
2. मैसर्स रियो टिन्टो, आस्ट्रेलिया

आयातक/आयातक एसोसिएशन

1. मैसर्स अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड
2. मैसर्स भोरूका एक्सट्रूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3. केबल एंड कन्डक्टर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा एथेना लॉ एसोसिएट्स
4. हिन्दुस्तान विद्युत प्रोडक्ट्स लिमिटेड

5. आई ई ई एम ए
6. मैसर्स जिंदल एल्युमिनियम लिमिटेड
7. मैसर्स जे एस के इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
8. मैसर्स राविन केबल्स लिमिटेड
9. मैसर्स स्मिता कन्डक्टर्स लिमिटेड
10. मैसर्स स्टरलाइट टेक्नॉलॉजिकल लिमिटेड
11. पोलीकैब वायर्स (प्रा.) लिमिटेड
12. सेंचुरी एक्सट्रूशंस
13. एल्युमिनियम एक्सट्रूडर्स काउंसिल
14. मैसर्स इंडो अलॉयज इंडस लिमिटेड
15. सुडाल इंडसट्रीज लिमिटेड
16. अलोम एक्सट्रूशंस लिमिटेड

26. जन सुनवाई में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से अपेक्षित है कि वे सीमा शुल्क (रक्षोपाय ड्यूटी की पहचान एवं निर्धारण) नियमावली, 1997 के नियम 6 के उपनियम (6) के अनुसार मौखिक रूप से रखे गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। उसके बाद, हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत लिखित दस्तावेजों की प्रति घरेलू उद्योग सहित सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाती है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित दस्तावेजों के लिए रिज्वाइंडर, यदि कोई हो, दायर करने का भी अवसर दिया जाता है। दिनांक 3 जुलाई, 2014 को इस मामले में जन सुनवाई के क्रम में घरेलू उद्योग ने मौखिक अनुरोध और उसके बाद लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए। जन सुनवाई में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया कि वे सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय डयूटी की पहचान एवं निर्धारण नियमावली, 1997 के नियम 6 के उपनियम (6) के अनुसार मौखिक रूप से रखे गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित अनुरोधों की प्रतियां सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गईं। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित अनुरोधों के लिए रिज्वाइंडर, यदि कोई हो, दायर करने के लिए भी अवसर दिया गया।

27. तदनुसार, आरंभ उपरांत एवं सुनवाई उपरांत लिखित अनुरोधों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त सभी विचारों की जांच की गई और समुचित अवधारणा करने में इनको ध्यान में रखा गया।

IV. हितबद्ध पक्षकारों के विचार (सुनवाई उपरांत)

28. मैसर्स टीपीएम कंसल्टेंट के माध्यम से घरेलू उद्योग के विचार

घरेलू उद्योग का अनुरोध निम्नवत था :

(क) भारत में वस्तुओं के आयात में वृद्धि :

1. नुकसान (इंज्यूटी) की पूरी अवधि में पीयूसी के आयातों में वृद्धि हुई है, आयातों के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आयातों में वृद्धि की विद्यमानता को दर्शाने वाले समग्र रूझान को पलटने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। पीयूसी के आयातों में पूर्ण एवं सापेक्ष दोनों संदर्भों में तेजी से वृद्धि होने का पता चला है।

(ख) अप्रत्याशित परिस्थितियां :

डीआई ने निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किए हैं जो उनकी समझ के अनुसार मौजूदा मामले में अप्रत्याशित परिस्थितियां हैं :

(i) विचाराधीन उत्पाद के आयातों में विगत की अवधि में काफी वृद्धि हुई है। डीआई ने यह बताया है कि आयाता किए जा रहे अधिकांश धातु मध्य पूर्व मूल के हैं। आयातों में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से है :

(ii) मध्य पूर्व शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यात बन गया।

(iii) मध्य पूर्वी देशों में मांग एवं आपूर्ति के बीच काफी अंतराल क्योंकि आयात पर चीन की निर्भरता घटी है (जो मध्य पूर्व देशों के लिए लक्ष्य बाजार है)।

(iv) भारतीय बाजार काफी कड़ा है जिसमें अधिक वृद्धि की संभावना का उपयोग अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए किया गया है।

(v) विदेशी उत्पादकों के साथ लाभ :

(a) सस्ती ऊर्जा लागत

(b) भारत भाड़ा हितैषी बाजार है।

(ग) घरेलू उद्योग के लिए नुकसान

क. पीयूसी के आयात में पूर्ण संदर्भ में और भारत में अनुपात एवं उपयोग के संबंध में काफी वृद्धि हुई है।

ख. नुकसान की अवधि में पीयूसी के लिए समग्र मांग में हाल की अवधि में कमी आई है और आयात में वृद्धि से घरेलू उद्योग का नुकसान बढ़ा है।

ग. घरेलू उद्योग का उत्पादन नहीं घटा है क्योंकि डीआई ने उत्पादन को अधिकतम करने की नीति को अपनाया है।

घ. डीआई का क्षमता उपयोग नहीं घटा है।

ङ. इस अविध में आयातों में वृद्धि होने से चालू वर्ष में घरेलू बिक्रियों में काफी कमी आई है।

च. घरेलू बिक्रियों में कमी मांग में कमी से काफी अधिक है।

छ. उत्पादन के परिसमापनप के लिए डीआई हेतु बाध्यता के कारण निर्यात बढ़ा है।

ज. आयातों का बिक्री मूल्य निम्नलिखित से कम है :

(i) घरेलू उद्योग का बिक्री मूल्य

(ii) घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत

झ. लाभप्रदता में तेजी से कमी आई है।

ञ. निवेश पर रिटर्न काफी कम हुआ है।

ट. रोजगार के स्तर में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

ठ. बजार शुल्क बिक्री मात्रा मे गिरावट उत्पादन मे वृद्धि की तुलना मे बहुत अधिक है।

(घ) गंभीर नुकसान का खतरा :

(क) घरेलू एंव आयातित उत्पाद के बीच मूल्य अंतर काफी अधिक है।

(ख) विदेशी उत्पाद के पास काफी अप्रयुक्त क्षमता है। परिणामस्वरूप, विदेशी उत्पादक यथासंभव अधिक से अधिक अतिरिक्त बाजार की तलाश कर रहे हैं।

(ग) एल्युमीनियम इन्गॉट्स के लिए प्रमुख चाइनीज बाजार मध्यपूर्व देशों के निर्यातोन्मुख उत्पादनकर्ताओं के लिए कम हो गया है, जबकि भारतीय बाजार काफी सुदृढ़ है।

उत्पाद की मांग : जहां हाल की अवधि में मांग में कुछ हद तक कमी आई है, वहीं नुकसान अवधि में समग्र मांग सकारात्मक है। इसके अतिरिक्त, हाल की अवधि में जबकि मांग कमी है, आयात बढ़ा है। इस प्रकार घरेलू उद्योग को नुकसान निर्यात में वृद्धि के कारण है।

निर्यात कार्यनिष्पादन : याचिकाकर्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। जैसाकि पहले कहा गया है, घरेलू उद्योग माल रखे नहीं रह सकता है और इसलिए माल का निर्यात करने के लिए बाध्य हैं। घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात भारत में उत्पाद के बढ़ते आयात के परिणाम हैं।

(ड.) कारणात्मक संबंध :

(क) उत्पादन की मुख्य रूप से बिक्री आयातों के साथ तुलना/प्रतिस्पर्धा में की जाती है। आयातों का अंतिम मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से काफी कम है।

(ख) घरेलू उद्योग बिक्री अवसरों को खो रहा है। परिणामस्वरूप, बिक्री मात्रा, बाजार अंश, लाभ, घरेलू उद्योग के निवेश पर रिटर्न कम मूल्य के आयातों में वृद्धि की मौजूदगी के कारण कम हुआ है।

(ग) आयात में वृद्धि के परिणामस्वरूप आयातों के बाजार अंश में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार अंश में कमी आई है।

(च) समायोजन योजना :

घरेलू उद्योग में एक समायोजन योजना प्रस्तुत की है जिसमें आयात प्रतिस्पर्धा के लिए एक सकारात्मक समायोजन करने हेतु किए जाने योजनाबद्ध प्रयासों का ब्यौरा दिया गया है। योजनाओं में लागत में कमी मौजूदा एवं भविष्य की उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

(छ) जनहित :

क. रक्षोपाय डयूटी लगाने से घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में कमी रूकेगी तथा घरेलू उद्योग को हुए नुकसान में कमी आएगी। रक्षोपाय डयूटी से घरेलू उत्पादक अर्थक्षम एवं प्रतियोगी हो सकेंगे।

ख. ग्राहकों को विचाराधीन उत्पादन की आपूर्ति करने में सक्षम प्रतियोगी भारतीय घरेलू उद्योग का होना और विदेशी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करना उपभोक्ताओं के हित में है। संबंधित वस्तुओं का उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है। इसलिए आयात पर निर्भरता कम करना कार्यनीतिक दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण है।

ग. डीआई देश में चालू एवं संभावित/भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए सक्षम है।

घ. प्रत्येक उपभोक्ता उद्योग पर प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क का प्रभाव नगण्य होगा। याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि शब्द जनिहत को घरेलू उत्पादकों, घरेलू उपभोक्ताओं एवं जनता के हित के रूप में माना जाना चाहिए। इस संबंध में यह विचार करते हुए घरेलू उद्योग का बना रहना आवश्यक है और अंतिम उत्पाद पर लगभग नगण्य प्रभाव को ध्यान में रखे हुए, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि रक्षोपाय डयूटी लगाना जनहित में होगा।

निर्यातक राष्ट्रों के विचार :

29. संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)

(i) संयुक्त अरब अमीरात में विचाराधीन उत्पाद का गलत एवं असामान्य आयात आंकड़ा

- संयुक्त अरब अमीरात का भारत में एल्यूमीनियम का निर्यात मुख्य रूप से बिलेट्स एवं फाउंड्री एल्यूमिनियम उत्पाद हैं जो इस जांच के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं और अनिर्मित एल्यूमीनियम के अभिक्षित इन्गॉट्स की मात्रा केवल नाममात्र है जिनका संयुक्त अरब अमीरात से भारत को प्रभावी ढंग से निर्यात जांच की अवधि के दौरान हुआ।
- बिलों से पता चला है कि संयुक्त अरब अमीरात से भारत में किए जा रहे निर्यात जो "मुख्य रूप से एल्यूमीनियम फाउंड्री मिश्रित इन्गॉट्स है, के विवरण में स्पष्ट रूप से विसंगति जो इस जांच के कार्यक्षेत्र से बाहर है।
- इस जांच में निर्यात में वास्तव में वृद्धि हो रही है।

(ii) आयातों की कोई अप्रत्याशित वृद्धि नहीं जिससे गंभीर नुकसान पैदा हो सकता है या होने का खतरा है।

- आयात गंभीर नुकसान और केजूएल्टी में वृद्धि से संबंधित शर्तों को पूरा करना विधिपूर्वक रक्षोपाय ड्यूटी लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है किन्तु आगे यह भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि अप्रत्याशित घटनाक्रमों के कारण आयात में वृद्धि हुई है।

(iii) घरेलू उद्योग को कोई नुकसान या गंभीर नुकसान को खतरा नहीं।

- आवेदकों की स्थिति में ऐसी कोई समग्र विसंगति नहीं है जैसाकि उत्पादन की क्षमता में सुधार, बेहतर क्षमता उपयोग एवं लाभप्रदता में प्रगति से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
- क्षमता उपयोग में गिरावट का वास्तविक कारण आयात से संबंधित नहीं है बल्कि खनन लाइसेंस प्राप्त करने में देरी से संबंधित है।
- जांच की अवधि के पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय संकेतकों में सुधार गंभीर नुकसान के खतरे के किसी दावे को खारिज करता है।

(iv) आयात में वृद्धि और कथित गंभीर नुकसान के बीच काई केजूएल लिंक नहीं

- **आयात में वृद्धि और कथित गंभीर नुकसान के बीच कोई सहसंबंध नहीं।**
- समानंतर रूप में, उस समय जब विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वर्ष 2012-13 में वृद्धि हुई, आवेदकों की स्थिति में सुधार हो रहा था जैसाकि लगभग सभी आर्थिक संकेतकों विशेषकर बाजार अंक (60 प्रतिशत) (538.657 मीट्रिक टन), उत्पादन क्षमता (1.269.900 एमटी) में स्पष्ट वृद्धि से प्रतिलक्षित होता है।
- **आयात में वृद्धि से भिन्न कारक आवेदकों को किसी कथित नुकसान के कारण हैं :**

(क) किसी विशेष समय सीमा के दौरान एलएमई मूल्य में गिरावट के परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों के बिक्री मूल्य में गिरावट को पैदा करेगा।

(ख) कथित गंभीर नुकसान या उसका खतरा आयात रूझानों से नहीं जुड़ा है बल्कि जांच की अवधि के दौरान सामान्य रूप से वैश्विक रूझानों और विशेष रूप से एलएमई मूल्य में कमी से जुड़ा है।

(v) रक्षोपाय ड्यूटी लगाने में कोई जनहित नहीं।

- रक्षोपाय उपाय करने से भारतीय बाजार में मध्य एल्यूमीनियम के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका भारतीय बाजार में इस उत्पाद के प्रमुख अंतिम प्रयोक्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- घरेलू उद्योग आयात पर 5 प्रतिशत सीमाशुल्क डयूटी लगाए जाने से पहले ही संरक्षित है और रक्षोपाय उपाय के रूप में किसी अतिरिक्त सीमाशुल्क डयूटी को लगाने से भारत में अन्य उद्यमियों के विधिसम्मत वाणिज्यिक हितों पर निश्चित रूप से प्रतिकूल असर पड़ेगा और यह जनहित के विपरीत देखा जाता है।

(vi) आगे बिना कार्यवाहियों के जांच को समाप्त किया जाना चाहिए। डीजी, रक्षोपाय द्वारा अपनी जांच जारी रखे जाने तक कोई अनंतिम उपाय नहीं किए जाने चाहिए।

30. आस्ट्रेलियाई हाई कमीशन

- उत्पाद कवरेज पर आगे और जांच एवं स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।
- भारत में दूसरा सबसे बड़ा घरेलू उत्पादक, नाल्को इस याचिका का समर्थन नहीं करता है। नालको को इस बात की जांच में शामिल किया जाना चाहिए कि क्या डीआई को गंभीर नुकसान हुआ है और क्या इस आधार पर सुरक्षा उपाय सही है। यदि नालको को शामिल नहीं किया जाता है तो क्या शेष उत्पादक डीआई की अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं।
- आयातों के मध्यवर्ती रूझानों को इस बात का मूल्यांकन करने में विचार में पूरी तरह लाया जाना चाहिए कि क्या आयातों में वृद्धि विश्व व्यापार संगठन रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 की आयात में वृद्धि संबंधी अपेक्षा को पूरा करता है।
- याचिका में दिया गया आंकड़ा पर्याप्त नहीं है।
- याचिका में घरेलू उद्योग 'घरेलू उत्पाद' का प्रयोग लगातार याचिकाकर्ताओं के संदर्भ में नहीं है और यह भ्रम पैदा करता है।
- आयात बढ़ा है किन्तु डीआई का बाजार अंश बढ़े आयात के अनुपात में बढ़ा है।
- याचिकाकर्ताओं का संयुक्त बाजार अंश नालको के बाजार अंश की तुलना में वास्तव में बढ़ रहा है। आयातों के बाजार अंश के प्रतिकूल का रूझान याचिकाकर्ताओं के बाजार अंश में वृद्धि के अनुरूप प्रतीत होता है।
- कोई अप्रत्याशित परिस्थितियों नहीं।
- अन्य कारकों जो नुकसान को प्रभावित कर सकते हैं, की जांच की जानी चाहिए।
- कोई गंभीर नुकसान या गंभीर नुकसान का कोई खतरा नहीं क्योंकि पिछले वर्षों में संस्थापित क्षमता में लगातार वृद्धि हुई है।

31. रूसी संघ

विश्व व्यापार संगठन के रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 9.1 के प्रावधानों के अनुसार रूसी संघ से अनिर्मित एल्यूमीनियम के अभिक्षित इग्नॉट्स के आयातों पर किसी रक्षोपाय को लागू करने से रूसी संघ को बाहर रखा गया है।

32. मेक्सिको का आर्लिक मंत्रालय

विश्व व्यापार संगठन के रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 9.1 के प्रावधानों के अनुसार मेक्सिको से अनिर्मित एल्यूमीनियम के अभिक्षित इग्नॉट्स के आयातों पर किसी रक्षोपाय को लागू करने से मेक्सिको को बाहर रखा गया है।

33. मलेशिया का हाई कमीशन

विश्व व्यापार संगठन के रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 9.1 के प्रावधानों के अनुसार मलेशिया से अनिर्मित एल्यूमीनियम के अभिक्षित इग्नॉट्स के आयातों पर किसी रक्षोपाय को लागू करने से मलेशिया को बाहर रखा गया है।

34. किंगडम आफ बहरीन

विश्व व्यापार संगठन के रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 9.1 के प्रावधानों के अनुसार किंगडम से अनिर्मित एल्यूमीनियम के अभिक्षित इग्नॉट्स के आयातों पर किसी रक्षोपाय को लागू करने से किंगडम को बाहर रखा गया है।

35. ओमान सल्तनत

अनुरोध बहुत बाद में 2 सितम्बर, 2014 को प्राप्त हुआ और इसलिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा देखे जाने के लिए उपलब्ध नहीं था। तथापि, उठाए गए मुद्दों पर निम्नलिखित उपयुक्त स्थानों पर विचार किया गया है :

i डीजी को गोपनीय सूचना के संरक्षण और हितबद्ध पक्षकारों के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए ताकि उनके हित की रक्षा की जा सके।

ii याचिका एवं एनओआई में दिए गए आंकड़े में विसंगति।

iii निवेश पर रिटर्न का समुचित विश्लेषण और प्राइस अंडरकटिंग की जानी चाहिए।

iv वार्षिक आंकड़ों की क्रियाविधि पर स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है।

v भारत में ओमान आयातों का भारित औसत मूल्य तथा भारत में बहरीन आयातों का भारित औसत मूल्य का पिछले चार वर्षों में बढ़ता हुआ रूझान है।

vi केवल आयात की मात्रा ही संगत कारक नहीं है। इसे गंभीर नुकसान का आकलन करने मे एक निर्धारित कारक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आयातों में महत्वपूर्ण, तीक्ष्ण, हालिया वृद्धि के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

vii ओमान निर्यात की अपनी उच्च गुणवत्ता एवं ठोस वाणिज्यिक पद्धति के कारण भारत में आयातों का बड़ा लगभग स्थायी अंश है।

viii घरेलू उद्योग के लाभ की हानि आयातों में परिवर्तन के कारण नहीं है।

ix आयातों में परिवर्तन और कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन के बीच कोई संबंध नहीं है।

x आयातों एवं याचिकाकर्ताओं को कथित नुकसान के बीच कोई केजूएल लिंक नहीं है।

xi कोई जनहित नहीं।

xii एन ओ आई को अधिक स्पष्टीकरण चाहिए।

xiii डीआई के कार्यनिष्पादन में नकारात्मक परिवर्तन नुकसान के अन्य कारणों से हैं न कि पीयूसी के आयातों के कारण।

निर्यातकों की राय :

36. ईएलीपी वकीलों एवं सॉलीसिटर्स के माध्यम से मैसर्स एल्यूमीनियम बहरीन

(i) नुकसान संबंधी सूचना के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई आंकड़ा अद्यतन नहीं किया गया है। जन सुनवाई में याचिकाकर्ताओं द्वारा ही की गई प्रस्तुति उस सूचना पर निर्भर की जो वर्ष 2013-14 की अंतिम तिमाही अर्थात जनवरी, 2014 से मार्च, 2014 तक के लिए अद्यतन की गई थी।

(ii) अनंतिम निष्कर्ष जारी करने का कोई आधार नहीं क्योंकि नवीनतम अवधि के लिए आंकड़े को न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा विश्लेषण किया गया है।

(iii) नुकसान संबंधी आंकड़े का अभ्यावेदन बहुत ही गलत है, गलत तथ्य प्रकट करने वाला है और सही होने की अपेक्षा का मौलिक एवं से उल्लंघन है तथा प्रति यूनिट संबंधी सूचना वार्षिक आंकड़े में ऊपर नीचे है जबकि मूल्य और वार्षिक आंकड़े में स्थिर रहे हैं, दोनों गणितीय रूप से असंभव है।

(iv) कई सूचना एवं आंकड़े के बारे में याचिका में गोपनीय होने का दावा किया गया है और यहां तक कठोर रूप में भी प्रकट नहीं किया गया है। इस बारे में कोई कारण नहीं दिया गया है कि इस सूचना को गोपनीय होने का दावा क्यों किया गया है।

(v) याचिकाकर्ता ऐसे किन्हीं अप्रत्याशित घटनाक्रमों को प्रदर्शित करने में विफल रहे जिनके परिणामस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई।

(vi) मध्यपूर्व देशों में अधिशेष क्षमता : "मध्यपूर्व" में मांग आपूर्ति अंतराल, वर्ष चार से जांच की संपूर्ण अवधि को कवर नहीं किया गया है।

(vii) आंकड़े में एक अनुमान दिया गया है और इसमें यह नहीं दिखाया गया है कि भारत में आयातों में वृद्धि मध्यपूर्व में कथित अधिशेष क्षमता के कारण हैं।

(viii) आयातों में वृद्धि के बाद हो रहे घटनाक्रम को आयात के लिए पहला कारण नहीं कहा जा सकता है। विश्लेषण जांच की अवधि इससे पूर्व की अवधि के लिए प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या अप्रत्याशित घटनाक्रमों पर इसका कोई प्रभाव था या नहीं।

(ix) यह प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं कि कथित आधिक्य क्षमता को चीन पर अन्य बाजारों के बजाय भारत की ओर मोड़ा गया।

(x) विदेशी उत्पादकर्ताओं की ऊर्जा लागत, मध्यपूर्व में अपार प्राकृतिक गैस भंडार के कारण हमेशा काफी कम रही है, जो कि एक सर्वज्ञात तथ्य है । इसलिए, किसी भी तरह इस घटनाक्रम को "अप्रत्याशित" या "अनापेक्षित" नहीं कहा जा सकता है।

(xi) ध्यान मूल्य संवर्धित उत्पादों पर है क्योंकि उनसे काफी अधिक रिटर्न प्राप्त होते हैं। बची सामग्री एवं क्षमता का उपयोग विचाराधीन उत्पाद के लिए किया जाता है।

(xii) याचिकाकर्ताओं की वास्तविक क्षमता का उपयोग याचिका और इनिशिएशन अधिसूचना में प्रस्तुत की उपयोग से पूरी तरह भिन्न है। याचिकाकर्ता पूरी नुकसान अवधि में अपनी क्षमता का 90 प्रतिशत से अधिक का उपयोग कर रहे हैं।

(xiii) विचाराधीन उत्पाद को कम उत्पादन और निर्यात में अधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लिए बिक्री की मात्रा कम हुई है। फिर बिक्री की कम मात्रा से घरेलू बाजार में मांग की कमी हुई है जिसके परिणामस्वरूप आयातों में अपरिहार्य वृद्धि हुई है इसलिए घरेलू उद्योग को हुए नुकसान को कोई भी मात्रा स्वयं पैदा की हुई है तथा इसके लिए आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

(xiv) घरेलू उद्योग के लिए लाभप्रदता में सुधार हो रहा है, यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग पहले ही उस मूल्य पर बिक्री कर रहा है जहां इसे किन्हीं आयातों से नुकसान नहीं हो सकता है।

(xv) भिन्न बिक्री प्राप्तियों (और उसी संयंत्र में विनिर्मित उत्पादों हेतु लाभप्रदता) के कारण लागत को विवेकपूर्ण ढंग से आबंटित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विचाराधीन उत्पाद पर कोई अतिरिक्त लागत का भार नहीं दिया जा रहा है अर्थात ओवलिस ऋण के लिए हिंडाल्को की उच्च ब्याज दरें, निर्यात बिक्रियों की लागत, अन्य उत्पादों की लागत और इन्गॉट्स का कैप्टिव उपभोग।

(xvi) एनआईपी अर्थात लागत का आकलन करते समय सभी उत्पादों की लाभप्रदता पर विचार किया जाना चाहिए और आरओसीई को टर्नओवर पर आबंटित किया जाना चाहिए क्योंकि आवेदक मूल्यवर्धित डायनस्ट्रीम उत्पादों के पक्ष में अपनी क्षमताओं का जानबूझकर उपयोग कर रहे हैं।

(xvii) एल्यूमीनियम खपत में वैश्विक मंदी से विश्व भर में काफी अधिशेष क्षमता पैदा हुई। तथापि अब विश्वव्यापी खपत में वृद्धि हुई है और कहीं भी कोई अप्रयुक्त क्षमता नहीं है।

(xviii) यदि याचिकाकर्ता (हिंडाल्को प्रस्तुति) द्वारा यथा पूर्वानुमानित आपूर्ति में कमी है तो मूल्य में वृद्धि निश्चित है क्योंकि मांग आपूर्ति वाला इसे विक्रेता का बाजार बना देगा यदि आपूर्ति कम हैं।

(xix) आयातों की मात्रा और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के बीच कोई केजूएल लिंक नहीं है। संपूर्ण नुकसान अब में लाभ में अत्यधिक गिरावट एक वर्ष में है जहां आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक लाभप्रदता में वृद्धि हुई है।

(xx) घरेलू बिक्री की मात्रा एवं आयात के बीच कोई संबंध नहीं है।

(xxi) घरेलू बाजार के फोकस एवं प्राथमिकता बाजारों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में कम मात्रा बेची जा रही है जिसके कारण आयात को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है बल्कि घरेलू उद्योग की बाजारों के संबंध में स्वयं की प्राथमिकताएं जिम्मेदार होती हैं।

(xxii) एल्यूमीनियम की आपूर्ति में अवरोध तथा कोयले की कमी से याचिकाकर्ताओं को उनके उत्पादन में काफी लागत बाधा पैदा हुई है जैसाकि वार्षिक रिपोर्टों से प्रमाण मिलता है।

(xxiii) एल्यूमीनियम के अलावा एल्यूमीनियम विनिर्मित करने में व्यापक लागत विद्युत की लागत है और भारतीय घरेलू उद्योग के समक्ष विद्युत एवं ऊर्जा के संबंध में काफी अवरोध है जैसाकि वार्षिक रिपोर्टों से देखा जा सकता है।

(xxiv) एल्यूमीनियम का वैश्विक मूल्यन मुख्य रूप से एलएमई द्वारा प्रभावित होता है। एलएमई के अनुसार मूल्य में अत्यधिक उतार चढ़ाव के कारण घरेलू उद्योग सहित पूरे विश्व में मूल्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है जैसाकि वार्षिक रिपोर्टों से देखा जा सकता है।

(xxv) नवीनतम अवधि अप्रैल 2013 से दिसम्बर, 2013 तक में बहरीन से आयात निर्धारित अधिकतम सीमा से कम है। हमें अतिरिक्त यदि सभी विकासशील देशों पर विचार किया जाए (ओमान, दक्षिण अफ्रीका एवं संयुक्त अरब अमीरात को छोड़कर) तो आयात में संयुक्त अंश कुल अंश का मात्र 1.8 प्रतिशत है।

आयातकों/प्रयोक्ता उद्योगों/संघों के विचार

37. भोरूका एक्सट्रूजन प्राइवेट लिमिटेड

(i) आंकड़ा पूरी तरह गलत है और यह भ्रमित करने के गलत इरादे से दिया गया है।

(ii) अधिकांश स्मेल्टिंग क्षमता का उपयोग अधिक लाभ अर्जित करने के लिए इन मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए किया जाता है।

(iii) भारतीय उपभोक्ता और अधिक आयात करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि इग्नॉट्स की बहुत ही कम मात्रा आवेदकों द्वारा उनको उपलब्ध कराया जाता है।

(iv) "अप्रयुक्त क्षमता" उनके द्वारा दिए गए गलत आंकड़े पर आधारित है।

(v) नालको का उत्पादन कोयले की कमी के कारण अप्रैल, 2014 से थोड़ा कम हो गया है और आयात में वृद्धि प्रभावित नहीं है।

(vi) उच्च ब्याज लागत, कोयले की कमी और कोयला खान के आबंटन पर सीवीआई जांच के कारण हिंडाल्को प्रभावित हुआ है।

(vii) घरेलू एल्यूमीनियम मूल्य मौजूदा (एलएमई मूल्य+ मुख्य जापानी पोर्ट प्रीमियम+ 5 प्रतिशत सीमा शुल्क ड्यूटी) देश में मौजूद उच्चतम विनिमय दर+ भाड़ा+ अन्य प्रभारों पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, उनके संयंत्र में प्रयोक्ता के कारखाने को भाड़े का संग्रह अलग से किया जाता है। यद्यपि यह जापानी प्रयोक्ताओं से संग्रह नहीं किया जाता है।

(viii) प्रीमियम मूलत: वह प्रकार है जो एल्यूमीनियम को एलएमई भंडारागार से परेषिती के पोर्ट तक ले जाने में उपगत हैं। एमजेपी के अतिरिक्त, सीमाशुल्क की लेवी भी भारतीय प्राथमिक एल्यूमीनियम उद्योग में मौजूद लगभग एकाधिकारी स्थिति के कारण घरेलू बिक्री मूल्य पर जोड़ा जाता है।

(ix) चूंकि एलएमई मूल्य पर दबाव है, विश्व भर में कंपनियों के समक्ष कम लाभप्रदता की समस्या है और ये चुनौतियों का सामना करने के लिए कदम उठा रही हैं ।

(x) 5 प्रतिशत आयात शुल्क और मुख्य जापानी पोर्ट प्रीमियम (एमजेपी) के कारण वे अंतर्राष्ट्रीय दरों से अधिक मूल्य पर बेच रही हैं ।

(xi) यह विदित तथ्य है कि एल्यूमीनियम सहित धातु मूल्य पर विश्व भर में दबाव है किन्तु इसके बावजूद आवेदक अच्छे लाभ कमा रहे हैं और अपनी क्षमता को नियमित रूप से बढ़ा रहे हैं।

(xii) हिंडाल्को की 06,000 एमटी की अपनी मौजूदा क्षमता के अलावा विभिन्न चरणों में निम्नलिखित विस्तार योजनाएं हैं।

(xiii) वर्ष 2013-14 में उनकी लाभप्रदता दबावग्रस्त वैश्विक आर्थिकी और उच्च ब्याज बोझ का उनके द्वारा नोवलिंग, यूरोप, के अधिग्रहण जहां कंपनी को काफी हानियां हो रही हैं के कारण थोड़ी कम हुई हैं।

(xiv) हिंडाल्को की तरह वेदाता तेजी से विस्तार कर और अपनी एल्यूमीनियम क्षमता को बढ़ाने के लिए निम्न विस्तार किए हैं :

(xv) नालको के वित्तीय परिणामों से पता चलता है कि यदि वर्ष में इसके लाभ इस दबावग्रस्त वैश्विक आर्थिक स्थिति और कमतर धातु मूल्यों में भी बेहतर होगा एलएमई मूल्य में गिरावट की पिछले 2 वर्षों में 20 प्रतिशत से अधिक रुपए के अवमूल्यन द्वारा समुचित रूप से क्षतिपूर्ति की गई है।

(xvi) आयातों में नालको को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया है जैसाकि याचिका में दावा किया गया है। यह भी साबित करता है कि राहत वित्तीय अनुशासन और दक्ष प्रचालनों से कंपनी को लाभप्रद स्थिति में चलना संभव है।

(xvii) बाक्साइट एवं कोयला जिनका मध्यपूर्व विनिर्माताओं के पास कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है और वे उच्च लागत पर आयात करते हैं जबकि भारत में प्राथमिक उत्पादक के पास सर्वोत्तम गुणवत्ता के स्थानीय बाक्साइट तथा कोयले, जिनका खनन अधिकार बहुत पहले कम मूल्य पर सरकार द्वारा उनको दे दिया गया है, का प्राकृतिक लाभ प्राप्त है।

(xviii) कर्मचारियों की वेतन एवं मजदूरी लागत भारत की तुलना में मध्यपूर्व विनिर्माताओं के लिए न्यूनतम 40 से 45 प्रतिशत अधिक है।

(xix) मध्यपूर्व के आपूर्तिकर्ता एलएमई के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर एल्यूमीनियम धातु का बिक्री मूल्य नियत कर रहे हैं जैसाकि भारतीय उत्पादक द्वारा किया जाता है। उनका मूल्य कम नहीं है जैसा कि आवेदक द्वारा आरोप लगाया गया है।

(xx) इसके अतिरिक्त भारत में आयातक सीमा शुल्क, निकासी प्रभार का भुगतान करता है तथा पत्तन से उनके कारखाने तक परिवहन प्रभारों का भी वहन करता है।

(xxi) दोनों का बिक्री मूल्य एक समान होता है। कोई असंगति या अंतर नहीं होता है। अंतर केवल इतना है कि आयाता के मामले में, सीमा शुल्क सरकारी खजाने को जाता है किन्तु घरेलू बिक्री के मामले में, 5.6 प्रतिशत सीमाशुल्क इन उत्पादकों की जेब में जाता है यद्यपि यह सरकारी खजाने का विधिसम्मत अंश है।

(xxii) देश में आयातों का यह पता लगाने के लिए आंकड़े के आधार पर विश्लेषण किया जाना होता है कि कितने आयात घरेलू खपत के लिए हैं और कितने निर्यात के लिए उत्पादों को विनिर्माण हेतु।

(xxiii) एल्यूमीनियम का आयात मुख्यतया उनकी निर्यात हकदारी के लिए है।

(xxiv) सही उत्पादन आंकड़े तथा आयात आंकड़े से उनकी तुलना से बिल्कुल ही भिन्न तस्वीर प्राप्त होती है।

(xxv) आवेदक अपने माल को परिसमाप्त करने के लिए निर्यात हेतु बाध्य हैं जो आधारहीन एवं असत्य है। सभी आवेदक विभिन्न कारणों के लिए पूर्व नियोजित दीर्घकालिक कार्यनीति के अंतर्गत निर्यात कर रहे हैं; निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए, अपने करेंसी एक्सपोजर को पूरा करके के लिए प्राकृतिक हेपिंग हेतु विदेश में उनकी संबद्ध कंपनियों को पोषित करने के लिए, रुपए में अवमूल्यन, निर्यात लाभ अर्जित का फायदा उठाने के लिए जिसके कारण एल्यूमीनियम इन्गॉट्स का उनके द्वारा निर्यात में भी 2013-14 में अचानक वृद्धि का पता चल रहा है।

(xxvi) निर्यात में उनकी बेहतर प्राप्तियां हैं क्योंकि वे निर्यात लाभ और ईपीसीजी लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

(xxvii) हिंडालको भारतीय उपभोक्ताओं को माल से वंचित करने वाली अपनी संबद्ध कंपनी नोवलिग यूरोप को अधिकांश हिस्सा अंतरित करती है।

(xxviii) कुल स्मेल्टिंग क्षमता का ध्यान में लेना और केवल कुछ उत्पादों का उत्पादन दिखाना तथ्यों को गलत ढंग से प्रकट करना है और उपयुक्त सुधार की आवश्यकता है।

(xxix) निर्यात आंकड़ों को बड़े सुविधापूर्ण ढंग से 2010-11 तक अनुक्रमित किया गया था। याचिका के साथ संलग्न अनुबंध-7 के आंकड़े छुपाए गए हैं तोड़-मरोड़ की गई और कई स्थानों पर अनुक्रमित संख्या को दर्शाकर अप्रतिनिधित्व नहीं किया गया है।

(xxx) किसी तुलनीय आंकड़ों पर ध्यान दिए बिना, एक अस्पष्ट अभिकथन कि "रोजगार के स्तर में मामूली सी कमी आई है" परंतु इसे इसके अंकित मूल्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कंपनियों ने अपने प्रकाशित लेखा विवरणियों में अपने कर्मचारियों पर बढ़ते हुए व्यय को दर्शाया है।

(xxxi) "उत्पादन में गिरावट के मद्देनजर उत्पादकता में कमी आई है"। यह संभव नहीं है क्योंकि लगभग सभी आवेदकों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(xxxii) केंद्र में सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार करने का प्रयास कर रही है और करोड़ों रुपए के वित्तीय और गैर वित्तीय लाभ शामिल करके अधोप्रवाही उद्योग कम मांग, बढ़ती हुई ब्याज लागत, रुपए के अवमूल्यन तथा वैश्विक मंदी के कारण इस समय निकृष्टतम स्थिति में है।

(xxxiii) केंद्र में सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार करने का प्रयास कर रही है और करोड़ों रुपए के वित्तीय और गैर वित्तीय लाभ शामिल करके प्रेरणाप्रद पैकेज की घोषणा कर रही है। ऐसे समय में प्राथमिक एल्युमिनियम पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना एक गलत दिशा में किया गया प्रयास होगा क्योंकि इससे एल्युमीनियम के सभी उत्पादों की कीमत बढ़ जाएगी और इससे अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टरों जिसमें अवसंरचना, आटोमोबाइल आदि शामिल की मांग प्रभावित होगी जो विगत कुछ तिमाहियों से ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित कर रहे हैं।

38. केबल और कंडक्टर विनिर्माता एसोसएिशन (सीएसीएमएआई)

(i) याचिका के अनुबंध 8 में बेशी क्षमता के साक्ष्य को बिना कोई कारण बनाए बिना गोपनीय के रूप में दावा किया है।

(ii) घरेलू बिक्री समग्र रूप में दी गई है जबकि निर्यात बिक्री अनुक्रमित रूप में दी गई है।

(iii) याचिका के अनुबंध 7 के अनुसार वर्ष 2012-13 का इति स्टाक 27 (अनुक्रमित) और अथस्टाक वर्ष 2013-14 में 1 (अनुक्रमित) हैं, जो नहीं हो सकता है।

(iv) वर्तमान याचिका असामान्य या आपातकालीन स्थिति को अभिव्यक्त नहीं करती है, जिससे ऐसा लगता हो कि रक्षोपाय शुल्क लगाना अनिवार्य है।

(v) निर्यात के आशय से वस्तु विनिर्मित करने के लिए अग्रिम लाइसेंस पर शुल्क मुक्त आयात, जिससे इसके दायरे से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि इन निर्यातों से भारत की घरेलू बाजार प्रभावित नहीं होगी। यदि हम अग्रिम लाइसेंस के बदले किए गए आयातों का अपवर्जन कर देंगे तो आयातों में वृद्धि नहीं होगी।

(vi) अधिसूचित विद्युत परियोजनाओं के लिए आईसीबी के अंतर्गत शून्य शुल्क पर भारी मात्रा में आयात हो चुका है और यह भारत के बाहर इस वस्तु की खपत करने के लिए भी समरूप है और उन्हें रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण किए जाने के लिए ध्यान नहीं लिया जाना चाहिए।

(vii) किसी अनपेक्षित विकास का कोई उल्लेख नहीं है।

(viii) केवल आयातों में वृद्धि होना ही रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने का एक कारण नहीं हो सकता है। आयात में प्रत्येक वृद्धि या भारत से बाहर कम कीमतों पर माल की उपलब्धता बुरी नहीं है और उसे हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

(ix) आयातों एवं दावाकृत क्षति के बीच कोई संबंध नहीं है।

(x) याचिका के अनुबंध 7 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि (1) घरेलू बिक्री में गिरावट, भारत में न्यूनतर मांग और निर्यात बिक्री में गिरावट के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, न कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों के लिए और (2) लाभ में गिरावट के लिए उच्चतर ब्याज बोझ को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और न कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों को।

(xi) निर्यात बिक्री तथा कुल बिक्री में वृद्धि हो रही है।

(xii) वह अवधि जब घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी आ रही थी, ठीक उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग पर ब्याज का बोझ बढ़ रहा था और जब घरेलू उद्योग पर ब्याज का बोझ घटना प्रारंभ हो गया तो घरेलू उद्योग की घटती लाभप्रदता में सुधार होने लगा।

(xiii) हिंडाल्कों के लाभ में गिरावट प्राथमिकत: न्यूनतर एल्युमिनियम एलएमई प्रापण के कारण, मांग में कमी होने तथा कतिपय अन्य कारणों के कारण आई। लागत पर दबाव बढ़ती हुई क्रूड कीमतों पर है।

(xiv) याचिका का अनुबंध 7 यह दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान इस विचाराधीन उत्पाद की मांग में कमी आ रही थी।

(xv) इस विचाराधीन उत्पाद के बड़े-बड़े उपभोक्ता विद्युत वितरण उद्योग, आटोमोबाइल उद्योग और निर्माण उद्योग है। घरेलू उद्योग द्वारा इस विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री में गिरावट के लिए परिष्कृत माल की घटती हुई मांग में कमी है जो इस विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कर रहे हैं।

(xvi) संवर्धित आयातों के लिए जो कारण दिया गया वह है निर्यातकों को सस्ती विद्युत की उपलब्धता और वस्तुत: भारत एक भाड़ा हितैषी राष्ट्र है। यह ऐसे बाह्य कारक हैं जिनपर घरेलू उद्योग का कोई नियंत्रण नहीं है और घरेलू उद्योग के लिए यह संभव नहीं है कि वह ऐसे कारकों के लिए समायोजन योजना बनाए।

(xvii) एल्युमिनियम इनगट एक ऐसा आधारभूत कच्चा माल है जिसका इसके अनुप्रवाही उद्योगों द्वारा कई उद्योगों में किया जाता है, यह उद्योग लघु एवं मध्यम उद्योग है जो भारी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। यह उद्योग उदारीकृत मुक्त अर्थव्यवस्था में आयातित उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा भी करते हैं।

(xviii) रक्षोपाय शुल्क का किसी भी प्रकार से अधिरोपण करने से इसके कई उपभोक्ता उद्योग बंद हो जाएंगे जिससे कि लोगों को रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे तथा देश की आर्थिक स्थिति तथा केबल जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों का आयात प्रभावित होगा।

(xix) इसके अतिरिक्त, मूल्यवर्धित केबल्स के आयात से इन्गट के विनिर्माण अपनी घरेलू बाजार खो देंगे।

39. अखिल भारतीय एल्युमिनियम एक्ट्रुडर्स एसोसिएशन (एलेक्स)

(i) वर्ष 2013-14 में कुल उत्पादन में गिरावट मुख्यत: नालको के कारण आई है जिसने अपने विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति के मुद्दे के कारण उत्पादन में कटौती कर दी।

(ii) हिन्डाल्को और वेदांता द्वारा किए गए अपने दावे के विपरीत जांच की अवधि के दौरान धातु का उनका उत्पादन बढ़ा है।

(iii) मूल्य वर्धन करने के लिए विनिर्माता इनगट्स के उत्पादों के बजाय मूल्यवर्धित उत्पादों (बिलेडस, वायर राड्स, स्लैब्स) के उत्पादन को एक सामान्य कारण से अधिक वरीयता देंगे कि उनका प्रापण मूल्यवर्धित उत्पादों से इन्गट्स के उत्पादों की तुलना में कहीं अधिक है। इनगट का उत्पादन करने की तुलना में मूल्यवर्धित उत्पादों को प्राथमिकता दी जा रही है।

(iv) घरेलू कीमतों की तुलना में आयात अधिक महंगे हैं।

(v) यह जांच करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका में कितने आयातों को शुल्क मुक्त लाइसेंस के अंतर्गत किया हुआ दर्शाता है।

(vi) घरेलू उत्पादक घरेलू बाजार में अपनी कीमत निर्धारण के लिए इस समय 5 प्रतिशत आयात शुल्क का प्रयोग कर रहे हैं; 5 प्रतिशत का इस बैरियर (सीमा शुल्क) से याचिकाकर्ताओं को सीधा लाभ हो रहा है।

(vii) रक्षोपाय अथवा किसी अन्य तंत्र द्वारा शुल्क में कोई अन्य वृद्धि करने से एल्युमिनियम के घरेलू उत्पादकों को लाभ होगा।

(viii) याचिकाकर्ता का कीमत निर्धारण फार्मूला आयातों के उतराई मूल्य (सभी शुल्कों सहित) पर आधारित है।

(ix) एक्सट्रुजन उद्योग इस समय चीन से एक्सट्रुजन आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। घरेलू उत्पादकों के उतराई लागत पर कीमत निर्धारण तंत्र (एलएमई + अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियम + सीमाशुल्क + क्लीयरिंग प्रभार) के कारण कच्चे माल की लागत में वृद्धि से भारत में उत्पादित एक्स्ट्रुजन रक्षोपाय शुल्क के कारण 10 प्रतिशत तक महंगे हो जाएंगे जबकि ऐसे ही एक्सट्रुजन का 5 प्रतिशत आयात शुल्क पर आयात किया जा सकता है।

(x) इसके कारण कई अनुप्रवाही उद्योग बंद हो गए हैं और इन सेक्टरों में नया निवेश नहीं किया जा रहा है।

(xi) इससे रोजगार में क्षति हुई है।

40. इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईईईएमए)

(i) घरेलू एल्युमिनियम उत्पादकों द्वारा बिक्री में कमी ।

(ii) घरेलू अनुप्रवाही उद्योग विनिर्माता कच्चे माल के रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, इसके अतिरिक्त वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आई सी बी) के अंतर्गत मानी गई निर्यात आपूर्तियां और एसईजेड उपक्रमों को आपूर्ति भी करते हैं।

(iii) कंडक्टर्स की कम मांग के कारण एल्युमिनियम की मांग में कमी आई है।

(iv) घरेलू विनिर्माता एल्युमिनियम सहित अपने कच्चे माल की खरीद विदेश व्यापार नीति की शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र (डी ई ई सी) के अंतर्गत परियोजना को जारी परियोजना प्राधिकरण प्रमाणपत्र के विरुद्ध अग्रिम प्राधिककृतिकरण प्राप्त करके शुल्क मुक्त आधार पर करते हैं।

(v) भारतीय उत्पादकों ने केंद्रीय विक्रय कर (सीइएलटी) के कारण लैंडेड ड्यूटी मुक्त की लागत पर पीएसी की आपूर्ति नहीं करने को तरजीह दी, जिसके कारण घरेलू निर्माताओं को आयात करने हेतु बाध्य होना पड़ा।

(vi) चूंकि एल्यूमीनियम उत्पादकों ने डीम्ड एक्सपोर्ट स्पेश मैंट में भाग नहीं लेने का निर्णय किया, मतलब आयात में वृद्धि का आरोप लगाना उनके लिए उचित नहीं है।

पीयूसी पर एसजीडी की संभावित प्रतिक्रिया :

(vii) तैयार माल पर सीमा शुल्क 0 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक है जबकि अल्यूमीनियम पर 5 प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क है।

(viii) कंडक्टर, केबल और कैपेसिटर निर्माताओं की सीमांत लाभ बहुत ही कम है।

(ix) कंडक्टर, केबल और कैपेसिटर, खासतौर पर चीन से, के आयात की लागत नहीं बढ़ती है और भारतीय बाजार में यह छा जाता नीचे प्रति इस प्रभाव पड़ता।

(x) भारतीय एल्यूमीनियम उत्पादकों के लिए इसके उपयोगकर्ता उद्योगों के बंद हो जाने के कारण एसजीडी उत्पादकरोधी सिद्ध होगा।

41. जेएसके उद्योग प्राइवेट लिमिटेड

(i) आवेदक इंगोट उत्पादन को कम कर उच्च मूल्यवर्धित के अन्य उत्पादों के उत्पादन को प्राथमिकता देता है।

(ii) पीओआई के दौरान आवेदक कंपनियां कवरसाइट एवं कोयले जैसे कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन में कमी को पुन: समापित किया। इसके लाभ ही बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण विवरणी आपूर्ति में बाधा के चलते उत्पादन प्रक्रिया में भांडों की बंदी के कारण धातु के उत्पादन में कमी आई है।

(iii) एलएमई में कम मूल्य के चलते आवेदक कंपनियों ने भी उत्पादन में कटौती करने का निर्णय लिया।

(iv) आवेदकों की समस्याएं अल्युमीनियम उपयोगकर्ता उद्योगों द्वारा उत्पन्न नहीं है। डीजी (सुरक्षोपाय) को इन तथ्यों का खुलासा न कर आवेदक कंपनियां प्राधिकारी को गुमराह कर रही हैं।

(v) पीओआई के दौरान आवेदक कंपनियों ने इंगोट विक्रय के प्रति मापन के रूप में तार घरों और अन्य उत्पादों को बढ़ाया है और अपनी क्षमता में वृद्धि की है।

(vi) शैडो प्राइसिंग : विश्व भर में अन्य बेस मेटन की भांति ही, अल्युमीनियम इंगोट (एलएमई में न कि लागत और मूल्यन के आधार पर) कोटेड बेयर मूल्य पर बेचते जाते हैं। आवेदक कंपनी एलएमई और इसके लाभ लागू किया, भारतीय रुपए में परिवर्तनीय तथा लागू सीमा शुल्क और सभी सांविधिक शुल्क तथा अधिकारों के आधार पर धातु का मूल्यन करती है। इस प्रकार वे वर्तमान में 5 प्रतिशत सीमा शुल्क और अधिकारों के "सुरक्षोपाय" का लाभ उठा रही हैं, क्योंकि वे घरेलू स्तर पर उत्पादित धातु उत्पादों पर वास्तविक रूप से किसी प्रकार का सीमा शुल्क का भुगतान नहीं करती हैं।

(vii) चूंकि एलएमई घटती बढ़ती रहती है, एलएमई मूल्य गति के साथ ही शेडो मूल्य को समायोजित करने की आवश्यकता और जहां आवेदक कंपनियां एलएमई में बढोतरी के साथ तुरंत ही शैडो मूल्य से बढ़ा देती हैं, वहीं एलएमई में बढाव होने पर शेडो मूल्य में शीघ्र कमी नहीं करती है।

(viii) आवेदक कंपनियां न केवल आयात को रोकने अपितु आयातित स्रोतों से प्राप्त की जाने वाली कमतर ब्याज दरों पर दीर्घ उधार अवधि के लिए क्षतिपूर्ति के लिए प्रोत्साहन के लिए अपने मूल्यों को सीमांत रूप से कुछ कम रखें।

(ix) याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा प्रस्तुत इंगोट आयात आकड़े कुल आयातों के हैं । 50% से अधिक आयात निर्यात प्रोत्साहनों के बदले किए गए हैं जिन्हें याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा रक्षोपाय से रोका नहीं जा सकता।

(x) समस्त मांग की तुलना में विश्वस्तरीय भूमिका निभाने में कंपनी आवेदक कंपनियों के नुकसान पहुंचानो के लिए आयात बहुत ही नगण्य है।

(xi) भारत से इंगोट के आयात वार्षिक 3 लाख तक हैं और बढ़ रहा है।

(xii) सुरक्षोपाय से आयात किस प्रकार बाधित होता है, जबकि समान उत्पादन को निर्यात की स्वतंत्र अनुमति है।

(xiii) वैश्विक बाजार को लक्ष्य में रखते हुए आवेदक कंपनियां लगातार अपनी क्षमता में वृद्धि कर रही हैं। हमारे देश में एल्युमीनियम उत्पादन हेतु आवश्यक बाक्साइट और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता के कारण इन्हें कम लागत पर उत्पादन करने की लाभप्रद स्थिति प्राप्त है। उनके द्वारा लगातार विस्तार इस तथ्य का साक्ष्य है कि वे भारी मात्रा में लाभ अर्जित करते हैं।

42. जिंदल अल्युमीनियम प्राइवेट लिमिटेड

(i) अल्युमीनियम इंगोट और अल्युमीनियम का बिलेट्स कंडक्टर, एंड उत्पादों/निस्त्रित उत्पादों आदि, जो घरेलू उद्योग की पसंद के अनुसार उत्पादित किए जा सकते हैं, में कृत्रिम वर्गीकरण न्यायोचित नहीं है क्योंकि वे समान या प्रतिस्पर्धी सामग्रियां हैं।

(ii) उनके द्वारा वास्तविक निर्यात विक्रय को आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

(iii) प्रत्येक माह प्रथम 15 दिनों के लिए वे अपने संपूर्ति उत्पादन का निर्यात करते हैं और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धातु की आपूर्ति नहीं करते हैं और इस तरह कृत्रिम कमी का निर्माण करते हैं।

(iv) घरेलू उद्योगों के विक्रय मूल्य विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भारतीय प्रयोक्ताओं के लिए रखे गए विक्रय मूल्य के समान ही है क्योंकि दोनों एलएमई मूल्य आधारित मूल्यन सूत्र का उपभोग करते हैं। अतएव विदेशी निर्यातकों की कमतर उसी लागत आदि की दृष्टि से उनके द्वारा कमतर मूल्य रखे जाने का तर्क अमान्य हो।

(v) एलएमई जब कभी ऊपर चढ़ता है तो प्राथमिक उत्पादक मूल्य को तुरंत बढ़ा देते हैं परंतु जब एलएमई मूल्य कम हो जाता है तो आयात के अवसर देने की वजह से वे ऐसी तत्परता नहीं दिखाते हैं।

(vi) निर्यातकों के लिए किए आयात के मामले में सीमा शुल्क में छूट की सीमा तक आयात शुल्क कम है। रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुरोध कर घरेलू उद्योगों से यह लाभ नहीं छीना जाना चाहिए।

(vii) कमतर एलएमई मूल्य के साथ उनके उत्पादन क्षमता विशेषत:, अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों हेतु में भारी विस्तार उनके घटे हुए लाभ के प्रमुख कारण थे।

(viii) चूंकि भारत में अल्युमीनियम उद्योग में बाजार शेयर में नालको का व्यापक अंश है इस अनुप्रयोग से उनकी परिस्थिति ही यह इंगित करती है कि रक्षोपाय शुल्क लगाने की आवश्यकता नहीं है।

(ix) आयातित एवं घरेलू उत्पादों ही कीमतों में महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

(x) तुलनात्मक रूप से लघु अवधि के दौरान उत्पाद के आयातों में व्यापक स्तर पर वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2012-13 के दौरान जिस उत्पाद का आयात 67 प्रतिशत हो गया था वह 2013-14 के दौरान घटकर 25 प्रतिशत तक आ गया है।

(xi) तुलनपत्र के अनुसार लगातार लाभ हो रहा है – हिंडालको के निवल लाभ में कमी बढ़ी हुई वित्तीय लागत, अवमूल्यन और अपनी गलती से हुई मामूली हानि आदि के कारण हुई है, जिसे बढ़े इस आयात से जोड़ा नहीं जा सकता है।

(xii) इंगोट के उत्पादन में व्यापक वृद्धि नहीं होने का एकमात्र कारक आवेदकों द्वारा उत्पादन को न बढ़ाने की इच्छा तथा अपने लाभ के लिए अन्य उत्पादों में वृद्धि करना है।

(xiii) उनके अनुप्रयोग में क्षमता उपयोग 42 प्रतिशत से 44 प्रतिशत है, जो दिखलाता है कि उनके क्षमता उपयोग में कोई कमी नहीं है।

(xiv) आयातित मूल्य और घरेलू मूल्य एलएमई मूल्य आधारित सूत्र पर निर्भर करता है और प्रायोगिक रूप से इन मूल्यों के बीच कोई अंतर नहीं है।

(xv) हालांकि, हिंडालको के विवरण काम में कमी आ रही है, वे अभी भी तार्किक रूप से ऊंचे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, निवल लाभ में कमी मुख्यत: एलएमई कीमत में कमी के कारण विक्रय मूल्य में कमी, ऊच्च वित्तीय लागत और व्यापक स्तर पर परियोजना के विस्तार आदि के कारण अवमूल्यन के कारण हुई है न कि इंगोट के बढ़े हुए आयात के कारण।

(xvi) कर्मचारी की संख्या में मामूली कमी उनके संयंत्र में संघर्षण और अउटोमेशन के कारण हुई है, जो उनके लाभ को बढ़ाने हेतु जानबूझकर किया गया है और इसे इनगोट के बढ़े हुए आयात से नहीं जोड़ा जा सकता है।

(xvii) डीआई से उत्पादन, विक्रय, उत्पादन, क्षमता उपयोग या रोजगार को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। विभिन्न वर्षों में लाभ के सूचीबद्ध मूल्य काफी भ्रमात्मक है, क्योंकि इसे लाभ में कमी को हानि के रूप में दिखाया गया है।

(xviii) तार छट एवं बिलेट के विक्रय में वृद्धि, जो कि कुछ अधिक लाभ देता है, के कारण इंगोट विक्रय में कमी आई है।

(xix) आयातित इंगोट पर सीमाशुल्क जो भारत में 5 प्रतिशत है, और किसी देश द्वारा नहीं लगाया जाता है। भारत में इस सीमाशुल्क को हटाने का मजबूत कारण है।

43. **एपीएआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कंडक्टर इंडस्ट्री)**

(i) यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है कि स्थानीय अल्युमीनियम उत्पादकों के विक्रय के मूल्य पर आयात में वृद्धि हुई है।

(ii) रक्षोपाय शुल्क के लगाने के कारण कंडक्टर निर्माताओं की लागत में आनुपातिक वृद्धि होती और चीन से आयातित कंडक्टर भारतीय कंडक्टर बाजार को पाट देते हैं। फैगमेंटेड इंडस्ट्री होने के नाते कंडक्टर इंडस्ट्री की रक्षा में रक्षोपाय सुरक्षा की संभावना नहीं है।

(iii) भारतीय निर्माता चीनी कंडक्टर निर्माता द्वारा आउट प्राइस कर दिए जाएंगे और कंडक्टर इंडस्ट्री ध्वस्त हो जाएगी।

(iv) यदि भारत में कंडक्टर निर्माताओं का काम बंद हो जाता है तो भारत में एल्युमीनियम उत्पादकों का भारत से कोई व्यापार नहीं होगा और पीयूसी (अल्युमीनियम) उत्पादकों के लिए भी रक्षोपाय शुल्क उत्पादनरोधी सिद्ध होगा।

44. साथ ही उपर्युक्त आवेदनों के बावजूद अल्युमीनियम इंगोट पर रक्षोपाय शुल्क लगाने का विरोध करते हुए निम्नांकित पक्षधारियों, जिन्हें इसमें हितधारी पक्ष के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था, द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं :

1. मैसर्स मान अल्युमीनियम लिमिटेड
2. बोरेगांव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
3. महाराष्ट्र कंडक्टर एसोसिएशन
4. शिव चेतना इलेक्ट्रिकल्स कर्नाटक
5. वी आर पाटिल, विविध विद्युत निर्माण प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटक
6. स्टर्निंग एंड बिलसन लिमिटेड, मुंबई
7. ईएमसी लिमिटेड (जेवी) श्रीनिवास इलेक्ट्रिकल्स, नासिक
8. विदर्भ इलेक्ट्रिकल कंडेक्टर्स एसोसिएशन, नागपुर
9. विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, नागपुर
10. विनायक एल्युमीनियम प्राइवेट लिमिटेड यूटेनशिल्स मेन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन

11. उड़ीसा एल्युमीनियम यूटेनशिल्स मेन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन

12. फेडरेशन आफ आल इंडिया यूटेनिशल्स मैन्यूफैक्चरर्स

13. मैसर्स एवरेस्ट एल्युमीनियम प्राइवेट लिमिटेड

14. किंगडम आफ बहरीन

15. मलेशिया ऊच्च आयोग

16. अलोम एक्सट्रूजन्स लिमिटेड, कोलकाता

17. सुडाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

18. राखी एजेंसीज लिमिटेड

19. इंडो एल्युस इंडस लिमिट

V.अन्य हितधारी पार्टियों द्वारा रिस्वाइंडट आवेदन

45. **केबल एंड कंडक्टर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएसीएमएआई)**

(i) घरेलू उद्योग ने अपने लिखित आवेदन में यह स्वीकार्य किया है कि कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि कुल मिलाकर मानदंडों में हाल में सुधार किया है। किसी अदृश्य विकास का कोई उल्लेख नहीं है और कोई क्रेडिटेबल और संभाव्य समाशोधन मोहलत नहीं दी गई है।

(ii) घरेलू उद्योग का क्षमता उपभोग यह बताता है कि आयात अपरिताओं और वह घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारण हुआ क्योंकि किसी अतिरिक्त क्षमता को अनुप्रयुक्त नहीं जोड़ा गया।

(iii) घरेलू उद्योग के आयात में इस अवधि के दौरान वृद्धि और बाजार शेयर में कमी के दावे किए गए जबकि उनके उत्पादन, क्षमता उपयोग, निर्यात विक्रय और सबसे महत्वपूर्ण विनियोग पर लाभ और रिटर्न (आरओआई) में व्यापक सुधार आया है। अतएव, ऐसी कोई क्षति नहीं हुई है, जिसे आयात में वृद्धि से जोड़ा जा सके।

(iv) निर्यात बाजार को प्रत्यामिकता देने वाले घरेलू उद्योग के कारण घरेलू विक्रय में कमी हुई है, यदि उन्हें निर्यात बाजार में औने पौने दाम पर अपने उत्पादों को डंप करते हुए निर्यात करने पर बाध्य किया जाता तो उसके लाभ नीचे गिए गए होते।

(v) प्राधिकरण के समक्ष घरेलू उद्योग आयात के कारण क्षति के दावे पर रही है जबकि नालको ने अन्वेषण में भाग नहीं लिया है और न ही आयात में वृद्धि के कारण किसी क्षति का दावा किया है।

(vi) यह स्पष्ट है कि पीयूसी एक बड़ी मात्रा पुन: निर्यात हेतु आयात की गई है। घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा यथा अभिकथित खपत हेतु आयात में वृद्धि नहीं हुई है। आयात का अर्थ है कि घरेलू बाजार में वृद्धि विस्तारन नहीं हुई।

(vii) घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आयात में वृद्धि का कोई भी कारण वास्तविक नहीं है। किसी में मामले में यह अदृश्य तो बिल्कुल नहीं है।

(viii) घरेलू उद्योग के पैरामीटरों की समग्र ढांचा से उसे हुई किसी प्रकार की क्षति का पता नहीं चलता है।

(ix) घरेलू उद्योग का दावा है कि क्षति पहुंचाने वाले कारकों में एक मात्र कारक बढ़ा हुआ आयात है, जबकि उसी पैरा में यह स्वीकार करता है कि पीयूसी की मांग में भारत में जहां कमी आई वहीं इसके निर्यात में वृद्धि हुई है।

(x) चूंकि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है अतएव कारक सूत्र विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। साथ ही घरेलू उद्योग की अपेक्षा से कम वृद्धि हेतु बढे हुए आयात को छोड़कर अन्य कारक जिम्मेदार हैं।

(xi) सीएसीएमएआई के सदस्य और प्रत्येक अन्य उद्योग आयातित उत्पाद से प्रतिस्पर्धा करते हैं और निम्न सीमा तक रक्षोपाय शुल्क के कारण वे लागत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर पाएंगे। प्रयोक्ता उद्योग भी भारत में माल का उत्पादन करते हैं और घरेलू उद्योग की तुलना में कहीं अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। यदि प्रयोक्ता उद्योग बंद हो जाते हैं तो यह जनहित के खिलाफ होगा और घरेलू उद्योग के भी खिलाफ होगा क्योंकि ऐसी स्थिति में वे किसे अपने उत्पादों का विक्रय करेंगे।

(xii) अतिरिक्त मांग को पूरा करने हेतु घरेलू उद्योग के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है और आयात का कारण उनके द्वारा घरेलू मांग को पूरा नहीं किया जाना रहा है।

(xiii) बिना शुल्क लगाए जाने के बावजूद भी हाल ही में घरेलू उद्योग के सभी मानदंडों में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है।

46. **एपीएआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड**

(i) कंडक्टर सेगमेंट प्रायोगिक रूप से अल्युमीनियम के परिमाण का आधा है और इन्हें विदेशी कंपनियों, विशेषत: चीनी कंपनियों, से प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। रक्षोपाय शुल्क लगाने से भारतीय कंडक्टर इंडस्ट्री अप्रतिस्पर्धी हो जाएगी और (चीन से) आयातित कंडक्टरों का सैलाब आ जाएगा।

(ii) कंडक्टरों के लिए भारतीय बाजार को खोना न तो भारतीय कंडक्टर उद्योग न ही, भारतीय अल्युमीनियम उद्योग के लिए हितबद्ध होगा क्योंकि इसका अर्थ 100 प्रतिशत भारतीय कंडक्टर उद्योग को समाप्त करना होगा। वहीं वह भी उल्लेख है कि 50 प्रतिशत अल्युमीनियम खपत भारतीय कंडक्टर उद्योग में होती है । यह पहले ही देखा जा चुका है कि इन्सुलेटरों उद्योग पावरग्रिड और अन्य प्रयोक्ता के मामले में चीनी इनसुलेटरों का प्रयोग किया जाने लगा जब वे भारतीय इनसुलेटर से सस्ते थे।

(iii) प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क व्यापक जनहित में नहीं है, क्योंकि इससे पिछली और अन्य बहुत से उपभोक्ता उत्पादों की लागत में वृद्धि होगी।

47. **इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन (आईईईएमए)**

(i) जनहित के संबंध में घरेलू उद्योग के आवदेन के विषय में प्रबल आपत्ति

(ii) अन्य आवेदन एपीएआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में यथा उल्लिखित के अनुसार ही बिंदुबार के समान हैं।

48. **मैसर्स ईएलपी के अधिवक्ताओं और सोलिसिटरों के माध्यम से मैसर्स अल्युमीनियम बहरीन बीएससी**

(i) आवेदन की पूर्ण समीक्षा नहीं की गई है।

(ii) आयात में पूर्ण वृद्धि हुई है, परंतु केवल आयात में वृद्धि से रक्षोपाय शुल्क लगाने का पर्याप्त आयात नहीं बनता है।

(iii) बहरीन एक विकासशील देश है, जिसका आयात में डीमाइनस शेयर है और इसे वर्तमान अन्वेषण के दायरे से बाहर कर दिया जाना चाहिए।

(iv) क्षति के आंकड़े और सार्वजनिक डोमेन रिपोर्ट यह बतलाती है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति स्वयं की गलती के कारण हुई है।

(v) सार्वजनिक डोमेन में घरेलू उद्योग के खुद के अनुमानों के अनुसार इसे क्षति की कोई आशंका नहीं है।

(vi) कार्य कारण सूत्र में व्यापक स्तर पर दरार है, क्योंकि आयात में वृद्धि और क्षति के मानदंडों के बीच में कोई संबंध नहीं है।

(vii) क्षति के लिए अन्य कारक जिम्मेदार है।

49. **यूएई, अर्थव्यवस्था मंत्रालय**

(i) अधिसूचित तथ्यों में से कोई अदृश्य घटनाक्रम नहीं है और भारत यूपीसी किए गए आयात में वृद्धि मध्यपूर्व में अधिशेष क्षमता से जुड़ी है।

(ii) याचिका दर्शाती है कि भारत में अन्वेषण की कृतक की अवधि में पीयूसी की मांग में कमी आई है। याचिकाकर्ता ने मध्यपूर्व में उत्पादन की क्षमता में अभिवृद्धि के विषय में ज्ञात आंकड़े दिए हैं परंतु यह दिखाने में असफल हो गए कि भारत में पीयूसी के आयात में वृद्धि मध्यपूर्व में अधिक क्षमता से जुड़ी है।

(iii) याचिकाकर्ता का यह दावा है कि यूएई में मांग और आपूर्ति में व्यापक अंतर है, जिसके कारण मध्यपूर्व के देश भारतीय बाजार को दृढ़ता से लक्ष्य बना रहे हैं, का कोई आधार नहीं है जो कि विगत दशक में यूएई या मध्यपूर्व के अन्य देशों से पीयूसी के आयात के आंकड़े से स्पष्ट हो जाता है।

(iv) रक्षोपाय अन्वेषण का लक्ष्य अनुचित आयात नहीं अपितु उचित आयात हैं, को अनुचित व्यापार कार्य के आरोपों के बिना है और जिसके कारण याचिकाकर्ता का यह आरोप खारिज हो जाता है मध्यपूर्व के देशों द्वारा यह व्यापक रूप से लक्षित है।

(v) यूएई से पीयूसी आयात के लेनदेन का विस्तृत डाटा मुहैया कराए जाएं।

(vi) घरेलू उद्योग के वित्तीय दस्तावेज स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि कोई क्षति नहीं हुई है या क्षति की आशंका नहीं है। इसके बजाय इन दस्तावेजों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता वित्त वर्ष 2013-14 की अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर रहे हैं।

(vii) विचाराधीन उत्पाद के आयात के समान का आवेदकों के संगत क्षति पर कोई प्रभाव नहीं है।

(viii) अन्य कारकों का आवेदकों के प्रदर्शन पर व्यापक प्रभाव है, जो अभिहद आयात और अभिकथित क्षति के बीच किसी संपर्क को तोड़ते हैं।

(ix) वर्ष 2013-14 के हाल ही के पीओआई में उत्पाद की मांग में व्यापक कमी देखी गई है, जिसने डीआई के विक्रय और बाजार शेयर को क्षति पहुंचाई है। मांग की रुझान और घरेलू उद्योग के निष्पादित विशेषत: घरेलू विक्रय के बीच संबंध हैं।

(x) वर्ष 2012-13 की अवधि के आंकड़ों से पता चलता है कि आयात का याचिकाकर्ता के निर्यात निष्पादन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि इस अवधि के दौरान आयात में वृद्धि का याचिकाकर्ता के निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जो अन्वेषण अवधि में अपने सबसे निम्नतम स्तर पर आ गया है। निर्यात निष्पादन के पीछे याचिकाकर्ता के निर्यात में व्यापारिक अवसर है जो घरेलू बाजार के मुख्य पर हैं।

(xi) याचिकाकर्ता ने एलएमई के डिप्रेस्ट प्राइसेस और याचिकाकर्ता पर इसके प्रभाव का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि वह यह इसको दिखलाता है कि डीआई कथित क्षति आयात के कारण नहीं अपितु एलएलई कीमत में कम होने की रुझान की वजह से हुई है।

(xii) पीओआई के दौरान अल्युमीनियम की एलएमई कीमतों में व्यापक गिरावट, जो 25 से 30 प्रतिशत तक है के बावजूद विक्रय कीमत में वृद्धि संगत गिरावट नहीं आई है।

(xiii) सूक्ष्म क्षति के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे न्यायोचित नहीं हैं, क्योंकि एक ओर यहां याचिकाकर्ता ने अन्वेषण अवधि के दौरान विक्रय मूल्य में वृद्धि करता रहा, वहीं दूसरी ओर आयात याचिकाकर्ता के विक्रय मूल्य से कम रहा होगा, क्योंकि इस अवधि में याचिकाकर्ता ही ने एलएमई के गिरते दामों को ध्यान में रखते हुए दामों में कमी नहीं की है, बल्कि याचिकाकर्ता ने अपने विक्रय मूल्य को बढ़ाता रहा है और उसकी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय दस्तावेजों में यथा संस्थापित अपने लाभ को बनाए रखने हेतु एलएमई की कीमत में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं और प्रयोक्ताओं को नहीं दिया है।

(xiv) यूएई या मध्यपूर्व देशों से सस्ते आयातों कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि वह पूर्णत: एलएमई कीमत + प्रीमियम के आधार पर प्राथमिक अल्युमीनियम के विश्वव्यापी मूल्यन तंत्र के अनुसार है।

(xv) रक्षोपाय शुल्क लगाने से निस्त्रावन उद्योग हेतु कच्चे माल की कीमत और तैयार माल, अर्थात निस्तावन की लागत में वृद्धि होगी।

(xvi) रक्षोपाय लगाया जाना जनहित में नहीं होगा, क्योंकि इससे भारतीय बाजार में अल्युमीनियम के मूल्य में केवल वृद्धि ही होगी और भारतीय बाजार में इस उत्पाद के मुख्य अंत प्रयोक्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।

VI. घरेलू उद्योग द्वारा पोस्त पीएच आवेदन का रिज्वांइडर

(i) पीयूसी अल्युमीनियम बिलेट्स कंडक्टर, शेल्ड उत्पाद/निस्त्रावित उत्पाद आदि से अलग है, क्योंकि इंगोट लगातार डालुआ मदें हैं जबकि कड़े रॉड, प्लेत, शीत, तार ड्राउन आइटम हैं, को हॉट रोल्ड या कोल्ड रोल्ड होते हैं। वे सब निर्माण प्रक्रिया में कस्टम्स टैरिफ एक्ट, 1975 के अनुसार अलग चरण के उत्पाद हैं। एल्युमीनियम इगांट, बिलेट्स कंडक्टर को भिन्न उत्पादों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) उपभोक्ताओं द्वारा उत्पाद के आयात का एकमात्र कारण आयातित उत्पाद कम कीमत का होना है। विदेशी उत्पादक दीर्घकालिक उधार देता है और वह भी कम ब्याज दर पर, जिससे उपभोक्ता उत्पाद के आयात हेतु प्रेरित होते हैं।

(iii) एक ओर यहां पार्टियों ने यह बतलाया है कि विदेशी उत्पादक और घरेलू उत्पादक सीएमई के आधार पर अपने उत्पादों का सूत्र तय करते हैं, उन्होंने यह कहा है कि एमएमई के गिर पाने पर घरेलू उद्योग अपनी कीमतें कम नहीं करते हैं। यदि एलएमई मूल्य पर घरेलू उद्योग का मूल्य आधारित है तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह एलएमई के अनुसार ही होता है।

(iv) एफटीए का उद्देश्य व्यापार में विरूपण नहीं था और न ही कि आयात में वृद्धि हो जाए, न ही एफटीए का उद्देश्य एफटीए में सीमाशुल्क की कमी करना था, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो। आवेदन से यह स्पष्ट होता है कि एफटीए के परिणामत: उपभोक्ताओं ने आयातित उत्पाद को सस्ता पाया।

(v) आयात में वृद्धि से घरेलू उद्योग के विक्रय परिमाण और मार्केट शेयर में गिरावट आई है।

(vi) नालको एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। नालको को अपने निष्पादन और इसके संबंध में समाधान के लिए स्वयं विचार करना है। वर्ष तथ्य से यह सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग के विक्रय परिमाण और बाजार अंश में व्यापक कमी आई है। इसी प्रकार, नालको ने महत्वपूर्ण विक्रय परिमाण और बाजार अंश खो दिए हैं। संभवत: यह कंपनी की पीएसयू होने के कारण और पीएसयू कंपनी द्वारा इस बढ़ते आयात के कारण होने वाली क्षति के समाधान हेतु सरकार तक पहुंचने की उसकी सीमा के कारण है कि नालको ने इस अन्वेषण में अब तक भाग नहीं लिया है।

(vii) क्षमता उपयोग और उत्पादन में गिरावट के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने क्षति के दावे नहीं किए हैं।

(viii) यह आवश्यक नहीं है कि हमारे मानदंडों पर अवनति दिखे। संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय समुदायों से व्हीट ग्लुटेन के आयात पर निश्चित रक्षोपाय, जिसे एबी रिपोर्ट में उचित ठहराया गया है, के मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल ने कहा है कि घरेलू उद्योग का प्रदर्शन एक या एकाधिक मानदंडों पर स्थापित किया जा सकता है।

(ix) यह तर्क कि तार रॉड और बिलेट के विक्रय में वृद्धि से जिससे उच्च लाभ प्राप्त होता है, इंगोट विक्रय में कमी आई है निराधार है। विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में वायर रॉड और बिलोट्स में वृद्धि से गिरावट आनी चाहिए। उत्पादन में गिरावट विक्रय में गिरावट ला सकती थी। तथापि, इस मामले में उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू विक्रय में महत्वपूर्ण कमी आई है।

(x) पड़ोसी देश अल्युमीनियम इंगोट का उत्पादन नहीं करते हैं। साथ ही बहुत सारे देश फैले यूरोप, अमेरिका, रूस, ब्राजील, विकसित इंगोट पर सीमा शुल्क लगाते हैं।

(xi) हितधरी पार्टियों के प्रतिविरोध का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है कि मुख्यत: करने की नोटिस में प्रदत्त आंकड़े गलत हैं। सभी संगत सूचनाएं महानिदेशक (रक्षोपाय) को दी गई हैं।

(xii) इस तर्क में कोई बल नहीं है कि डीआई अपने पूरे उत्पाद का निर्यात करता है और घरेलू आवश्यकताओं को धातु की आपूर्ति न कर कृत्रिम कमी उत्पन्न करता है। घरेलू उद्योग केवल निर्यात के लिए बाध्य है क्योंकि वे घरेलू बाजार में विक्रय नहीं कर सकते हैं।

(xiii) याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक सुनवाई के समय वर्ष 2013-14 के आंकड़े उपयोग किए हैं। साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन मार्च, 2014 तक की अवधि का आंकड़ा प्रयोग करता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा प्रयुक्त डाटा पर टिप्पणियां करने हेतु हितधारी पार्टियों को पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके।

(xiv) याचिकाकर्ता ने मात्र गोपनीय सूचनाओं के भी दावे किए हैं, जिसकी विश्वसनीयता कानून के तहत सुरक्षित हैं। हितधारी पाटियों द्वारा लेखा कोई विनिर्दिष्ट उदाहरण नहीं दिया गया है जो यह दिखलाता है कि सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और याचिकाकर्ता ने इस सूचना को छिपाया है।

(xv) वर्ष 2012-13 की सूचना में अन्वेषण अवधि स्पष्ट रूप से कष्ट होती है। कानून के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि सूचना पूर्ण रूप से अन्वेषण की अवधि को कष्ट करे। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने भारतीय बाजार में मध्यपूर्व से बढ़ते हुए आयात को दिखाया है। याचिकाकर्ता ने क्षति की अवधि में मध्यपूर्व में गिरते हुए निर्यात से दिखाया है।

(xvi) हितधारी पार्टियों ने अनुरोध किया है कि इसने भारत में बढ़ते हुए आयात मध्यपूर्व में कथित अधिक क्षमता का परिणाम नहीं है। याचिकाकर्ता ने प्रकाशित स्रोतों के आधार पर सूचनाएं दी हैं। आयातक ने यह नहीं दिखाया है कि वास्तविक तथ्य याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवेदित तथ्य से भिन्न है। वास्तव में निर्यातक ने अपने डाटा के आधार पर यह नहीं दिखाया है कि निर्यातक के पास अधिक क्षमता नहीं थी और निर्यातक घरेलू बाजार में ही संपूर्ण उत्पाद का विक्रय कर रहा है, न ही निर्यातक ने यह दिखलाया है कि उत्पादन और विक्रय में मध्यपूर्व में उत्पादन और विक्रय का महत्वपूर्ण भाग शामिल है।

(xvii) याचिकाकर्ता ने 2012 और 2013 में घटित घटनाओं को संदर्भित किया है। लाभ की अवधि में आयात में वृद्धि को हाल ही में घटित घटनाओं के आलोक में देखा जाना चाहिए। यह उचित नहीं है कि आयात में वृद्धि पर 2013-14 के आंकड़े के आलोक में विचार किया जाए और अदृश्य घटनाएं 2010-11 की देखी जाएं।

(xviii) भारत में आयात के पैटर्न को देखने से पता चलता है कि अधिक क्षमता को भारत में खपाया जाता रहा है। चीन में आयात में भारी कमी आई है और विदेशी उत्पादक अन्य बाजारों में अपने विक्रय की कमी से जूझ रहे हैं।

(xix) मध्यपूर्व में उसी की कम लागत सर्वविदित है। तथापि, इन क्षेत्रों में व्यापक क्षमता वृद्धि जो कटोर मांग की तुलना में बहुत अधिक है, एक अदृश्य करता है। इन क्षमताओं के विकास का उद्देश्य घरेलू बाजार के बाहर, जैसे की भारत में, उत्पाद का विक्रय करना है।

(xx) हितधारी पार्टियों द्वारा यह तर्क कि मूल्य वर्धित उत्पादों पर फोकस है, क्योंकि वे उच्च लाभ देते हैं और शेष बची सामग्री और क्षमता उसके बाद विचाराधीन उत्पाद के लिए उपयोग की पाती है, तभी संगत होता अब याचिकाकर्ता के विचारधीन उत्पाद में कमी दर्ज की पाती और उत्पादन में कमी के कारण याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग को क्षति का दावा करता है।

(xxi) कंपनी की क्षमता उपयोग असंगत है और उसने उत्पादन में कमी का दावा नहीं किया है, इसे बढे हुए आयात के कारण क्षति को दर्शाता है।

(xxii) निर्यात के अत्यधिक बढ़ने से विक्रय परिमाण में कमी आई है। इस तर्क के पीछे कोई आधार नहीं है। तथ्य यह है कि घरेलू विक्रय में कमी के कारण घरेलू उद्योग उत्पाद के निर्यात के लिए बाध्य हुआ।

(xxiii) आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग के विक्रय परिमाण में कमी आई है। आयातों ओर घरेलू कीमतों के बीच कीमतों की कमी से यह पता चलता है कि उपयोगता आने आयातित सामग्रियों को तरजीह दी, क्योंकि आयातित वस्तु की कीमतें घरेलू उत्पाद की कीमत से कम थी।

(xxiv) डीआई ने क्षति अवधि के दौरान लगातार उपयोग किए गए तौर तरीकों को अपनाकर लाभप्रदत्त की रिपोर्ट दी है। साथ ही, याचिकाकर्ताओं ने अपने उत्पाद की लागत प्राप्त की है और एक कार्यरत कॉस्ट एकाउंटेंट द्वारा लाभ का विवरण हस्ताक्षरित करवाया है। कॉस्ट एकाउंटेंट ने उत्पादन लागत की व्यापक समीक्षा की है और स्वीकार्य मानदंडों के आधार पर उत्पादन की लागत और लाभ पर निर्धारण किया है। अतएव, विचाराधीन उत्पाद का लाभ विभिन्न तरीकों पर कॉस्ट एकाउंटेंट द्वारा निर्धारित किया गया है। इसलिए, घरेलू उद्योग के समेकन के समय यह नोटिस किया गया है कि पूर्व में दावे किए गए लाभ में गणनात्मक त्रुटियां हैं।

(xxv) साथ ही वर्ष 2013-14 में लाभ संभाव्यता में वृद्धि उत्पाद के प्रचालनात्मक लाभ संभाव्यता में सुधार का परिमाण है। वर्ष 2013-14 में लाभ में वृद्धि (क) 2013-14 में व्यापक लागत में व्यापक कमी (ख) विनिर्माताओं में सुधार के कारण वसूली में वृद्धि के कारण हुई है।

(xxvi) चूंकि रक्षोपाय अन्वेषण उत्पाद आधारित है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद पर विचार करके ही उत्पादन की लागत, बिना क्षति की कीमत, विक्रय मूल्य और लाभ संभाव्यता का निर्धारण करने की आवश्यकता है। वर्तमान में याचिका में शामिल नहीं किए गए उत्पादों के संबंध में मानदंड पूर्णतया असंगत हैं।

(xxvii) याचिका में प्रस्तुत डाटा न केवल अधिक क्षमता को स्पष्ट रूप से दिखलाता है बल्कि इस उत्पाद के लिए बढ़ती क्षमता को दिखलाता है।

(xxviii) घरेलू उद्योग एलएमई मूल्यों को अपना बेंचमार्क कीमत मानता है और इसके पीछे कोई कारण नहीं है कि कीमत एलएमई मूल्यों के अनानुपातिक रूप से बढ़ाये।

(xxix) यह तर्क दिया गया है कि घरेलू विक्रय परिमाण और आयात में कोई संबंध नहीं है। डीआई द्वारा यह बताया गया है कि यह तर्क सही नहीं है। इस अवधि के दौरान आयात में वृद्धि के खास वर्तमान वर्ष में उत्पादन के बावजूद घरेलू उद्योग को विक्रय में भारी कमी आई है। साथ ही, घरेलू उद्योग के बाजार में अंश में तेज गिरावट हुई है। जबकि आयात का बाजार अंश बढ़ा है। यह भी देखा जाता है कि हाल की अवधि में उत्पाद की मांग घटी है और आयात में बढ़ी है। इस प्रकार, उत्पादन की देश में मांग घटने के बावजूद आयात में वृद्धि हुई है। मांग में इस कमी के परिणामत: आयात के परिमाण में भी अनुपातिक गिरावट आनी चाहिए। तथापि, आयात के परिमाण में वृद्धि हुई है। साथ ही, 2012-13 में भी आयात में वृद्धि (68 प्रतिशत) घरेलू उद्योग के विक्रय (13 प्रतिशत) से बहुत अधिक थी।

(xxx) बढ़े हुए आयात के कारण लाभ में कमी आई है, परंतु "अन्य कारकों" के कारण घरेलू उद्योग ने लाभ अर्जित किए। इन नियमों के अंतर्गत महानिदेशक (रक्षोपाय) को अन्य कारकों को अलग करने की आवश्यकता है। अतएव, अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग के लाभ को पृथक करने की आवश्यकता है। एक बार यह कर देने के बाद, घरेलू उद्योग के लाभ में कमी दिखने लगती है।

(xxxi) एलएमई के मूल्य में उतार चढ़ाव कोई असाधारण नहीं है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं और उत्पादकों पर एलएमई के मूल्यों में उतार चढ़ाव से कोई प्रति इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्पादक एमएलई मूल्यों में उतार चढ़ाव के संभावित प्रभाव से अपने निष्पादन को बचाने हेतु आर्डर प्राप्त कर तुरंत कच्चे माल की बुकिंग कराते हैं।

(xxxii) बहरीन से आयात वर्तमान में विकासशील देशों की निर्धारित सीमा से कम है। इसके कारण बहरीन उत्पादक तो पीड़ित पार्टी के रूप में विचार नहीं किए जाने चाहिए।

(xxxiii) मध्यपूर्व से भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है और मध्यपूर्व से दुनिया भर में प्रचालित दाम से कम पर निर्यात किया जाता है। इसके कारण अन्य देशों से आयात में वहां कमी आई है, वहीं मध्यपूर्व से आयात में वृद्धि हुई है।

(xxxiv) हितधारी पार्टी द्वारा मिनरल्स एंड मेटाल्स रिव्यू मैगजीन से संदर्भित कुल भारतीय उत्पाद हॉट मेटल आधारित कुल भारतीय उत्पाद है न कि विचाराधीन उत्पाद।

(xxxv) नोवेलिस को हानि नहीं हुई है। साथ ही, घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध सूचना (क) भारतीय कंपनियों के संबंध में (ख) विचाराधीन उत्पाद हेतु और (ग) विचाराधीन उत्पाद के घरेलू प्रचालनों के संबंध में है।

(xxxvi) सहज इस बात के लिए कि अल्युमीनियम इंगोट के आयात में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग अथवा प्रचारणक का विस्तार योजना बंद न करें। विस्तार योजना एक लंबा चौड़ा अभियान है। घरेलू उद्योग ने 27,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और यह वर्ष 2009-10 में शुरू हुआ। जब उद्योग ने इन विस्तारों की योजना बनाई तो आयात में वृद्धि से बाजार नहीं सूझ रहा था।

(xxxvii) सीआरयू और बुड मेकेंसी द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि भारत की तुलना में मध्यपूर्व के देशों में लागत बहुत ही कम है। यह मुख्यत: वहां उसी लागत का कम होना है, जो उत्पाद की लागत का एक प्रमुख भाग होता है।

(xxxviii) बढ़े हुए आयात पर भारत में आयात को ध्यान में रखते हुए किया जाना वांछित है। इस उद्देश्य से शुल्क मुक्त और शुल्क प्रदत्त आयात को पृथक नहीं किया जाता है। निर्यात हेतु आयात पर कोई शुल्क नहीं है। अत: रक्षोपाय शुल्क लगाने से उपभोक्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(xxxix) जैसा कि अन्य हितधारी पार्टियों द्वारा स्वीकार किया गया है घरेलू उद्योग की कीमत एलएमई आधारित है। अतएव, एलएमई मूल्य पर यदि घरेलू उद्योग की कीमत आधारित है तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह एलएमई के अनुसार होगा।

(xl) नोवेलिस यूरोप को कोई निर्यात नहीं किया गया है।

(xli) घरेलू उद्योग ने अत्यामिक विश्वसनीयता के दावे नहीं किए हैं। घरेलू उद्योग के निर्यात विक्रय की सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। साथ ही, घरेलू बाजार में क्षति की उपस्थिति या अनुपस्थिति का निर्धारण करने के लिए निर्यात विक्रय मानदंड नहीं है। साथ ही, निर्यात में वृद्धि या कमी का निर्धारण सूचीबद्ध आंकड़ों से अच्छा से हो सकता है।

(xlii) दावे की गई क्षति उत्पादन के कारण नहीं है। तथापि, यह एक तथ्य है कि उत्पादन में ह्रास के कारण उत्पादकता में ह्रास हुआ है।

(xliii) अदृश्य घटनाओं को संपुष्टि करने हेतु साक्ष्य दिया गया है। यह रिपोर्ट का संगत उद्धरण है, जिसे गोपनीय बनाने का दावा किया गया है, क्योंकि उसे विश्वसनीय खंड के साथ प्राप्त किए गए हैं।

(xliv) चीन का एक शुद्ध आयातक से आत्मनिर्भर और पुन: विश्व व्यापार में उदीयमान खिलाड़ी के रूप में उभरना एक अप्रत्याशित घटनाक्रम है। अतएव, मध्यपूर्व देशों द्वारा चीन को लक्ष्य कर निर्मित अधिक क्षमता भारत की तरफ मोड़ दिया गया।

(xlv) मांग में कमी होने के बावजूद भी घरेलू उद्योग को आयात से क्षति हुई है, जो पहले से ही देश में मांग की कमी की समस्या से जूझ रहा था।

(xlvi) अंतिम रूप से प्राप्त उत्पाद पर नगण्य प्रभाव को देखते हुए और घरेलू उद्योग के संशोधियता को आवश्यक समझते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रक्षोपाय शुल्क जनहित में है।

(xlvii) घरेलू उद्योग को उसकी खपत में कमी, कच्चे माल की लागत में कमी, मानवशक्ति लागत में कमी और मेल्टस लॉस में कमी पर ध्यान देते हुए एक विस्तृत समायोजन योजना दी गई है।

(xlviii) इस उत्पाद का एक समर्पित कस्टम क्लासीफिकेशन कोड है। इस कोड के अंतर्गत आने वाले आयात को विषय आयात के रूप में लिया जाता है। यूएई का कोई भी निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है और संगत सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है।

(xlix) वर्ष 2011-12 में आयात घटा है और घरेलू उद्योग के विक्रय में कमी आई है। अतएव, घरेलू उद्योग की कोई शिकायत नहीं है। वर्ष 2013-14 में घरेलू उद्योग विक्रय घटा है और आयात बढ़ा है तथा इसके कारण घरेलू उद्योग बढ़ते हुए आयात के कारण क्षति झेल रहा है।

(l) गत मात्र अनुमान है कि रक्षोपाय शुल्क के कारण मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। घरेलू उद्योग अपनी मूल्यन नीति को जारी रखना चाहता है, जैसा कि विगत समय में किया जाता रहा है।

(li) विचाराधीन उत्पाद का आयात वास्तविक रूप से उत्पाद, घरेलू उद्योग का विक्रय और भारत में खपत के संबंध में बढ़ा है। परिमाणत: घरेलू उद्योग का बाजार अंश गिरता है। आयात से घरेलू उद्योग के बाजार अंश में कमी आई है, जिसके परिणामत: लाभ संभाव्यता और आरओआई में कमी आई है।

(lii) घरेलू उद्योग पूर्व में अपनाई गई मूल्यन नीति को ही चरमाई है। वास्तव में, घरेलू उद्योग को उस मूल्यन प्रणाली पर समझौता करने के लिए बाध्य किया गया है, जिसे घरेलू उद्योग द्वारा अपनाया गया क्योंकि विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा कमतर मूल्य दिया जाता है। जब विदेशी आपूर्तिकर्ता छूट सहित मूल्य रख रहे हैं, घरेलू उद्योग अपनी पूर्व मूल्यन नीति को भी कायम नहीं रख सके।

(liii) उपभोक्ताओं ने आयात को इसलिए तरजीह दी है कि अपने आयात को घरेलू कीमतों की तुलना में और अधिक आकर्षक पाया। कम ब्याज दर पर दीर्घावधि तक उधार आयात करने के कारणों में से एक है।

(liv) याचिकाकर्ताओं ने निर्यात हेतु आयात पर रक्षोपाय शुल्क की मांग नहीं की है। साथ ही निर्यात हेतु आयात पर रक्षोपाय शुल्क किसी मामले में नहीं लगाया जाता है।

(lv) देश में उत्पाद की मांग/खपत में आयात की प्रतिशतता 29 प्रतिशत है जिसे नगण्य नहीं माना जाता है।

(lvi) भारत से इंगोट का निर्यात निम्नांकित है :

	यूनिट	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**
निर्यात (एमटी)	एमटी	133,658	118,354	74,606	221,018
घरेलू विक्रय (एमटी)	एमटी	416,993	408,225	461,509	342,800
मांग (एमटी)	एमटी	740,674	703,937	765,688	657,698
प्रवृत्ति					
निर्यात (एमटी	सूची	100	89	56	165
घरेलू विक्रय (एमटी)	सूची	100	98	111	82
मांग (एमटी)	सूची	100	95	103	89

यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग घरेलू विक्रय में कमी की समस्या से जूझ रहा है। यदि घरेलू उद्योग का लक्ष्य निर्यात है तो रक्षोपाय शुल्क लगाकर घरेलू उद्योग कोई लाभ प्राप्त नहीं करेगा।

(lvii) भारत में निर्यात भारत में आयात का परिणाम है। यदि उत्पाद का आयात घटता है, तो निर्यात स्वयं घट जाता है, यदि घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में नहीं चाहता है तो घरेलू उद्योग रक्षोपाय की मांग कर कुछ लाभ प्राप्त नहीं करेगा।

(lviii) घरेलू उद्योग की क्षति के दावे घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धी स्थिति के बावजूद है। जबकि जेएसके ने प्रतिविरोध किया है कि घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी है, अन्य हितधारी पार्टियों ने प्रतिविरोध किया है कि मध्यपूर्व में लागत बहुत ही कम है (अर्थात घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी है)। इनके विपरीत मतों के बावजूद, याचिकाकर्ताओं ने तथ्यात्मक सूचना दी है जो दिखलाता है कि घरेलू उद्योग के बढ़े हुए आयात के कारण वृद्धि हुई है।

VII. जांच एवं जांच परिणाम

(क) मैंने इस मामले के रिकार्ड, घरेलू उत्पादकों, प्रयोक्ताओं/आयातकों, निर्यातकों और निर्यातक राष्ट्रों द्वारा दायर प्रत्युत्तरों की सावधानीपूर्वक जांच की है। विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों तथा उनसे उत्पन्न मुद्दों का इस अंतिम जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर समाधान कर दिया गया है।

(ख) सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख में आयातों पर अधिरोपित किए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क का उल्लेख है। इसकी उपधारा (1) में प्रावधान है कि यदि किसी वस्तु का भारत में इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत आयात किया जा रहा है कि उससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो तो केंद्रीय सरकार उस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण कर सकती है।

(ग) सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 में जांच को शासित करने वाले सिद्धांतों एवं तरीकों का उल्लेख है।

(घ) यह जांच उन्हीं नियमों के अनुसार आयोजित की गई है तथा इस अधिसूचना के जरिए उसके अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए जा रहे हैं।

(क) जांचाधीन उत्पाद

50. वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "अनराट एल्युमिनियम के नाट अलायड इन्गट्स" है। इस उत्पाद दायरे में विशिष्ट रूप से अलायड इन्गट्स तथा एल्युमिनियम के उन सभी उत्पादों को जो इन्गट रूप में नहीं है जैसे बिलेट्स, बार्स, राड्स आदि को अपवर्जित किया गया है। विचाराधीन उत्पाद ढलवा एल्युमिनियम (अनराट) का आधारभूत रूप है। इसका उत्पादन गरम द्रव धातु को एक सांचे में उड़ेलकर ठोस बनाने की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य इस धातु को प्रहस्तन एवं परिवहन के लिए आसान बनाना है। एल्युमिनियम इन्गट विभिन्न आकार एवं शेप में उपलब्ध हैं (एसटीडी-20 से 24 किलोग्राम ठोस इन्गट – 450 से 700 किलोग्राम)। द्रव एल्युमिनियम का उत्पादन क्रायोलाइट (एनए$_3$ एआईएफ$_6$) युक्त इलेक्ट्रोलाइट (बाथ) में घोलकर एल्युमिना (एएल$_2$ओ$_3$) के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन द्वारा किया जाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को निम्नवत लिखा जा सकता है :

2एएल$_2$ओ$_3$ (प्रविलीन) 3सी(एस) 4 एआई(आई) 3 सीओ$_2$ (जी) (1)।

50.1 इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पाद करने के लिए प्रीबेक्ड प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। प्रीबेक्ड प्रौद्योगिकी में प्रयोग किए जाने वाले एनोड्स को प्रीबेक्स एनोड्स के रूप में जाना जाता है जिनको पेट्रोलियम कोक, औसत तथा ब्लाक्स में ढाले गए कोलतार पिच बाइन्डर का मिश्रण करके बनाया जाता है और उन्हें लगभग 1120 डिग्री सेंटीग्रेड की पृथक एनोड बेकिंग भट्टी में बेक किया जाता है। तब लोके स्टड्स युक्त एल्युमिनियम राड को ढाला जाता है या एनोड को सपोर्ट देने के उद्देश्य से एनोड ब्लाक के टाप पर ग्रूब्स में रैम किया जाता है और इस एनोड में विद्युत धारा तब प्रवाहित की जाती है जब इसे सेल में स्थापित किया जाता है। द्रव गरम धातु का उत्पादन होने पर उसे कास्टिंग स्टेशन्स को अंतरित कर दिया जाता है।

50.2 इस विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 76 के सीमाशुल्क उपशीर्षक संख्या 76011010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत उद्योग, बरतन तथा अन्य ग्राहक ड्यूरेबल्स, परिवहन, पैकेजिंग, भवन एवं निर्माण, स्टील डि-आक्सीडाइजिंग, पायरोटेक्नीक्स, बिज, फाउंडरी, कास्टिंग तथा अन्य औद्योगिक एवं इंजीनियरिंग उपकरणों में किया जाता है। तदनुसार, यह भी संधारित किया जाता है कि घरेलू रूप से उत्पादित अनराट एल्युमिनियम के नाट अलायड इन्गट्स जांच के अधीन आयातित उत्पाद से सभी रूपों में समान या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी वस्तु के दायरे के अंतर्गत आते हैं और यह कि अनराट एल्युमिनियम के नाट-एलायड इन्गट्स सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 2(ड.) के आशय के अंतर्गत आयातित अनराट एल्युमिनियम के नाट-एलायड इन्गट्स वस्तु के बिल्कुल समान है।

(ख) घरेलू उद्योग :

51. सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8(ख) (6)(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नवत परिभाषित किया गया है।

"ख "घरेलू उद्योग" का आशय

(i) भारत में समान उत्पाद या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी उत्पाद के समग्र रूप से उत्पादकों; अथवा

(ii) उन उत्पादकों से होता है जिनका समान उत्पाद अथवा भारत में प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी उत्पाद का सामहिक उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है।

51.1 इस मामले में मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसके विनिर्माण संयंत्र रेनुकुट और हीराकुंड में हैं) मैसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड (जिसका विनिर्माण संयंत्र झारसूगुज है) और मैसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (विनिर्माण संयंत्र कोरबा में है) नामक तीन आवेदक हैं जो घरेलू उद्योग है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इस विचाराधीन उत्पाद का उनका उत्पाद भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का 71 प्रतिशत उत्पादन है। तदनुसार यह संधारित किया जाता है कि आवेदक घरेलू उत्पादक सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(6) (ख) के अंतर्गत परिभाषित एवं अपेक्षित आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं और वे घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(ग) सूचना का स्रोत

52. इस विचाराधीन उत्पाद के लिए आयात आंकड़े आवेदक द्वारा यथा प्रदत्त और इस निदेशालय में प्राप्त डीजीआईएंडएस की मासिक सीडी से यथासत्यापित डीजीसीआईएंडएस से लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 (दिसम्बर, 2013 तक) की अवधि के लिए आर्थिक पैरामीटरों से संबंधित घरेलू आंकड़ों को, यथासंभव सीमा तक घरेलू उद्योग के केंद्रीय उत्पाद कर रिकार्डों के आधार पर, आवेदकों की विनिर्माण इकाइयों का स्थल सत्यापन करके, सत्यापित किया गया है तथा क्षति विश्लेषण के लिए जांच की अवधि के लिए इस तरह सत्यापित आंकड़ों को विचारार्थ लिया गया है। वर्तमान जांच की कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त अवधि अर्थात मार्च, 2014 तक के लिए विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों के बारे में आवेदक द्वारा, विधिवत सत्यापित, यथाप्रस्तुत केंद्रीय उत्पादकर आंकड़ों पर, क्षति विश्लेषण के लिए वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक समेकित आंकड़ों पर पहुंचने हेतु, विचार किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों को अतिरिक्त सूचना रक्षोपाय नियमावली, 1997 के नियम 6(7) के अंतर्गत सार्वजनिक फाइल के जरिए उपलब्ध कराई गई थी। तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय के लिए आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा दिनांक 06-09-1997 के व्यापार नोटिस संख्या एसजी/टीएन/1/97 के साथ पठित रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 5(2) के अंतर्गत महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा निर्धारित स्वरूप और ढंग में प्रदान कराए गए है। सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय पाठ सर्व-संबंधितों की टिप्पणी के लिए सार्वजनिक फाइल में रखा गया है। एक स्वतंत्र लागत लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित लागत आंकड़े तथा क्षति विश्लेषण का परिकलन याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान कराया गया है।

(घ) जांच की अवधि (पीओआई)

53. न तो सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 में और न ही सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 में विशेष रूप से "जांच की अवधि" को अथवा रक्षोपाय जांच के लिए विचारित कम से कम अवधि को परिभाषित किया गया है। रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार जांच की अवधि का चयन करने के लिए न तो कोई सामान्य या विशिष्ट प्रावधान है और न ही कोई दिशानिर्देश है। तथापि जांच की अवधि से संबंधित मुद्दे का विस्तृत विवरण कोरिया के विरूद्ध यूएस लाइन पाइप मामले में (पैरा 7.196, 7.199 और 7.201) उल्लेख किया गया है। इस मामले में पैनल ने यह निर्धारित किया है कि आयातक देश के जांचकर्ता प्राधिकारी को "जांच की अवधि की दीर्घता" और इसके "विभंग" होने का निर्धारण करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार है।

"हम नोट करते हैं कि इस करार में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि रक्षोपाय जांच में जांच की अवधि कितनी लंबी होनी चाहिए, और न ही यह उल्लेख है कि विश्लेषण के प्रयोजनार्थ भंग की अवधि क्या होनी चाहिए। इस प्रकार जांच की अवधि और इसके भंग होने की अवधि जांचकर्ता प्राधिकारियों के विवेक पर छोड़ दी गई है। हमारे समक्ष उपस्थित मामले में आईटीसी द्वारा चीन की गई अवधि पांच वर्ष और छह माह थी, यह अवधि अर्जेन्टीना फुटवीयर रक्षोपाय में अर्जेन्टीना की जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की गई जांच की अवधि के समकक्ष है। तथापि, हम नोट करते हैं कि अपीलीय निकाय ने अपने जांच परिणाम में जांच की अवधि की लंबाई के संबंध में तर्क देने के लिए कोरिया पर भरोसा किया है, उसमें न केवल अवधि की लंबाई पर बल दिया गया है परंतु अभिनव आयातों पर फोकस होना चाहिए और न कि जांच की गई अवधि पर। लाइन पाइप जांच में आईटीसी ने न केवल अंतिम बिन्दु की तुलना में या जांच की अवधि की समग्र प्रवृत्ति की जांच की (जैसा कि अर्जेन्टीना ने अर्जेन्टीना फुटवीयर रक्षोपाय में जांच के लिए किया था)। इसने पूरे 5 वर्षों के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आयातों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया और यह भी विचार किया कि क्या अंतरिम 1998 की तुलना में अंतरिम 1999 में वृद्धि हुई थी। हमारा विचार है कि एक ऐसी अवधि का चयन करके जो 5 वर्ष छह माह की थी आईटीसी ने अनुच्छेद XIX और अनुच्छेद 2.1 से असंगत कार्य नहीं किया। यह निष्कर्ष निम्नलिखित विचारों पर आधारित है : प्रथम करार में ऐसा कोई विशिष्ट नियम नहीं है जिसमें जांच की अवधि की लंबाई बताई गई हों; द्वितीय, आईटीसी द्वारा चयनित अवधि अभिनव आयातों पर प्रकाश डालती है; और तृतीय, आईटीसी द्वारा चयनित अवधि, संवर्धित आयातों की मौजूदगी के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त दीर्घ है।" (पैरा 7.196, 7.199 और 7.201)।

53.1 पैनल ने उसी यूएस-लाइन पाइप मामले में यह निर्धारित किया कि :

"किसी रक्षोपाय जांच में संवर्धित आयात प्रवृत्ति की जांच करने के लिए जांच की अवधि वहीं होनी चाहिए जो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की जांच के लिए है। यह स्थिति किसी पाटनरोधी या प्रतिवलनकारी शुल्क की जांच के विपरीत है जहां पाटन या सब्सिडीकरण की ध्वनि किसी वास्तविक क्षति जांच करने के लिए सामान्यत: माफी कम पड़ जाती है। हमारा विचार है कि इस अंतर के पीछे के कारणों में से एक कारण यह है कि अर्जेन्टीना फुटवियर मामले में अपीलीय निकाय द्वारा यह पाया गया कि "यह निर्धारण कि क्या आयातों का "इतनी अधिक मात्रा में होने" की जरूरत पूरी हो जाती है यह केवल गणितीय या तकनीकी निर्धारण द्वारा पूरी नहीं होती है। "अपीलीय निकाय ने यह नोट किया कि जहां संवर्धित आयातों का निर्धारण करने का मामला आता है वहां "सक्षम प्राधिकारियों को जांच की अवधि के दौरान आयातों की प्रवृत्ति की जांच करना अपेक्षित होता है। आयातों की प्रवृत्ति का मूल्यांकन, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का निर्धारण करने के लिए संगत कारकों की प्रवृत्ति के मूल्यांकन के साथ केवल एक निश्चित अवधि के लिए किया जा सकता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्षति निर्धारण के लिए संगत अवधि के संबंध में जो विचार अपीलीय निकाय द्वारा व्यक्त किए गए हैं वहीं विचार संवर्धित आयातों का निर्धारण करने पर भी लागू होंगे (पैरा 7.209)

53.2 उपर्युकत से यह स्पष्ट है कि न तो रक्षोपाय संबंधी घरेलू विधि, न ही रक्षोपाय संबंधी करार और न ही गाट के अनुच्छेद-XIX में जांच की अवधि के संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान किए गए है। तथापि, ऊपर उदधृत संदर्भों की भावना के अनुकूल ऐसा प्रतीत होता है कि संगत जांच अवधि पर्याप्त रूप से इतनी लंबी हो कि उससे संवर्धित आयातें एवं गंभीर क्षति के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सके और यह अभिनव विगत में ही समाप्त नहीं होना चाहिए बल्कि जांच की अवधि अभिनव विगत की होनी चाहिए।

53.3 इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चयनित अवधि पर्याप्त रूप से इतनी लंबी होनी चाहिए कि उससे संवर्धित मामलों की मौजूदगी के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सके और सीजनल वैरिएशन्स के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक के वर्ष-दर-वर्ष लिए गए आंकड़ों पर विचार किया गया है। जांच शुरूआत के नोटिस में दिसम्बर, 2013 तक के आयात आंकड़ों पर वार्षिकीकृत के रूप में विचार किया गया है। अब इन आयात आंकड़ों को मार्च, 2014 तक अद्यतन कर दिया गया है। घरेलू आंकड़ों को सत्यापित केंद्रीय उत्पाद कर रिकार्ड के अनुरूप लिया गया है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े वर्ष 2013-14 तक विधिवत सत्यापित हैं। इसलिए, इन तथ्यों तथा ऊपर उल्लिखित सूचना के स्रोत पर विचार करते हुए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक, जिसे इस मामले में जांच की अवधि (एतद्पश्चात जांच की अवधि के रूप में उल्लिखित) के लिए आंकड़ों को अपनाना समुचित प्रतीत होता है।

(ड). प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता

54. रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.2 तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली,1997 के नियम 7 में कतिपय सूचना को गोपनीय मानने का प्रावधान है। नियम में प्रावधान है कि किसी हितबद्ध पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन वास्तविक आधार पर करना अपेक्षित नहीं है जो कंपनी की गोपनीय सूचना हो और जिसका प्रकटन करने उक्त पक्षकार के व्यापारिक हितों को गंभीर क्षति पहुंचने की पूर्वावधारणा हो, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न हो और जिसका याचिकाकर्ता ने विगत में कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रकटन न किया हो।

54.1. घरेलू उद्योग ने कुछ सूचना गोपनीय आधार पर प्रदान कराई है और प्रस्तु सूचना/आंकड़ों की गोपनीयता का दावा किया है। घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय नियमावली, 1997 तथा दिनांक 06.09.1997 के व्यापार नोटिस संख्या एसजी/टीएन/1/97 के प्रावधानों के अनुसार आवेदनपत्र का अगोपनीय पाठ प्रदान किया।

54.2 इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने आवेदन दायर करते समय गोपनीयता की मांग करने वाले कारणों का भी उल्लेख किया है जो तर्कसंगत प्रतीत होता है तथा उसे स्वीकार कर लिया है।

(च) संवर्धित आयात :

55. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की केंद्रीय सरकार के अधिकारों का उल्लेख करता है और इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करता है :

"(1) यदि केंद्रीय सरकार, ऐसी जांच जिसे वह उचित समझे करने के पश्चात इस तथ्य से संतुष्ट है कि किसी वस्तु का भारत में इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में आयात किया जा रहा है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो तो यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर सकती है।"

55.1 नियम में यह अधिदेशित है कि रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग करने के लिए संवर्धित आयात एक आधारभूत पूर्वापेक्षा है। अत:, यह निर्धारित करने के लिए संवर्धित शुल्क का अनुप्रयोग करने के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद के आयातों में "इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है" कि जिससे नियमों के अंतर्गत इन संवर्धित आयातों का विश्लेषण, घरेलू उत्पादों के संगत रूप में और समग्र रूप में करना आवश्यक हो गया है।

55.2 सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 2 में "संवर्धित मात्रा" की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है :

"(ग) संवर्धित मात्रा में आयातों में वृद्धि उत्पादन के समग्र या रूप में होना शामिल है।"

55.3 आयातों में वृद्धि की प्रकृति के संबंध में पैनल के विरूद्ध अर्जेन्टीना फुटवीय (ईसी) में अपीलीय निकाय ने धारित किया है कि आयात अभिनव, अचानक, तीव्र एवं इतनी अधिक मात्रा में होने चाहिए कि उनसे गंभीर क्षति हुई हो या वे गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर रहे हो। उससे संगत उदधरण निम्नलिखित है :

"131. यह निर्धारण कि क्या 'इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में" आयातों की जरूरत को पूरा किया गया है, यह निर्धारण मात्र गणितीय या तकनीकी निर्धारण नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में किसी जांच के लिए साधारणत: यह प्रदर्शित करना ही पर्याप्त नहीं होगा कि इस उत्पाद के इस वर्ष आयात पिछले वर्ष या पांच वर्ष पहले हुए आयातों से अधिक हुए है। पुन: और यह पुनरावृत्ति प्रतीत होती है कि आयातों की कोई संवर्धित मात्रा पर्याप्त नहीं आयातों में इतनी संवर्धित मात्रा में" वृद्धि होनी चाहिए कि उससे रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग करने के लिए अपेक्षित यह जरूरत नहीं हो रही हो कि उससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई है। और यह भाषा गाट 1994 के अनुच्छेद XIX:1 (क) तथा रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 2.1 दोनों में, हमारा विश्वास है कि यह अपेक्षा करती है कि आयातों में यह वृद्धि परिमाणात्मक ओर गुणात्मक दोनों

रूपों में पर्याप्त अभिनव, पर्याप्त अचानक, पर्याप्त तीव्र और पर्याप्त भारी मात्रा में होनी चाहिए जिससे कि "गंभीर क्षति" कारित हो सके अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो सके।"

55.4 यूएस-व्हीट ग्लुटेन 4, में पैनल ने पदबंध "इतनी संवर्धित मात्रा में" का निर्वचन निम्नवत किया है।

"8.31 गाट 1994 का अनुच्छेद XIX:1(क) तथा रक्षोपाय संबंधी करार ("एसए") के अनुच्छेद 2.1 में आयातों में केवल "वृद्धि" का ही उल्लेख नहीं है। परंतु उनमें विचाराधीन उत्पाद के आयातों में "वृद्धि" की गुणात्मक एवं परिमाणात्मक प्रकृति के बारे में विशिष्ट अपेक्षाओं का उल्लेख है। गाट 1994 का अनुच्छेद XIX:1(क) तथा एसए के अनुच्छेद 2.1 यह अपेक्षा करते हैं कि संवर्धित सदस्य के भू-भाग में इस उत्पाद का आयात इतनी अधिक संवर्धित मात्रा (घरेलू उत्पादन के संगत अथवा समग्र रूप में) में किया गया हो कि उनसे गंभीर क्षति कारित हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो। इस प्रकार, आयातों में कोई भी वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी। बल्कि, हम अर्जेन्टीना फुटवीयर रक्षोपाय में अपीलीय निकाय के इस जांच परिणाम से सहमत हैं कि यह वृद्धि गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों रूपों में पर्याप्तत: अभिनव, अचानक, तीव्र एवं इतनी अधिक होनी चाहिए कि उससे गंभीर क्षति हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो।"

55.5 इस विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयातों का विश्लेषण उपर्युक्त घरेलू विधि के आलोक में तथा डब्ल्यूटीओ मंच द्वारा बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय विधि का मूल्यांकन करके आयोजित किया गया है। इस विचाराधीन उत्पाद के भारत में आयातों में समग्र एवं संगत रूप से तीव्र वृद्धि प्रदर्शित की है।

ख. उत्पादन के संबंध में संवर्धित आयात

56. इस विचाराधीन उत्पाद से संवधित वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के आंकड़े निम्नलिखित है :

वित्त वर्ष	*कुल आयात (एमटी)*
2010-11	100312
2011-12	92184
2012-13	154449
2013-14	192766

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि आधार वर्ष एवं अपांतिम वर्ष दोनों की तुलना में वर्ष 2013-14 में आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। आयात जो वर्ष 2010-11 में 100312 एमटी थे तीव्रता के साथ बढ़कर वर्ष 2013-14 में 192766 एमटी हो गए, जो 92 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। वर्ष 2011-12 में कुछ गिरावट आई परंतु वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2013-14 में फिर तीव्र वृद्धि हो गई। तथापि, यदि यह निष्कर्ष न भी निकाला जा सके कि संपूर्ण जांच की अवधि में आयातों में निरंतर वृद्धि हुई है, परंतु यह वृद्धि अत्यधिक तीव्र एवं भारी वृद्धि है और इसलिए ऐसा संधारित किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान "अनराट एल्युमिनियम के नाट अलायड इनगट्स के आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है।

57. इस विचाराधीन उत्पाद के जांच की अवधि के दौरान आयातों में आधार वर्ष तथा विगत वर्ष के साथ तुलना करने पर भी घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में वृद्धि हुई है। अधोलिखित तालिका से यह देखा जाता है कि कुल उत्पादन की तुलना में आयात जो वर्ष 2010-11 में 12 प्रतिशत था, बढ़कर वर्ष 2013-14 में 25 प्रतिशत हो गया, जो भारी वृद्धि है। वर्ष 2011-12 में आयातों में कुछ कमी आई परंतु वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2013-14 में आयातों में भारी वृद्धि हुई। तथापि, यदि यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि संपूर्ण जांच की अवधि के दौरान आयातों में निरंतर वृद्धि हुई है तथापि यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान आयातों में यह वृद्धि बहुत अधिक थी।

वित्तीय वर्ष	*कुल आयात (एमटी)*	*अखिल भारतीय उत्पादन (एमटी)*	*उत्पादन के संबंध में आयातों का प्रतिशत*
2010-11	100312	871492	12
2011-12	92184	826000	11
2012-13	154449	831405	19
2013-14	192766	785317	25

57.1 उपर्युक्त दोनों तालिकाओं से यह स्पष्ट है कि जांच की अवधि के दौरान आयातों में घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में तथा समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 में हुए आयातों की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान हुए आयातों में अचानक तीव्र, अभिनव एवं बहुत अधिक वृद्धि जिसे सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के आशय के अंतर्गत "संवर्धित आयात" कहा जा सकता है।

(छ). गंभीर क्षति एवं गंभीर क्षति की चुनौती

58. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा 6(ग) में निम्नलिखित प्रावधान है :

"गंभीर क्षति" से आशय उस क्षति से है जिससे घरेलू उद्योग का समग्र ह्रास हुआ हो";

59. *"गंभीर क्षति की चुनौती" से आशय गंभीर क्षति का स्पष्ट एवं आसन्न खतरे से है।"*

60. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 8 के अनुबंध के पैराग्राफ 1 में निम्नलिखित प्रावधान है :

"यह निर्धारण करने में कि क्या संवर्धित आयातों ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित की है अथवा गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न कर दी है तो महानिदेशक उन सभी संगत कारकों का उद्देश्यपरक एवं परिभाषात्मक प्रकृति का मूल्यांकन करेंगे जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, इनमें संवर्धित वस्तु के आयातों में संगत एवं समग्र रूप से तीव्र की दर एवं राशि, संवर्धित आयातों द्वारा घरेलू बाजार पर किए गए कब्जे की हिस्सेदारी, बिक्री के स्तर में परिवर्तन, उत्पादन, उत्पादकता क्षमता आयोग, लाभ एवं हानि तथा रोजगार शामिल है।

61. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 8 के अनुबंध तथा रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.2(क) में यह अपेक्षा की जाती है कि गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करने के लिए कतिपय सूचीबद्ध कारकों तथा अन्य संगत कारकों की जांच की जानी चाहिए। तथापि, इन प्रावधानों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस मूल्यांकन से क्या प्रदर्शित होना चाहिए। इस तरह का कोई भी मूल्यांकन विभिन्न उद्योगों के लिए किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों के तथा संबंधित उद्योग की परिस्थिति के आधार पर भिन्न-भिन्न मामलों में भिन्न-भिन्न होगा। प्रत्येक सूचीबद्ध कारक का मूल्यांकन अनिवार्यत: यह प्रदर्शित नहीं करेगा कि ऐसे प्रत्येक कारक में "गिरावट" आ रही है।

62. उदाहरण के लिए एक मामले में बिक्री, रोजगार और उत्पादकता में भारी गिरावट आई हो जो घरेलू उद्योग को "गंभीर क्षति" प्रदर्शित करता हो। वहीं अन्य मामले में हो सकता है कि कतिपय कारकों में गिरावट न आ रही हो परंत, ऐसा होते हुए भी समग्र स्थिति घरेलू उद्योग को "गंभीर क्षति" प्रदर्शित कर रही हो।

63. अत:, सभी सूचीबद्ध कारकों तथा कतिपय अन्य संगत कारकों की तकनीकी जांच के अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन उन सभी संगत कारकों के आलोक में किया जाए जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

64. अर्जेन्टीना फुटवीयर (ईसी) मामले में अपीलीय निकाय ने अनुच्छेद 4.1(क) में "गंभीर क्षति" की परिभाषा तथा अनुच्छेद 4.2(क) में "सभी संगत कारकों" को मूल्यांकन करने की जरूरत के बीच संबंध पर चर्चा की है :

"केवल तभी, जब किसी घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन उन सभी संगत कारकों के आलोक में किया जाए जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्या घरेलू उद्योग की स्थिति में "भारी समग्र परिक्षयण" हुआ है। यद्यपि अनुच्छेद 4.2(क) तकनीकी रूप से यह अपेक्षा करता है कि कतिपय सूचीबद्ध कारकों का ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए और यह कि अन्य सभी संगत कारकों को मूल्यांकन किया जाना चाहिए, परंतु यह प्रावधान इस बात को स्पष्ट नहीं करता है कि इस मूल्यांकन से क्या प्रदर्शित होना चाहिए। स्पष्टत: इस तरह का मूल्यांकन, किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों के आधार पर तथा संबंधित उद्योग की स्थिति के आधार पर भिन्न-भिन्न होगा। प्रत्येक सूचीबद्ध कारक का मूल्यांकन अनिवार्यत: यह प्रदर्शित नहीं करेगा कि ऐसे प्रत्येक कारक में "गिरावट" आ रही है। उदाहरण के लिए एक मामले में बिक्री, रोजगार और उत्पादकता में भारी गिरावट हो सकती है जो यह प्रदर्शित करे कि उद्योग की स्थिति में "भारी समग्र परिक्षयण" हुआ है, और इसलिए गंभीर क्षति की जांच में न्यायोचित ठहरा सकती है। दूसरे मामले में कतिपय कारकों में, हो सकता है कि गिरावट न हो रही हो परंतु, ऐसा होते हुए भी, उद्योग की समग्र स्थिति "भारी समग्र अवक्षयण" को प्रदर्शित करती हो। अत: इस तथ्य की तकनीकी जांच करने के अलावा कि क्या सक्षम प्राधिकारियों ने किसी विशिष्ट मामले में सभी सूची कारकों तथा अन्य संगत कारकों का मूल्यांकन किया है, हमारा विश्वास है कि पैनल "गंभीर क्षति" का निर्धारण करने की अपनी समीक्षा में रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.1(क) में उल्लिखित "गंभीर क्षति" की परिभाषा को ध्यान में रखेंगे।"

65. यूएस – व्हीट ग्लेटन संबंधी पैनल ने, अपीलीय निकाय द्वारा समर्थित निष्कर्ष में, वाक्यांश "गंभीर क्षति" की परिभाषा को ध्यान में रखेंगे।

"इस तथ्य का निर्धारण कि ऐसे "भारी समग्र परिक्षण" की स्थिति की अवस्थिति का निर्धारण घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का, उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले उन सभी संगत कारकों के आलोक में मूल्यांकन के आधार पर किया जा सकता है।

हम यह विचार नहीं करते हैं कि किसी उद्योग के लिए भारी समग्र परिक्षयण की स्थिति के लिए यह आवश्यक है कि जांच किए गए प्रत्येक एकल कारक में ऋणात्मक प्रवृत्ति हो। बल्कि, ऐसा प्रवृत्तियों की संपूर्णता में और उनकी अन्योन्यक्रिया में होना चाहिए। जिस पर गंभीर क्षति का निर्धारण करते समय ध्यान रखना चाहिए। अत: कई कारकों में इस तरह के अपटर्न अनिवार्यत: गंभीर क्षति के निर्धारण को प्रतिवारित नहीं करेंगे। यह जांचकर्ता प्राधिकारियों पर निर्भर है कि वे उनके समक्ष उपस्थित साक्ष्य

का आकलन एवं उसका मूल्यांकन को और इस तथ्य का एक तर्कसंगत एवं युक्तिसंगत स्पष्टीकरण दें कि तथ्यों से उनके निर्धारण का समर्थन कैसे होता है।"

66. तदनुसार, गंभीर क्षति या गंभीर क्षति का विश्लेषण करते समय वह सभी कारक जिनका नियमों में उल्लेख किया गया है तथा उन अन्य सभी संगत कारकों पर विचार किया गया है जो गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करने के लिए संगत हो। किसी भी एक कारक पर डिस्पोजिटिव के रूप में विचार नहीं किया गया है। संगत व्यवसाय चक्र के संदर्भ के अंतर्गत सभी संगत कारकों एवं स्थितियों, जो प्रभावित उद्योग से संगत हैं, पर विचार उत्पादकों तथा विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी प्रस्तुतिकरणों पर विचार किया गया है। गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण, घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले उन सभी संगत कारकों के आलोक में, घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन करने के आधार पर किया गया है।

67. अब क्या अनहाट एल्युमिनियम के नाट अलायड इन्गट्स के संवर्धित आयातों द्वारा अनराट एल्युमिनियम के नाट अलायड इन्गट्स के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित की जा रही है या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न की जा रही है, का विश्लेषण कई सूचीबद्ध एवं प्रयोजनात्मक एवं परिमाणात्मक अन्य संगत कारकों के आधार पर निम्नवत की जाती है :

(i) घरेलू मांग में बाजार हिस्सा : अधोलिखित तालिका से यह देखा जाता है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक निरंतर बढ़ने के पश्चात वर्ष 2013-14 में कम हो गया है। घरेलू उद्योग का वर्ष 2010-11 में 56 प्रतिशत बाजार हिस्सा था जो बढ़कर वर्ष 2012-13 में 60 प्रतिशत हो गया परंतु इसमें 2013-14 में गिरावट आई और यह घटकर 52 प्रतिशत रह गया जो आधार वर्ष की तुलना में भी कम है। जबकि आयातों का बाजार हिस्सा वर्ष 2010-11 में 14 प्रतिशत था जो वर्ष 2011-12 में मामूली सी गिरावट के बाद वर्ष 2013-14 में बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया।

वित्तीय वर्ष	***कुल आयात (एमटी)***	***घरेलू उद्योग की बिक्री (एमटी)***	***कुल मांग (एमटी)***	***बाजार हिस्सा (%)***	
				घरेलू उद्योग	*आयात*
2010-11	100312	416993	740674	56	14
2011-12	92184	408225	703937	58	13
2012- 13	154449	461509	765688	60	20
2013-14	192766	342800	657698	52	29

कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2013-14 में इस विचाराधीन उत्पाद का भारी मात्रा में निर्यात करने को अधिमानता दी और इसलिए स्थानीय बाजार में उनका हिस्सा कम हो गया। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि उन्होंने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने को अधिमानता नहीं दी है परंतु उन्होंने यह निर्यात मजबूरी में किया है क्योंकि वे सस्ते आयातों की बाढ़ के कारण विचाराधीन उत्पाद की बिक्री घरेलू बाजार में करने में सक्षम नहीं थे। उपर्युक्त प्रसतुतिकरणों पर ध्यान दिए बिना तथ्य यह है कि घरेलू उद्योग का घरेलू बाजार में हिस्सा कम हुआ है।

(ii) उत्पादन : अधोलिखित तालिका से यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का उत्पादन जो वर्ष 2010-11 में 552864 एमटी था वर्ष 2013-14 में मामूली सा बढ़कर वर्ष 2013-14 में 565272 एमटी हो गया। यह मात्र 2 प्रतिशत की वृद्धि है। घरेलू उद्योग का उत्पादन वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में मामूली सा घटकर उसमें वर्ष 2013-14 तक वृद्धि हुई है, परंतु यह वृद्धि बहुत अधिक नहीं है।

वर्ष	***अनराट एल्युमिनियम के नाट अलायड इन्गट्स का उत्पादन (एमटी)***
2010-11	552864
2011-12	527571
2012-13	538657
2013-14	565272

कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग ने वर्षों से अपने अनुप्रवाही सामान जैसे वायर राड्स, रोल्ड उत्पाद, फ्वायल्स अलाय इन्गट्स आदि का उत्पादन करने पर अधिकतम अधिमानता दी है और बची खुची एल्युमिना का उपयोग इस विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए किया गया। यह पुन: उल्लेख किया गया कि संवर्धित आयात क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं हैं परंतु विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण कम करने के उनके विकल्प के कारण हुआ है। तथापि, इस तर्क के साक्ष्य के रूप में रिकार्ड में कोई भी निश्चायक सामग्री उपलब्ध नहीं है। यह माना जा सकता है कि घरेलू उद्योग के पास इन्गट्स तथा अन्य अनुप्रवाही उत्पादों जैसे वायर राड्स फ्वाइल्स आदि का का विनिर्माण करने की क्षमता है। घरेलू उद्योग समर्पित भाव से इन्गट्स का विनिर्माण नहीं करता है। हर हाल में, इस संबंध में तथ्यों का सत्यापन करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। यह माना गया कि घरेलू उद्योग के संरक्षण में इस विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

(iii) क्षमता उपयोग : अधोलिखित तालिका से ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि संपूर्ण जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता में मामूली सी वृद्धि हुई है अर्थात वर्ष 2010-11 में 1263500 एमटी से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 1280263 एमटी लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्षमता उपयोग आधार वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2012-14 में समान स्तर पर अर्थात 44 प्रतिशत बना रहा परंतु इसमें पिछले वर्ष अर्थात वर्ष 2012-13 की तुलना में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष	***संस्थापित क्षमता (एमटी)***	***संस्थापित क्षमता* (%) (*अनराट इन्गट्स*)**
2010-11	1263500	44
2011-12	1269500	42
2012-13	1269900	42
2013-14	1280263	44

इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि के दौरान संयंत्र क्षमता में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 के दौरान संयंत्र क्षमता 109 प्रतिशत थी।

(iv) बिक्री के स्तर में परिवर्तन : अधोलिखित तालिका से यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री वर्ष 2010-11 में 416993 एमटी से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 461509 एमटी हो गई, परंतु तत्पश्चात इसमें लगभग 26 प्रतिशत की गिरावट आई और वर्ष 2013-14 में यह 342800 एमटी हो गया जो आधार वर्ष के स्तर से भी कम है।

वित्तीय वर्ष	***घरेलू उद्योग की बिक्री (एमटी)***
2010-11	416993
2011-12	408225
2012- 13	461509
2013-14	342800

कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुत किया है कि इस विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बाजार में बिक्री मात्रा कम हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग ने इस विचाराधीन उत्पाद का भारी मात्रा में निर्यात किया है। यह प्रस्तुतिकरण तथ्यात्मक रूप से सही है क्योंकि यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2012-13 में किए गए निर्यात की मात्रा की तुलना में वर्ष 2013-14 में तीन गुणा अधिक निर्यात किया है।

(v) रोजगार : जांच की संपूर्ण अवधि के दौरान रोजगार में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है जबकि कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2010-11 में 17109 थी, घटकर वर्ष 2013-14 में 15944 रह गई।

वित्तीय वर्ष	**वर्ष के समाप्ति पर रोजगार (संख्या)**
2010-11	17109
2011-12	16854
2012- 13	16053
2013-14	15944

(vi) उत्पादकता : जैसा कि अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की प्रतिदिन उत्पादकता आधार वर्ष 2010-11 में 100 की तुलना में बढ़कर वर्ष 2013-14 में 102 अनुक्रमित बिन्दु हो गई, जो आधार वर्ष की तुलना में बहुत मामूली सी वृद्धि है परंतु यह वर्ष 2011-12 की तुलना में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है।

वर्ष	*उत्पादकता प्रतिदिन (उत्पादन/350) एमटी प्रतिदिन (अनुक्रमित)*
2010-11	100
2011-12	95
2012-13	97
2013-14	102

(vii) लाभ एवं हानि : जैसाकि अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता निम्नलिखित रही है :

वित्तीय वर्ष	*लाभप्रदता (लाख रुपए) (अनुक्रमित)*
2010-11	100
2011-12	38
2012-13	(30)
2013-14	37

लाभ हानि के संबंध में मैंने यह पाया है कि जांच शुरूआत की अधिसूचना जारी करते समय दिसम्बर, 2013 तक के आंकड़े लिए गए थे जिनमें घरेलू उद्योग को क्षति दर्शायी गई थी। तथापि, जांच की अवधि के पश्चात की सुनवाई के दौरान जब आंकड़ों को अद्यतन किया गया तब घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में प्रत्यक्षत: सुधार हुआ और इसने वर्ष 2012-13 में कुछ घाटे में रहने के पश्चात वर्ष 2013-14 इसे फिर लाभ होने लगा और यह लाभ वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही तक बना रहा। यद्यपि यह लाभप्रदता आधार वर्ष 2010-11 की तुलना में बहुत कम है परंतु उससे सर्वाधिक अभिनव अवधि में घरेलू उद्योग की सुधरी हुई स्थिति स्पष्ट होती है। घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 24.09.2014 के पत्र (जिसमें गोपनीय आंकड़े संलग्न थे) में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि लाभ की यह भारी मात्रा घरेलू उद्योग के एक संघटक द्वारा ब्याज की लागत का पुनर्समायोजन करने के कारण उपचित हुआ है और न कि व्यापारिक क्रियाकलापों के कारण। यह सही हो सकती है परंतु मैं यह पाती हूं कि ब्याज की लागत का समायोजन करने के बावजूद घरेलू उद्योग भारी लाभ में चल रहा है जैसा कि अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है, हालांकि लाभ में आधार वर्ष में हुए लाभ की तुलना में कमी आई है परंतु विगत वर्ष से इसकी तुलना करने पर इसमें वृद्धि हुई है।

घरेलू उद्योग	***यूनिट***	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**
दोनों वर्ष ब्याज प्रभारित न करने पर लाभ *(2012-13* और *2013-14)*	**(*रुपए/ लाख*)**	100	54	28	41
दोनों वर्ष *(2012-13* और *2013-14)* में ब्याज प्रभारित किए जाने पर लाभ	**(*रुपए/ लाख*)**	100	54	-25	13

अन्य महत्वपूर्ण कारक :

68. **निर्यात :** अधोलिखित तालिका से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के निर्यात, आधार वर्ष अर्थात 2010-11 से 2012-12 तक गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के पश्चात आधार वर्ष 2010-11 और विगत वर्ष से वर्ष 2013-14 में भारी वृद्धि हुई है।

वित्तीय वर्ष	*घरेलू उद्योग का निर्यात (एमटी)*
2010-11	133658
2011-12	118354
2012- 13	74606
2013-14	221018

69. **मालसूची :** जैसाकि अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है, मालसूची वर्ष 2010-11 में 149 एमटी थी, कम होकर वर्ष 2013-14 में 65 एमटी रह गई, जो घरेलू उद्योग के उत्पादन एवं बिक्री के आंकड़ों को देखते हुए एक अति महत्वपूर्ण मात्रा है।

वित्तीय वर्ष	*घरेलू उद्योग की मालसूची (एमटी)*
2010-11	149
2011-12	37
2012- 13	41
2013-14	65

70. कीमत अधोरदन और कीमत निग्रहण/अवमंदन

घरेलू उद्योग ने स्वतंत्र लागत लेखाकारों द्वारा विधिवत सत्यापित लागत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आयातित उत्पाद के उतराई मूल्य से अधिक है। घरेलू उद्योग ने अपने आकलन में यह सुनिश्चय किया है कि आयातों का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है परंतु उनके द्वारा प्रदान कराई गई सूचना उनके दावे को समर्थित नहीं करती है क्योंकि बिक्री की लागत उतराई मूल्य तथा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। यह नोटिस किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा आयातित उत्पादों के उतराई मूल्य के बीच कीमत अधोरदन बिल्कुल अमहत्वपूर्ण तथा नगण्य है जैसाकि अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है और ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी ओर से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की कोई चुनौती नहीं है।

विवरण *(घरेलू उद्योग की बिक्री लागत के संबंध में अनुक्रमित)*	**2010-11** ***(अनुक्रमित)***	**2011-12** ***(अनुक्रमित)***	**2012-13** ***(अनुक्रमित)***	**2012-13** ***(अनुक्रमित)***
बिक्री लागत (रुपए/एमटी)	100	117	124	125
उतराई मूल्य (रुपए/एमटी)	110	120	125	127
बिक्री कीमत (रुपए/एमटी)	110	119	125	129
कीमत अधोरदन (रुपए/एमटी)	0	-1	0	2

गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न करने वाले अन्य कारण :

71. **खपत की प्रणाली में परिवर्तन :** घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने खपत के प्रतिमान में परिवर्तन का कोई तर्क नहीं दिया है और इसलिए रिकार्ड यह नहीं दर्शाता है कि जहां तक भारतीय बाजार का संबंध है खपत के चूंकि प्रतिमान में कोई परिवर्तन हुआ है। चूंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के दावे का विरोध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है, इसलिए उसे स्वीकार कर लिया गया।

72. **व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा :** रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाओं तथा विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा ने घरेलू उद्योग की क्षति में योगदान दिया है।

73. **प्रौद्योगिकी विकास :** आवेदक ने दावा किया है कि इस उत्पाद का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसका किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विरोध भी नहीं किया है। इसलिए प्रौद्योगिकी में विकास इस मामले में क्षति का एक कारक नहीं है।

74. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि संभावित अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं की है। ऐसा कोई अन्य कारक नहीं है जिसे कम कीमत वाले आयातों के अलावा घरेलू उद्योग की क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके।

गंभीर क्षति और गंभीर क्षति की चुनौती के संबंध में निष्कर्ष :

75. ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार "गंभीर क्षति" तथा "गंभीर क्षति की चुनौती" दोनों ही घरेलू विधि के अंतर्गत परिभाषित अभिव्यक्तियाँ हैं। विधि में परिभाषित गंभीर क्षति का आशय संवर्धित आयातों द्वारा कारित उद्योग की स्थिति को भारी समग्र परिक्षयण से है। अभिव्यक्ति "समग्र परिक्षयण" को "महत्वपूर्ण" शब्द द्वारा और अधिक अर्हक बनाया गया है जो परिक्षयण के कतिपय स्तर की गंभीरता को इंगित करता है। यह महानिदेशक के विवेकपूर्ण निर्णय पर छोड़ दिया गया है कि वह घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन करें और इस संबंध में अपना निर्णय लें।

75.1 मेरे विचार से ऐसा कोई सीधा फार्मूला नहीं है जिससे निष्कर्ष की युक्तिसंगतता पर पहुंचा जा सके कि "भारी समग्र परिक्षयण" क्या है। प्रत्येक मामले को विभिन्न सूचीबद्ध के साथ-साथ अन्य संगत कारकों के आधार पर विश्लेषित करना पड़ता है। घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति ऊपर यथा चर्चित सूचीबद्ध एवं अन्य महत्वपूर्ण संगत कारकों के विश्लेषण में प्रदर्शित की गई है।

75.2 उपर्युक्त विश्लेषण से मैं यह पाता हूं कि जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन, क्षमता उपयोग, उत्पादकता, लाभ और निर्यात में वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 की तुलना में बिक्री में (घरेलू बाजार तथा निर्यात दोनों को मिलाकर) वर्ष 2013-14 में वृद्धि हुई है। यह कारक घरेलू उद्योग के मामले के समर्थन में नहीं है। तथापि, घरेलू बाजार में उनके हिस्से, घरेलू बिक्री में गिरावट, रोजगार में कमी उनके मामले के पक्ष में है। मैं यह भी पाता हूं कि घरेलू बाजार में उनका हिस्सा निर्यातों में भारी वृद्धि के कारण कम हुआ है, हालांकि घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि निर्यातों में यह वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि घरेलू ग्राहकों ने विचाराधीन उत्पाद के सस्ते आयातों के कारण उनके विचाराधीन उत्पाद की खरीद नहीं की। इसके अतिरिक्त, मालसूची की प्रमात्रा 65 एमटी है जो विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन और कुल बिक्री की तुलना पूर्णतया अमहत्वपूर्ण है, यद्यपि उसमें कुछ मामूली सी वृद्धि हुई है।

75.3 तथापि, मैं यह पाता हूं कि यह वह मामला नहीं है कि घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद की बिक्री घरेलू बाजार में लाभ में नहीं कर सकता था। विचाराधीन उत्पाद की उतराई कीमत घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की उतराई कीमत से कम है जिससे यह सुझाव मिलता है कि कोई कीमत अधोरदन/निग्रहण नहीं हुआ। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में असाधारण लाभप्रद प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। यह सुधार और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब उसमें वर्ष 2013-14, अर्थात तीसरी तिमाही तक, के एक बड़े भाग में क्षति की स्थिति से वर्ष 2011-12 के स्तर तक सुधर गया और वर्ष 2013-14 की चौथी तिमाही अर्थात केवल 3 महीनों की छोटी सी अवधि में प्राप्त कर लिया गया। यह आयातों में वृद्धि तथा घरेलू बिक्री में कमी के बावजूद किया गया।

75.4 जांच की अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है परंतु यह कमी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तथापि, मुख्यत: उत्पादन में वृद्धि के कारण उत्पादकता में सुधार हुआ है।

76. वर्ष 2013-14, जांच की अवधि के अंतिम वर्ष, में घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों से तत्काल विगत वर्ष अर्थात 2012-13 की तुलना में भारी सुधार प्रदर्शित हुआ है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन जैसे पैरामीटर में, वर्ष 2011-12 में थोड़ी सी कमी के बाद, सतत सुधार हुआ है, जो आयातों में वृद्धि से को-टर्मिनस भी है। यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री में वर्ष 2013-14 की सर्वाधिक अभिनव अवधि में घरेलू बिक्री में गिरावट आई है, तथापि आयातों में वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग ने भारी लाभ अर्जित किया। यह इस कारण से और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह निष्पादन घरेलू उद्योग द्वारा आयातों में वृद्धि होने के बावजूद प्रदर्शित किया गया है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग को आयातों में उद्रेक के कारण वर्ष 2012-13 तक क्षति हुई है परंतु इस मामले में उसे वर्ष 2013-14 के लिए सत्य नहीं कहा जा सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग को वर्ष 2013-14 में आयातों में वृद्धि के कारण गंभीर क्षति की कोई चुनौती नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2013-14 में भारी लाभ कमाया है और वही प्रवृत्ति जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए भी बने रहने की संभावना है।

77. इस प्रकार, मेरे विचार से इस विश्लेषण से भारी समग्र परिक्षयण का सुझाव नहीं मिलता है और इसलिए घरेलू उद्योग को न तो क्षति हुई और न ही क्षति की चुनौती उत्पन्न हुई। यह विश्लेषण यह भी सुझाव नहीं देता है कि ऐसी क्षति की कोई चुनौती भी है।

ज. अनपेक्षित विकास :

78. यह नोट किया गया है कि महानिदेशक रक्षोपाय पर कोई ऐसा अभिव्यक्त दायित्व/अपेक्षा नहीं है कि वे अनपेक्षित परिस्थितियों का विश्लेषण करें क्योंकि भारतीय विधि में ऐसी कोई क्रियापद्धति नहीं है जिसका अनपेक्षित विकास का विश्लेषण करने के लिए अनुकरण

किया जाना चाहिए अथवा रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार में क्रियाविधि के संबंध में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसका अनुकरण किया जाना चाहिए या ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिसका अनुपालन अनपेक्षित विकास का विश्लेषण करते समय किया जाना चाहिए। तथापि, गाट के अनुच्छेद--XIX के साथ पठित रक्षोपाय करार राष्ट्रीय प्राधिकारियों को यह अधिकार देता है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले अनपेक्षित विकास की जांच की जानी चाहिए। यह निदेशालय इस जांच में अनपेक्षित विकास के मुद्दे की लगातार जांच करता आ रहा है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण माना गया कि उन अनपेक्षित विकास अथवा परिस्थितियों की जांच की जाए जिनके कारण आयातों में वृद्धि हुई है। इस संबंध में मैं पाता हूं कि गाट, 94 के अनुच्छेद–XIX में प्रावधान किया गया है कि गंभीर क्षति अनपेक्षित विकास के परिणामस्वरूप होनी चाहिए।

गाट 1994 के अनुच्छेद- XIX में निम्नलिखित उल्लेख है :

1. (क) यदि अनपेक्षित विकास के परिणामस्वरूप और इस करार के अंतर्गत किसी संविदाकारी पक्षकार द्वारा प्रशुल्क रियायतों सहित सौंपे गए किसी दायित्व के प्रभावीस्वरूप उस संविदाकारी पक्षकार के भूभाग से किसी उत्पाद का आयात इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में या ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत किया जाता है जिससे उस भूभाग के समान या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित होती है अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो जाती है तो संविदाकारी पक्षकार ऐसे उत्पाद के संबंध में ऐसी सीमा तक अथवा ऐसे समय तक के लिए जो उस क्षति से बचने अथवा उसका उपचार करने के लिए आवश्यक हो, उस प्रतिबद्धता को समग्र रूप से या उसके किसी भाग को समाप्त करने अथवा रियायत को वापस लेने या उसमें कोई संशोधन करने के लिए स्वतंत्र होगा।"

79. अर्जेन्टीना फुटवियर (ई सी मामला) में अपीलीय निकाय ने धारित किया कि पदबंध अनपेक्षित विकास का आशय उस विकास से है जो अप्रत्याशित हो। "अनपेक्षित विकास" यह अपेक्षा करता है कि वह विकास जिसके कारण किसी उत्पाद का इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में निर्यात किया जा रहा हो कि घरेलू उत्पादकों को अप्रत्याशित गंभीर क्षति होने लगी हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो। कोरिया-डेयरी मामले में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि अनपेक्षित विकास वह विकास होता है जो अनपेक्षित न हो या किसी सदस्य द्वारा कोई दायित्व लिए जाने के समय प्रत्याशित न हो।

80. आवेदक ने आयातों में वृद्धि के कई कारण दिए हैं जो उनकी समझ में इस मामले में अनपेक्षित विकास बनते हैं, उनका संक्षेप में विवरण निम्नलिखित है :

80.1 मूलत: मध्यपूर्व क्षेत्र एल्युमिनियम के लिए निवल आयातक क्षेत्र था जहां, जैसा कि इस समय है, एक निवल निर्यातक क्षेत्र था, जिसे अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है :

देश	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
मध्यपूर्व से आयात	1,43,022	1,81,701	15,731	3,898

80.2 मध्यपूर्व के देशों में भारी मांग आपूर्ति अंतराल (जैसा कि अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है) के कारण चीन जैसे देश की आयातों पर निर्भरता में कमी आई है (जो मध्यपूर्वी देशों के लिए एक लक्ष्य बाजार था)। मध्यपूर्व में विदेशी उत्पादकों की भारी क्षमता अनप्रयुक्त क्षमताएं हैं। इसके परिणामस्वरूप वे अपनी संभावना के अनुरूप अन्य बाजारों की तलाश कर रहे हैं।

(**मध्यपूर्व में मांग आपूर्ति अंतरण**) '000 **एमटी**							
वर्ष	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
स्पष्ट खपत	2021	2137	2256	2429	2606	2814	2963
उत्पादन	4031	4375	5119	5518	5695	6035	6346
अंतराल	2010	2238	2863	3089	3089	3221	3383

स्रोत : सीआरयू द्वारा अंतरित

80.3 चीन एवं मध्यपूर्व के उत्पादकों द्वारा स्थापित बेशी क्षमता के कारण मांग एवं आपूर्ति में वैश्विक अंतराल की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

80.4 चूंकि विदेशी उत्पादकों को सस्ती ऊर्जा का लाभ मिला है जो मध्यपूर्व के देशों में विचाराधीन उत्पाद का बेशी उत्पादन होने के प्रमुख कारणों में से एक कारण है। इसके अतिरिक्त, भारत मध्यपूर्व के देशों के लिए एक भाड़ा हितकारी देश है और इसलिए उनके लिए भारत को अल्युमीनियम का निर्यात करना अधिक आसान एवं आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य है।

81. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि :

(i) मध्यपूर्व के देशों में बेशी क्षमता : वर्ष 2012-2018 तक मध्यपूर्व में मांग आपूर्ति अंतराल द्वारा जांच की संपूर्ण अवधि के कवर नहीं किया जाता है।

(ii) इन आंकड़ों से अव्यावहारिक पूर्वापेक्षा प्राप्त होती है और यह अभिव्यक्त नहीं होता है कि भारत को आयातों में वृद्धि के लिए मध्यपूर्व में कथित बेशी क्षमता को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

(iii) आयातों में उद्रेक के पश्चात होने वाली घटनाओं के लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उससे आयातों में वृद्धि हुई है। इस विश्लेषण को यह जांच करने के लिए, कि क्या इसका अनपेक्षित विकास पर कोई प्रभाव पड़ा है, जांच की अवधि तथा उससे पहले की अवधि के लिए प्रस्तुत करने की जरूरत है।

(iv) मध्यपूर्व में भारी प्राकृतिक गैस भंडार के कारण विदेशी उत्पादकों के लिए ऊर्जा लागत सदैव ही पर्याप्त कम रही है, जो व्यापक तौर पर ज्ञात तथ्य है। इसलिए किसी भी रूप में इस विकस को "अनपेक्षित" या "अप्रत्याशित" विकास नहीं माना जा सकता है।

(v) भारत की भौगोलिक अवस्थिति स्थिर बनी रही और इस ओर से कोई अनपेक्षित विकास नहीं हुआ जिसके कारण आयातों में अचानक वृद्धि हुई हो।

(vi) जब कभी एलएमई बढ़ता है, प्राथमिक उत्पादक अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं और परंतु जब कभी एलएमई कीमत कम होगी, तब वे आयातों के लिए ऐसी उत्सुकता प्रदर्शित नहीं करते हैं।

82. घरेलू उद्योग द्वारा अनपेक्षित परिस्थितियों के रूप में ऊपर उदधृत कारकों की जांच पर करने पर मैंने यह पाया कि घरेलू उद्योग द्वारा मध्यपूर्व से निर्यात में वृद्धि तथा मांग आपूर्ति में अंतर जैसे कारकों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़े यह सिद्ध करते हुए प्रतीत होते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मध्यपूर्व के देशों में बेशी क्षमता है। मध्यपूर्व के देशों जैसे ओमान, यूएई आदि में आने वाले आयातों की प्रवृत्ति से यह देखा जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में उनके हिस्से में भारी वृद्धि दर्ज है। इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा उदधृत किया गया यह कारण मध्यपूर्व से भारत को आयातों के अंतरित होने के उनके दावे का साक्ष्य प्रतीत होता है जो जांच की अवधि के दौरान संवर्धित आयातों के लिए एक अनपेक्षित कारण है।

82.1 दर असल मध्यपूर्व में क्षमता विस्तार को अनपेक्षित रूप में नहीं कहा जा सकता है क्योंकि क्षमता में विस्तार रातोरात तो हो नहीं सकता है। अपनी क्षमता में इस स्तर तक विस्तार करने में काफी समय लगता है। इसके अतिरिक्त, यह विस्तार गाट के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताओं के परिणमस्वरूप तो उत्पन्न नहीं हुआ होगा और इसलिए मध्यपूर्व के क्षमता विस्तार को अनपेक्षित विकास के रूप में नहीं माना जा सकता है।

82.2 सस्ती ऊर्जा लागत और भारत को निर्यात के लिए सस्ते भाड़े के अन्य दावे के संबंध में कुछ भी अनपेक्षित नहीं है। यह तो सामान्य बात है कि मध्यपूर्व के देशों में तेल/गैस भंडार के कारण उन्हें ऊर्जा का उत्पादन करने में लागत लाभ मिलता है और भारत से उनकी निकटता के कारण उन्हें भाड़ा लागत लाभ मिलता है।

82.3 चीन से आयातों में वृद्धि के संबंध में घरेलू उद्योग ने कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं और इसलिए यह तर्क स्वीकार्य नहीं है।

झ. जनहित

83. घरेलू विधि में रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण करने से संबंधित कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि, रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :

"कोई सदस्य, उस सदस्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा गाट 1994 के अनुच्छेद-X के अनुसरण में सार्वजनिक किए गए तथा विगत में सुस्थापित प्रक्रियाओं का अनुसरण करके जांच के पश्चात, रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग कर सकता है। इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों के युक्तियुक्त सार्वजनिक नोटिस और सार्वजनिक सुनवाई या अन्य समुचित साधन शामिल होंगे जिनमें आयातक, निर्यातक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकार अपने साक्ष्य एवं विचार व्यक्त कर सकते हैं; जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, अन्य पक्षकारों के प्रस्तुतिकरणों का प्रत्युत्तर देने या अपने विचार व्यक्त करने का अवसर शामिल हो कि रक्षोपाय शुल्क का अनुपयोग करना जनहित में होगा या नहीं। सक्षम प्राधिकारी एक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे जिसमें अपने जांच परिणाम और विधि एवं तथ्यों के सभी संगत मुद्दों पर निकाले गए अपने तर्कयुक्त निष्कर्ष शामिल होंगे।

84. जनहित के संबंध में घरेलू उद्योग ने अपने लिखित प्रस्तुतिकरण में यह उल्लेख किया है प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क का प्रत्येक उपभोक्ता उद्योग पर प्रभाव को अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

प्रभाव विश्लेषण

				प्रभाव		कीमत	प्रभाव	
	कारक	कीमत	लागत	10% शुल्क	20% शुल्क		10% शुल्क	20% शुल्क
कंडक्टर*	14.60	135	1971	197	394	315176	0.06%	0.13%
केबल**	0.19	135	26	3	5	250	1.03%	2.05%
ऑटोमोबाइल	18	135	2430	243	486	25000	0.97%	1.94%
विनिर्माण				90	180	10000000	0.001%	0.002%
फ्वायल	0.66	135	89	9	18	653	1.36%	2.73%
*कंडक्टर की खपत ग्रिड में की जाती है जिससे उसकी लागत में इसका भाग 20 प्रतिशत होता है। इसके अतिरिक्त, इस 20 प्रतिशत को अन्य आस्तियों के साथ 20 वर्षों की अवधि में पूंजीकृत एवं मूल्यह्रासित किया जाता है।								
**केवल का उत्पादन वायर राड से किया जाता है। वायर राड केबल की लागत की लागत का 30 प्रतिशत होगा, तदनुसार प्रभाव का निर्धारण किया जाता है।								

85. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि प्रासंगिक अंतिम उत्पाद पर नगण्य प्रभाव पर विचार करते हुए और यह विचार करते हुए कि घरेलू उद्योग की अतिजीविता अनिवार्य है, इसलिए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करा जनहित में होगा।

86. दूसरी ओर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस विचाराधीन उत्पाद के प्रमुख उपभोक्ता विद्युत वितरण उद्योग, आटोमोबाइल उद्योग, बहिर्वेधन उद्योग और निर्माण उद्योग हैं; जो बहुत बुरे चरण से गुजरे हैं और उन्होंने बहुत ही कमतर ढंग से निष्पादन किया है। अल्युमिनियम इन्गट आधारभूत कच्चा माल है जिसका प्रयोग कई लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों, जो जनता को बड़ी संख्या में रोजगार देते हैं, द्वारा किया जाता है। यह उद्योग उदारीकृत मुक्त अर्थव्यवस्था में आयातित उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। विचाराधीन उत्पाद पर किसी तरह से रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से इसकी लागत बढ़ जाएगी, जिससे अनुप्रवाही उद्योग बंद होने को मजबूर हो जाएंगे। यह कारक सार्वजनिक/ उपभोक्ता हित में नहीं होंगे।

87. यह भी नोटिस किया गया है कि सभी सूचीबद्ध पैरामीटरों का मूल्यांकन यह दर्शाता है कि यद्यपि आयातों में वृद्धि हुई है फिर भी यह उत्पादन के वृद्धि, समान स्तर के क्षमता उपयोग लगभग शून्य मालसूची, बढ़ते निर्यातों और लाभप्रदता में भारी सुधार (वर्ष 2013-14 में पहली तिमाही-तीसरी तिमाही से चौथी तिमाही) के प्रासंगिक हैं। यद्यपि मांग में गिरावट आई है और घरेलू बिक्रियों का भी यही हाल रहा तथा घरेलू उद्योग निर्यात में भारी सुधार प्रदर्शित करने में सक्षम रहा है। इसे इस तथ्य से भी समर्थन मिलता है कि घरेलू उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार लाभप्रदता में तीव्र एवं भारी सुधार यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा हो गया है और उसने निर्यात बाजार में अच्छी स्थिति हासिल कर ली है। इसलिए, जब घरेलू उद्योग ने सुधार के संकेत दिए हैं जो रक्षा की मांग करना, रक्षोपाय की भावना के अनुरूप नहीं होगा, क्योंकि घरेलू उद्योग ने स्वयं ही यह प्रस्तुत किया है कि उनके मामले में संवर्धित उत्पादन तथा क्षमता उपयोग क्षति का एक कारक नहीं है।

88. उपर्युक्त के मद्देनजर घरेलू उद्योग द्वारा तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए बिन्दुओं और गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति की चुनौती की जांच पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जब घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है तो "अनराट एल्यूमिनियम के नाट अलायड इन्गट्स" पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना इस स्तर पर न्यायोचित नहीं होगा और इसलिए यह अंतत: पूर्णरूपेण जनहित में नहीं होगा।

ञ. आयातों में वृद्धि तथा कारित गंभीर क्षति एवं गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध

89. नियम 8 के अनुबंध के पैराग्राफ 2 में संवर्धित आयातों तथा गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंधों का प्रावधान है। यह प्रदर्शित होना चाहिए कि गंभीर क्षति संवर्धित आयातों के कारण ही कारित हुई है।

90. कोरिया डेयरी पैनल ने "कारणात्मकता" का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित आधारभूत अधिगम निर्धारित किया है।

"अपना कारणात्मक संबंध आकलन करने में हमारा विचार है कि राष्ट्रीय प्राधिकारी को यह विश्लेषण करना और यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि क्या उद्योग में हुआ विकास, जिसे राष्ट्रीय प्राधिकारी ने गंभीर क्षति का प्रदर्शन करने के लिए विचारा है, संवर्धित आयातों के कारण कारित किया गया है। अपने कारणात्मक आकलन में राष्ट्रीय प्राधिकारी को उन सभी संगत कारकों का उद्देश्यपरक एवं परिमाणात्मक प्रकृति का मूल्यांकन करना होता है जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, यदि राष्ट्रीय प्राधिकारी ने संवर्धित आयातों के अलावा कुछ अन्य ऐसे कारक अभिज्ञात कर लिए हों

जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इन कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए यह नहीं माना जाएगा कि वह क्षति संवर्धित आयातों द्वारा कारित की गई है।

एक कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए कोरिया को यह प्रदर्शित करना कि इसकी घरेलू उद्योग को क्षति संवर्धित आयातों के कारण हुई है। दूसरे शब्दों में, कोरिया को यह प्रदर्शित करना पड़ा कि एसएमपीपी के आयातों द्वारा दुग्ध पावडर और अपरिष्कृत दुग्ध का उत्पादन करने वाली घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करने के उपरांत कोरियाई प्राधिकारियों की यह प्रतिबद्धता थी कि वह अन्य कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए संवर्धित आयातों को उत्तरदायी न ठहराएं।[1]

91. कारणात्मक का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन सभी संगत कारकों का मूल्यांकन किया गया जिनका उद्योग की स्थिति पर उद्देश्यपरक एवं परिमाणात्मक प्रभाव होता है। वर्तमान मामले में इस संबंध में निम्नलिखित प्रासंगिक है :

92. घरेलू उद्योग द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि संवर्धित आयातों तथा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के बीच प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध है।

(क) इस उत्पाद की बिक्री प्राथमिकत: आयातों की तुलना/प्रतिस्पर्धा में की जाती है। आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम है।

(ख) घरेलू उद्योग की बिक्री के अवसर समाप्त हो रहे हैं। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सा, निवेश पर प्रतिलाभ में कम कीमत वाले आयातों की मौजूदगी के कारण गिरावट आई है। तथापि, लगभग नगण्य मालूसची में, उत्पादन बढ़ रहा है, अत्यधिक अभिनव अवधि में बढ़ते निर्यातों और उत्पादकता में वृद्धि आयातों में वृद्धि के साथ हुई है।

(ग) इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संगत रूप में भारी वृद्धि हुई है। संवर्धित आयातों के कारण आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

(घ) क्षति अवधि के दौरान इस विचाराधीन उत्पाद की समग्र मात्र में अत्यधिक अभिनव अवधि में गिरावट आई है और ऐसा प्रतीत होता है कि संवर्धित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति कारित की गई है।

93. उपर्युक्त कारकों की जांच यह दर्शाती है कि यद्यपि आयातों में वृद्धि हुई फिर भी ऊपर निर्धारित किए गए के अनुार क्षति अथवा गंभीर क्षति नहीं हुई है। इसलिए इन दोनों के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने की जरूरत महसूस नहीं होती है।

ट. समायोजन योजना

94. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5(2) में "आयात प्रतिस्पर्धा के साथ सकारात्मक समायोजन करने के लिए बनाई गई योजना या किए जा रहे प्रयासों या दोनों" के संबंध में प्रस्तुतिकरण करना अपेक्षित होता है। रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार में प्रावधान है कि कोई सदस्य रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग समायोजन को सुलभ बनाने तथा गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने के लिए आवश्यकतानुसार कर सकता है।

95. निर्णयात्मक रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को एक सीमित समयावधि प्रदान करना है जिसके अंदर वे अपना इस तरह पुनर्गठन कर सकें जिससे कि वे आयातों के साथ कारगर ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख(4) तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली 1997 के नियम 16(2) में ऐसे साधन का उपयोग करने का निषेध किया गया है तब ऐसे साक्ष्य हों कि घरेलू उद्योग समायोजन का प्रयास नहीं कर रहा है।

96. इस संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित समायोजन योजना की है :

(i) औसत ऊर्जा खपत में कमी

एल्यूमिनियम का उत्पादन करने में विद्युत एक प्रमुख इनपुट लागत है। एल्यूमिनियम का उत्पादन करने में विद्युत की लागत लगभग 35-40 प्रतिशत के आसपास होती है। घरेलू उद्योग ने एक रोडमैप बनाया है और लागत को कम करने के लिए परियोजनाओं का एक सेट अभिज्ञात किया है।

(ii) कच्चे माल की लागत में कमी :

क. घरेलू उद्योग ने एल्यूमिना की लागत को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एल्युमिना संयंत्र संस्थापित करना शामिल है। साफ्ट बाक्साइट (लो टम्परेचर डाइजेशन) तक अच्छी पहुंच वाली अवस्थिति और दोहरे डाइजेशन प्रणाली का उपयोग, दोनों से एल्युमिना की लागत कम करने में सहायता मिली है।

ख. एल्युमिना और एल्युमिनियम फ्लोराइड जैसे एल्युमिना हैंडलिंग का स्वचालितीकरण और प्रक्रिया इष्टतमीकरण, एफटीपी का आधुनिकीकरण आदि जैसे प्रयास लागत को कम करने के लिए किए गए है।

[1]कोरिया पर पैनल रिपोर्ट – डेयरी, पैरा 7.89-7.90

ग. विनिर्माण लागत : आस्तियों का इष्टतमीकरण "सिग्मा पहल और सिस्टम में सृजित कतरू का समुचित मूल्यवर्धन" जैसी कई पहलों को अपनाकर सिस्टम का सुदृढ़ीकरण करके विनिर्माण लागत को नियंत्रित रखने के लिए प्रयास किए गए हैं।

(iii) द्रव क्षति में कमी :

घरेलू उद्योग प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं पर निवेश कर रही हैं ताकि आगे आने वाले वर्षों में द्रव क्षति को कम करने की योजना बनाई जा सके।

(iv) मानवशक्ति लागत में कमी :

मानवशक्ति आबंटनों का पुनर्गठन करके, उत्पादकता बढ़ाकर तथा गैर मूल्यवर्धन क्रियाकलाप कम करके मानव शक्ति लागत को कम करने पर विशेष प्रकाश डाला जा रहा है।

(v) प्रशासनिक एवं बिक्री लागत :

लागत कम करने वाले विभिन्न उपायों के कारण घरेलू उद्योग का प्रस्ताव है कि अगले दो वर्षों में प्रशासनिक एवं बिक्री लागत को कम किया जाए।

97. इस मामले में घरेलू उत्पादकों ने एक समायोजन योजना निर्धारित की है जो मुख्यत: लागत कम करने पर प्रकाश डालती है। घरेलू उद्योग ने एक समायोजन योजना प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने आयात प्रतिस्पर्धा से सकारात्मक समायोजन करने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण दिया है। इस योजना में ऊर्जा खपत में कमी, कच्चे माल की लागत में कमी, विनिर्माण लागत और मेल्टिंग क्षति में कमी पर प्रकाश डाला गया है। तथापि समायोजन योजना में दिए गए विवरण की संवीक्षा करने से यह स्पष्ट होता है कि समायोजन योजना के कारण प्रतिस्पर्धी बनने के संबंध में घरेलू उद्योग के इरादे को ठोस विचार प्रदान करने के लिए क्रियान्वित/पहले से मौजूद समायोजन उपायों के संबंध में कोई साक्ष्य बताया/उल्लिखित नहीं किया गया।

VIII. निष्कर्ष एवं सिफारिश

98. संगत कारकों की जांच करने पर मैं पाता हूं कि :

(i) आयातों में आधार वर्ष तथा तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में उत्पादन और मांग के संबंध में तथा समग्र रूप से आयातों में भारी वृद्धि हुई है। तथापि, आयातों में वर्ष 2010-11 आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में गिरावट आई है। तथापि, प्रवृत्ति वर्ष 2011-12 से आयातों में वृद्धि दर्शाती है।

(ii) अद्यतनीकृत आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि घरेलू उद्योग की स्थिति में उत्पादन, बिक्री (निर्यात बिक्री सहित), लाभप्रदता (वर्ष 2013-14 की अंतिम तिमाही) तथा क्षमता उपयोग जैसे कारकों के संबंध में सुधार हुआ है। चूंकि मेरे विचार से कोई भारी समग्र परिक्षयण नहीं हुआ है इसलिए गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती नहीं हुई है।

(iii) घरेलू उद्योग यह प्रदर्शित करने में सक्षम हुआ है कि जहां तक मध्यपूर्व के देशों से संवर्धित आयात का संबंध है बाजार में विचाराधीन उत्पाद में विकास अनपेक्षित था।

(iv) घरेलू उद्योग यह प्रदर्शित करने में सक्षम रहा कि विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण न्यूनतम है और इसलिए यह जनहित में है। तथापि, घरेलू उद्योग ने बढ़ते हुए आयातों और गिरती हुई बिक्री और लगभग शून्य मालसूची के बावजूद अपनी लाभप्रदता में सुधार करने में सक्षम हुआ है, तो सामान्य जनता पर न्यूनतम प्रभाव भी पूरी तरह से जनहित में नहीं होगा क्योंकि तब यह अर्थक्षम, सुदृढ़ एवं अच्छी तरह से निष्पादन करने वाले उद्योग को रक्षा प्रदान करना प्रदर्शित करेगी जो रक्षोपाय शुल्क के संरक्षण के साथ-साथ कठिन होगा।

(v) विधि के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रमुख उद्देश्य उद्योग के भारी समग्र परिक्षयण का आकलन करना है। सक्षम प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के पक्ष में पैरामीटरों की संख्या मात्र से शासित नहीं किया जा सकता। यदि कोई एक पैरामीटर घरेलू उद्योग को विपरीत हो तब भी वह पैरामीटर इतना संवेदनशील होगा कि इससे घरेलू उद्योग की पर्याप्त क्षतिपूर्ति हो जाती है और यह घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति में सुधार करती है तो भी रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण नहीं किया जा सकता है। इस मामले में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में अभिनव अवधि में भारी सुधार हुआ है जिससे कि अन्य रक्षोपाय पैरामीटर के कारण उनको विपरीत स्थिति/क्षति की प्रतिपूर्ति करना संभव नहीं है। यदि घरेलू उद्योग की संघटक इकाइयों में से किसी एक में ब्याज की लागत में फैक्टरिंग के संबंध में घरेलू उद्योग के प्रस्तुतिकरण पर विचार किया जाता है तब भी घरेलू उद्योग लाभ ही में रहता है। ऐसी स्थिति में मेरा विचार है कि घरेलू उद्योग की स्थिति में परिक्षयण हो सकता है परंतु यह परिक्षयण न तो भारी है और न ही समग्र। इसके अतिरिक्त, उतपादन, उपयोग, कुल बिक्री, मालसूची आदि के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति में भी सुधार हुआ है।

99. उपर्युक्त के मद्देनजर, "अनराट एल्यूमिनियम के नाट एलायड इनगट्स" पर रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश नहीं की जाती है और इस संबंध में यह जांच समाप्त की जाती है।

[फा. सं. डी-22011/1/2014]

आर. के. सिंगला, महानिदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
DIRECTORATE GENERAL (SAFEGUARDS)
CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2014

Subject:-Safeguard investigation concerning imports of 'Not Alloyed Ingots of Unwrought Aluminium' into India-Final Findings.

G.S.R. 706(E).— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 thereof;

I. Procedure

1. An application has been filed before me under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by M/s. Hindalco Industries Ltd., M/s Sesa Sterlite Ltd. and M/s Bharat Aluminium Company Ltd. through their consultant M/s TPM Consultants for imposition of Safeguard Duty on imports of "Not Alloyed Ingots of Unwrought Aluminium" (hereinafter referred to as PUC) into India to protect the domestic producers of PUC against serious injury/threat of serious injury caused by the increased imports of PUC into India.

2. In order to satisfy the requirements under Rule 5 of the said Safeguard Rules, the information presented by the applicant was got verified by on-site visit to the plants of the domestic producers to the extent considered necessary. The non-confidential version of verification report is kept in the public file. On being satisfied that the requirements of Rule 5 were met, the Notice of Initiation of Safeguard investigation concerning imports of Not Alloyed Ingots of Unwrought Aluminium into India was issued under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 on 7th April, 2014 and was published in the Gazette of India, Extraordinary on the same day.

3. A copy of the Notice of Initiation dated 7th April, 2014 along with copy of non-confidential version of the application filed by the Domestic Industry were forwarded to the Central Government, in the Ministry of Commerce and other Ministries concerned, Governments of major exporting countries through their embassies in India, and the Interested Parties listed below, in accordance with Rule 6(2) and 6(3) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997:

A. Domestic Producers

M/s. Hindalco Industries Ltd., M/s Sesa Sterlite Ltd. and M/s Bharat Aluminium Company Ltd.

B. Importers/Users:-

1. AERO CANS INDIA PVT. LTD., OFFICE NO. 104, CITY CENTRE, SYNAGOGUE, STREET, PUNE CANTONMENT, MAHARASHTRA
2. ALLOY TECH, PLOT NO. 22E, III MAIN, V CROSSATTIBELE INDL. AREA, ANEKAL TALUK, BANGALORE, KARNATAKA
3. ALM METALS & ALLOYS LTD., SURVEY NO. 56, N.H. 8A, VAGHASIYA, WANKANER, DISTRICT - RAJKOT, GUJARAT-363621
4. ANAND ENTERPRISES, SURVEY NO. 237/ 238, PLOT NO. 3, 4 & 7B, NH- 8B AT VILLAGE VERAVAL (SHAPAR), DISTRICT - RAJKOT, GUJARAT-363624
5. ANVIL CABLES PVT. LTD., KRISHNA IST FLOOR, ROOM NO. 102, 224, A.J.C. BOSE ROAD, KOLKATA
6. APAR INDUSTRIES LIMITED, APAR HOUSE, CORPORATE PARK, BUILDG NO. 5, SION TROMBAY ROAD, CHEMBUR, MUMBAI – 400071
7. ARCIL CATALYST PRIVATE LIMITED, ON COASTAL HIGHWAY, P.O. MUJIPUR, TALUKA PADRA,VADODARA
8. ARKEMA CATALYST INDIA PVT. LIMITED, 6B, RUBY HOUSE, 2ND FLOOR, J.K. SAWANT MARG, DADAR [WEST]

9. BASE METAL CHEMICALS, 101, SYNERGY HOUSE II, GORWA SUBHANPURA, VADODARA-390 023, GUJARAT.

10. BOTHRA METALS & ALLOYS LTD., BOTHRA HOUSE, ROOM NO. 15, 3RD FLOOR, 5 ASSEMBLY LANE, DADY SETHAGYARI LANE, KABADEVI, MUMBAI-400002, MAHARASHTRA

11. CLASSIC METAL CORPORATION, WING-402/403, RAMJI HOUSE, 4TH FLOOR, 30, JAMBULWADI, KALBADEVI ROAD, MUMBAI - 400002

12. DELTRONIX INDIA LTD., E-3, SECTOR 59, NOIDA-201301

13. DYNAMIC CABLES PVT. LTD., F-260, ROAD NO. 13, VKI AREA, JAIPUR

14. ELECTROLEAD PUNE PVT. LTD., GAT NO. 146, VILLAGE MAHALUNGE, CHAKAN INDUSTRIAL AREA, TALKHED, DIST. PUNE-410501

15. LAKSHMI IMPEX, NO. 1126, IST FLOOR, T.N.H.B. COLONY, VILLAPURAM NR PRESTIGE BUILDING, AVANIAPURAM, MADURAI, TAMILNADU

16. LAP-ROSS ENGINEERING LTD, PULIVALAYAM VILLAGE, BANAVARAM POST, SHOLINGHUR, VELLORE DISTRICT, RANIPET 632505, TAMIL NADU

17. MAITRI IMPEX, OFFICE NO. 905, SHREE GURUKRUPA TOWER, SUBHASH ROAD, MOTI TANKI CHOCK, RAJKOT-360001

18. MANAKSIA LTD. (FORMERLY HINDUSTHAN SEALS LTD.), BIKANER BUILDING 8/1, LAL BAZAR STREET., 3RD FLOOR, KOLKATA-700001

19. MET TRADE (INDIA) LTD. 138-139, MAIN ROAD GAZIPUR, DELHI-110096

20. IMAC ALLOY CASTING, NO. 4-6, MADHAVARAM HIGH ROAD, SEMBIUM, CHENNAI-600011, TAMIL NADU

21. ISMT LIMITED, LUNKAD TOWERS, VIMAN NAGAR, PUNE-14

22. JSK INDUSTRIES PVT. LTD., 9, A.K. NAIK MARG, CST (VT)., MUMBAI

23. KATARIA INDUSTRIES PVT. LTD., 34-44 INDUSTRIAL ESTATE, RATLAM, MADHYA PRADESH

24. KEVIN IMPEX, 9, 86 - MAPLA WADI, BEHIND ROSHAN BAKERY, LOVE LANE, MAZGAON, MUMBAI-400010, MAHARASHTRA

25. OMALCO EXTRUSION PVT. LTD., B/4 PUSHPA COMPLEX, D.B. GUPTA ROAD, PAHAR GANJ, DELHI

26. PARAGON INDUSTRIES LTD. ZAKIR COLONY HAPUR ROAD, OPP. L BLOCK, MEERUT-250004, UTTAR PRADESH

27. POLYCAB WIRES PVT. LTD., 1ST FLOOR, HICO HOUSE 771, PANDIT SATAWALEKAR MARG, MAHIM(W)

28. RANI METALS, PLOT NO. 67, JEEVAN NAGAR, PART-II, BALLABHGARH, FARIDABAD

29. SAGE METALS LTD., 346 FUNCTIONAL INDL. ESTATE, PATPAR GANJ, DELHI-110092

30. SHIBU ALUMINIUM INDUSTRIES, RAKSHAK VIHAR POST, AMBALA ROAD, JAGADHRI, HARYANA-135003

31. SMITA CONDUCTORS LTD., 1402/3, RAHEJA CENTRE, NARIMAN POINT, FREE PRESS JOURNAL ROAD, MUMBAI, MAHARASHTRA-400021

32. STANDARD CONDUITS PVT. LTD., 2/3, ASHOK CHAMBERS, DEVJI RATANSY MARG MASJID (EAST), MUMBAI 400009

33. STAR EXPORTS, NO.3, NAVAL HOSPITAL ROAD, PERIAMET, CHENNAI-600003

34. STERLITE TECHNOLOGIES LTD., E-1, E-2, E3, MIDC, WALUJ AURANGABAD-431136, MAHARASHTRA

35. SUNALCO ALLOYS PVT. LTD., R. NO. 26, 2ND FLR., RUNGTA BHAVAN, 94/100, FANASWADI, MUMBAI, MAHARASHTRA-400002

36. SWASTIK METAL ROLLING MILLS, 36/37, HADAPSAR INDUSTRIAL ESTATE, NEAR PRAVIN MASALE COMPANY, HADAPSAR, PUNE-411013

37. TITRA TRADING PVT. LTD., SURVEY NO. 236/1 & 237, WAREHOUSE NO. K 05 & K 06(B), VILL. MITHI ROHA, GANDHIDHAM (KUTCH), PIN-370201

38. GALAXY ALLUMINIUM LLP, 487/1, NR. KUPWAD MIDC PLOT NO N-3, KUPWAD, TAL-MIRAJ, SANGLI /MAHRASHTRA

39. GULBRANDSEN TECHNOLOGIES (INDIA) P. LTD., 405, SYNERGY SQUARE, KRISHNA INDUSTRIAL ESTATE, GORWA, VADODARA, GUJARAT-390016, BIDC, GORWA ESTATE, GORWA, VADODARA, GUJARAT-390003

40. HEENA METAL PVT. LTD, NO. 117, KIKA STREET, GULALWADI, MUMBAI-400004, MAHARASHTRA

41. HINDALCO INDUSTRIES LIMITED, CENTURY BHAVAN, 3RD FLOOR, DR. ANNIEBESANT ROAD, WORLI, MUMBAI-400030

42. HINDUSTAN AERONAUTICS LTD, NO.15/1, CUBBON ROAD, BANGALORE, KARNATAKA

43. HINDUSTHAN VIDYUT PRODUCTS LTD., KANCHENJUNGA, 7TH FLOOR, 18 BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI

44. JSW STEEL LIMITED, JSW- DOLVI WORKS, THE ENCLAVE, 5TH FLOOR, BEHIND MARATHE UDYOG BHAVAN, NEW PRABHADEVI ROAD, PRABHADEVI, MUMBAI-400025

45. JSW STEEL LTD., BANDRAKURLA COMPLEX, MUMBAI-400051

46. M/s. JINDAL ALUMINIUM LTD., BANGALORE

C. EXPORTERS

1. UNITED CO. OF RUSAL, 13/1, NIKOLOYAMSKAYA STR., MOSCOW, 109240, RUSSIA
2. ALUMINUM BAHRAIN, PO BOX: 570, KINGDOM OF BAHRAIN
3. DUBAI ALUMINIUM CO., PO BOX 3627, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES
4. RIO TINTO HEAD OFFICE120 COLLINS STREET, MELBOURNE, AUSTRALIA-3000
5. SOHAR ALUMINUM , SOHAR INDUSTRIAL ESTATE, SOHAR SULTANATE OF OMAN
6. EMAL, EMIRATES ALUMINUM , PO BOX 111023, ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES
7. ALCOA ALCOA GLOBAL CENTER, 390 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10022, UNITED STATES
8. ALUMINUM CORPORATION OF CHINA, NO. 62 XIZHIMEN NORTH AVENUE HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, BEJ 100082, CHINA
9. NORSK HYDRO, DRAMMENSVEIEN 260, NO-0283 OSLO, NORWAY
10. BHP BILLITON LTD., THIRD FLOOR, 6 HOLLARD STREET, JOHANNESBURG, GAUTENG SOUTH AFRICA
11. QATAR ALUMINUM LIMITED, (Q.S.C), P.O. BOX 23086, MESAIEED INDUSTRIAL CITY, QATAR

D. EXPORTING NATIONS

1. EMBASSY OF SULTANATE OF OMAN, NEW DELHI
2. EMBASSY OF UNITED ARAB EMIRATES, MINISTRY OF ECONOMY, NEW DELHI
3. THE HIGH COMMISSION OF SOUTH AFRICA, NEW DELHI
4. MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF RUSSIAN FEDERATION, NEW DELHI

5. EUROPEAN UNION, DELEGATION TO INDIA, NEW DELHI

4. Questionnaires were sent to the known exporters, known importers/users in India and other Interested Parties as per the information available with request to make their views known in writing within 30 days of the Notice of Initiation. Responses were received from the following parties:—

(a) Ministry of Economy
(b) M/s APAR Industries Ltd.
(c) Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation
(d) M/s Century Metal Recycling Pvt. Ltd.
(e) M/s SUNALCO Alloys Pvt. Ltd.
(f) Suri and Suri Law office representing Alcoa Inc
(g) M/s ELP representing M/s Aluminium Bahrain, BSC
(h) Embassy of UAE
(i) M/s JSK Industries Pvt. Ltd.
(j) M/s Smita Conductors Ltd.
(k) Sultanate of Oman, Ministry of Commerce and Industry
(l) M/s Polycab Wires

5. (A) Requests to consider them as Interested Parties were received from the following parties:—

(a) European Union, Delegation to India
(b) Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation
(c) M/s Jindal Aluminium Ltd.
(d) M/s Aluminium Extruders Association of Andhra Pradesh
(e) M/s Bhoruka Extrusion Pvt. Ltd.
(f) Athena laws Associates representing CACMAI
(g) M/s KEI Industries
(h) Australian High Commission
(i) M/s Ravin Cables Ltd.
(j) M/s Finolex Cables Ltd.
(k) Aluminium Extruders Council (ALEX)
(l) Indian Electrical & Electronics Manufacturers' Association (IEEMA)

All the requests were accepted.

(B) The under mentioned parties sought extension of time for submission of a detailed reply in terms of Rule 6(4) of Safeguard Duty Rules, 1997: —

a. M/s Aluminium Bahrain
b. Ministry of Economy UAE
c. Ministry of Commerce and Industry, Sultanate of Oman
d. M/s KEI Inds. Ltd.
e Australian High Commission
f M/s. Ravin Cables Ltd.
g. M/s Finolex Cables Ltd.

Extension of time upto 30.6.2014 was allowed in each case.

II. Views of the Interested Parties (Post-Initiation) :

6. Responses to the Notice of Initiation were received from importers/exporters/exporting nations, as given below:

(1) M/s Aluminium Extruders Association of Andhra Pradesh
(2) M/s Bhoruka Extrusion Pvt. Ltd.
(3) Athena laws Associates representing CACMAI
(4) M/s KEI Industries
(5) M/s Ravin Cables Ltd.
(6) M/s Finolex Cables Ltd.
(7) Aluminium Extruders Council (ALEX)
(8) Indian Electrical & Electronics Manufacturers' Association (IEEMA)
(9) M/s APAR Industries Ltd.
(10) Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation

(11) M/s Century Metal Recycling Pvt. Ltd.
(12) M/s SUNALCO Alloys Pvt. Ltd
(13) Suri and Suri Law office representing ALCOA Inc
(14) M/s ELP representing M/s Aluminium Bahrain, BSC
(15) M/s JSK Industries Pvt. Ltd
(16) M/s Smita Conductors Ltd.
(17) M/s Polycab Wires
(18) M/s Jindal Aluminium Ltd.
(19) Sultanate of Oman, Ministry of Commerce and Industry
(20) European Union, Delegation to India
(21) Embassy of UAE
(22) Australian High Commission

The views expressed by the Interested Parties have been taken into account in making appropriate determination. The non-confidential information received or acquired has been kept in the public file.

7. **Views expressed by Domestic Industry**

i. Imports of PUC have shown a sudden, sharp and significant increase over the period with a significant increase during most recent period.
ii. Imports in relation to production and consumption have also increased over the injury period.
iii. The market share of the DI has declined significantly over the injury period and market share of imports has increased.
iv. The main reason for the increase in imports are-
- The producers across the globe have capacities more than their domestic demand
- Indian market is a sizable market with high growth potential
- Surplus capacities with Middle Eastern countries
- Advantages with foreign producers
 a. Cheap Energy Cost
 b. India is a freight friendly market

v. Production of DI declined and then increased. But, despite increase in demand, Production in current year was still lower than production in 2010-11.
vi. Sales have declined significantly in the recent period with the increase in imports in this period.
vii. The level of employment has marginally declined. Productivity of the DI has declined.
viii. Profitability profit before tax and return on investment of the DI has steeply declined over the period.
ix. The price difference between domestic and imported product is quite significant.
x. The foreign producers are holding significant unutilized capacities. Resultantly , the foreign producers are looking for additional markets to the extent possible:
xi. The volume of imports has increased significantly in a relatively short period.
xii. Significant share in the domestic market is already held by the imports and such shares are increasing.
xiii. In view of steep deterioration in performance of the DI as a result of increased imports of the PUC, imposition of 10% safeguard duty for four years is requested.

8. **Views expressed by Aluminium Extruders Association of Andhra Pradesh (ALEXTA)**

i. Primary producers are pricing aluminium metal taking into account the LME (London Metal Exchange) Price, international premiums, ex-change rate and import duties. Indian producers are charging high premium and incur no cost in shipping material to domestic consumers. They already have the protection of prevailing 5% custom duty.
ii. Primary producers are exporting large quantity products, almost 30-40% of their capacities and are creating artificial shortage within the country.
iii. If safeguard duty is imposed this will be considered by the primary aluminium producers while pricing their products for domestic market. Imports will still continue because the domestic price will be at par with imports. This will only add additional profit to the primary aluminium producers and will cause additional burden to downstream industry and consumers in India.
iv. The price of finished aluminium products in domestic market will be higher than the international market price. This will increase import of finished products making downstream industry unviable and eventually close down effecting the employment and revenue generation of the country.
v. Safeguard duty will increase the dependency of manufacturers of downstream products and jeopardize the larger interest of the trade and economy. It will adversely affect thousands of downstream industries.

9. **Views expressed by Sunalco Alloys Pvt. Ltd.**

i. The reduction in production of DI is not due to imports and the losses are not due to high increase in production cost but due to reduction of LME prices in international market.
ii. Any imposition of duty will negatively affect the small and medium scale industries and employment as well.
iii. Reduction in profitability and loss is due to expansion, over expansion and internal restructuring by the said companies.
iv. No injury to DI.
v. If safeguard duty is imposed, cost of production for local importer would increase, making it difficult to compete to international sellers.
vi. Safeguard duty is not in the consuming industry's and public interest.
vii. In case SG duty is imposed then the same may be implemented .
- on secondary Aluminium Alloys and Re-melted Aluminium ingots imports as well.
- In FTA, as well, impose safeguard duty equivalent to raw material of Aluminium Scrap duty % at present i.e. 2.5.%.

10. **Views expressed by Jindal Aluminium Ltd.**

i. Data relating to production is false
ii. Claim that the applicants are operating with significant unutilized capacities is not correct
iii. There is no ground for serious injury for an industry which is operating more than its installed capacity. Only Hindalco, a major producer is affected due to high interest cost, shortage of coal and CBI enquiry on its allocation of coal mine.
iv. Nalco one of the leading producer has not joined the DI in the petition.
v. The domestic prices of aluminium are unreasonably high and more than International prices.
vi. DI is expanding at a rapid pace and has undertaken further expansions to ramp up its aluminium capacity.
vii. The company can compete with any aluminium company in the world and just wants to amass unreasonable profits at the cost of its consumer industry. However the losses claimed by the DI are mainly because of not getting bauxite mines from the Government and heavy interest burden on their unplanned and huge capital expenditures. The company is not incurring any losses due to imports of ingots in the country.
viii. Imports from Middle East are not cheaper as claimed by the petitioners.
ix. Most of the import of aluminum by the secondary aluminium manufacturer and processors is mainly against their export entitlements.
x. If the correct production figures are considered and compared with the import data, imports constitute only 14.02 % of the Indian production. The increase in imports is due to unfavorable pricing policy for the domestic customers which force the Indian customer to pay higher prices than prevailing in LME.
xi. The industry shows no signs of retrench employees, no unutilized capacities, no abnormal decline in profits cannot be treated as under threat and be given extra protection of SG duty to amass extra profit as the cost of public.
xii. Safeguard duty will be counter productive of revival of the economy as it will increase costs of all aluminium products and affect the demand across all sectors of the economy including infrastructure, automobiles etc.
xiii. No injury, misleading data, production gone up, profit levels are same, may be little less and no job loss.

11. **Views expressed by Bhoruka Extrusion Pvt. Limited**

i. Petitioner are using bulk of their smelting capacity for value added products to earn higher profits. They give preference to maximize production of their downstream products such as wire rods, rolled products, foils, alloy ingots extrusions etc. The production of ingots will naturally show a declining trend , despite increase in production. The Indian consumers are compelled to import as very less quantity of ingots is made available to them by the applicants.

ii. Production data is wrongly furnished

iii. The producers are exploiting the situation by starving the local industry.

iv. Hindalco is affected due to high interest cost, shortage of coal and CBI enquiry on its allocation of coal mine.

v. Nalco one of the leading producer is not threatened by increase in imports and has not joined the petitioner companies.

vi. The pricing system of the petitioner is designed to squeeze every penny out of the downstream aluminium industry. The domestic aluminium prices are based on prevailing (LME prices+Main Japanese Port Premium+5% Custom Duty)*highest exchange rate prevailing in the country + freight+ other charges. Whenever there is a change in these factors, the domestic prices are also changed, though the cost of production remains the same.

vii. Primary producers are manufacturing metal at a cost which is lowest in the world and selling the same at rates which are highest in the world.

viii. Aluminium prices are depressed globally but despite that the applicants are making good profits and increasing their capacities regularly. Their profitability has decreased slightly due to depressed global economy,high interest burden

12. **Views expressed by Cable and Conductor Manufacturers' Association of India (CACMAI)**

i. Safeguard measures are extraordinary remedies to be taken only in emergency situation.

They are remedies that are imposed in the form of import restrictions in the absence of any allegation of an unfair trade practice.

ii. Import of material at prices lower than prevailing in India cannot per se be regarded as being prejudicial to the public interest.

iii. The petition does not fit into the objective of Safeguard duty under the law.

iv. Non joining of NALCO as a Domestic Industry.

v. Wrong comparison of production figures.

vi. As per their own admission the production figures of last three years suggest that domestic industry does not require any protection.

vii. No injury in capacity utilization.

viii. No unforeseen developments.

ix. The closing inventory of domestic industry is very low . The figures shown are absurd.

x. Captive consumption of ingot, export of ingots and LME effect not examined.

xi. Imports have neither caused serious injury nor they are threatening to cause serious injury.

xii. Absence of causal link between increased import and injury.

xiii. Petition has been initiated without examining the accuracy and adequacy of data.

xiv. No case of ex parte Provisional Safeguard duty in the absence of critical circumstances.

xv. Safeguard duty on Aluminium ingots is against public interest. Even if the injury is proved, the safeguard duty may not be imposed following the precedence of case of phosphorous in 1999. In the case Director General refused to recommend imposition of Safeguard duty on the ground of public interest in spite of finding of serious injury.

13. **Views expressed by M/s RAVIN Cables Ltd.**

i. No separate data for imports under advance licence and duty paid imports has been provided. Import data seems to include all the products covered under Ch 76. Indexed data is provided instead of absolute data so as to make comparison impossible.

ii. The so called surge in aluminium imports is mainly attributable to the deeds and misdeeds of domestic aluminium producers and is not all of sudden and not due to any unforeseen developments.

iii. The capacity utilization in terms of % is lower not due to imports but due to number of factors like operational set backs, natural calamities, power and coal shortages, recession in both global and Indian economies etc.

iv. Export of PUC is much more than the import of PUC.

v. In some cases, absolute figures have been given, whereas, in many other cases, indexed figures are given as per the convenience of the petitioners

vi. The petition is not complete in itself, the opposing industry has not been able to give comprehensive reply.

vii. Any step to impose safeguard duty will adversely impact the viability of downstream industries which adversely will impact the viability of Aluminium Industry itself and may result into loss of employment as well as severely reduce Indian Exports resulting into loss of Foreign Exchange earnings for the country.

viii. NALCO is excluded. Hence, the petition doesn't represent the entire DI.

ix. Export data has not been provided.

x. Though the LME prices are falling, prices charged by DI are on the rise every year forcing downstream industry to import PUC.

xi. There is uncertainty in the supplies from DI due to operational setbacks.

xii. The quality of the PUC of DI is poor and competitive commercial terms are not provided.

xiii. Fall in any of the economic indicators of DI are not significant and exceptional enough to justify imposition of the safeguard duty.

14. **Views expressed by ALCOA INCs through Suri & Suri Law Offices**

i. There is no indication that increased import volumes are causing any injury. They are a natural consequence of the domestic industry' choice to allocate production capacity to higher margin value added products.

ii. Director General may conduct its injury analysis including NALCO.

iii. Imports and domestic production have both increased in response to increase in domestic demand.

iv. The applicants planned capacity increase demonstrates the growth and viability of the domestic market.

v. The applicant's performance data are not impacted by increased import volumes.

vi. The Domestic Producers already enjoy significant market insulation.

vii. There is no evidence that serious injury is imminent, nor that any such threatened injury is linked to increased import volumes.

viii. The applicants claim on injury is based largely on adverse economic conditions. The profitability of the DI deteriorated in 2012-13, but it recovered significantly in 2013-14.

ix. There is no indication that deteriorating profit was a result of import surges rather than global demand conditions.

15. **Views expressed by JSK Industries Pvt. Ltd.**

i. Petitioners prefer to make more of other products having higher value addition curtailing ingot production.

ii. POI 2011-12 to 2013-14 covers the recovery period from global recession during which demand has been low and every industry was struggling.

iii. Misleading data.

iv. The import data of ingots submitted by the petitioner companies is for total imports. Major part of import is against export incentives.

v. Other critical factors like non availability of raw material have affected the profitability.

16. **Views expressed by All Indian Aluminium Extruders Council (Alex)**

i. Petitioner are using bulk of their smelting capacity for value added products to earn higher profits. They give preference to maximize production of their downstream products. The production of ingots

will naturally show a declining trend, despite increase in production. The Indian consumers are compelled to import as very less quantity of ingots is made available to them by the applicants.

ii. The producers are exploiting the situation by starving the local industry.

iii. Hindalco is affected due to high interest cost, shortage of coal and CBI enquiry on its allocation of coal mine.

iv. Nalco one of the leading producer is not threatened by increase in imports and has not joined the petitioner companies.

v. The domestic aluminium prices are based on prevailing (LME prices+Main Japanese Port Premium+5% Custom Duty)*highest exchange rate prevailing in the country + freight+ other charges. Whenever there is a change in these factors, the domestic prices are also changed, though the cost of production remains the same.

vi. Primary producers claim to be manufacturing metal at a cost which is lowest in the world and selling the same at rates which are highest in the world. They are able to sell at prices higher than international rates.

vii. Aluminium prices are depressed globally but despite that the applicants are making good profits and increasing their capacities regularly.There profitability has decreased slightly due to depressed global economy and high interest burden.

viii. Financial results of NALCO show that despite alleged surge in imports, NALCO's profit in the current year will be better even in this depressed global economic situation and lower metal prices. Fall in LME prices has been compensated by depreciation of Rupee by more than 20% in last two years.

ix. The cost of production in Middle East is not low as claimed.

x. Most of the imports are against export entitlements.

xi. Production data is wrongly furnished.

xii. It has been alleged that the applicants are forced to exports to liquidate their inventories. The fact is all the applicants are exporting under a preplanned long term strategy for various reasons: to full fill exports obligation, to feed their associate companies abroad, to meet their currency exposure. In exports they have better realization.

xiii. Taking a total smelting capacity and showing production only of some product is gross misrepresentation of the facts.

xiv. Figures have been concealed, twisted and misrepresented by showing indexed numbers at many places.

xv. There has been no job loss in the plants of the applicant.

xvi. Profitability of the domestic industry has slightly been affected with relation to 2010-11 because of global recession and not because of surge in imports.

xvii. Safeguard duty will increase the costs of all aluminium products and affect the demand across all sectors of the economy including infrastructure, automobile etc.

17. **Views expressed by Century Extrusions Limited (The submissions are similar as reflected above by ALEX)**

18. **Views expressed by IEEMA (The submissions are similar as reflected above by ALEX)**

19. **Views expressed by Smita Conductors Ltd. (The submissions are similar as reflected above by ALEX)**

20. **Views expressed by KEI Industries Ltd. (The submissions are similar as reflectedabove by ALEX)**

21. **Views expressed by Finolex Cables Limited (The submissions are similar as reflected above by ALEX)**

22. **Views expressed by UAE, Ministry of Economy**

i. Import data of the PUC from UAE during the period of investigation is erroneous and inflated probably due to misclassification of aluminium items being exported from UAE to India and especially by including alumimium items of billet and foundry under the same tariff classification (76011010). Wrong initiation.

ii. No unforeseen development

iii. No positive evidence that the alleged increased imports of the PUC caused a serious injury and threatened to cause to cause a serious injury to the applicants.

iv. No causal link between increased imports and the alleged serious injury. The applicants' alleged injury is due to global trends and drop in LME price during the period of investigation`

23. **Views expressed by APAR Industries**

i. Non joining of Nalco. The petition filed is not really representative of entire domestic industry.

ii. Surge in imports has been more than compensated by growth of exports.

iii. Other factors like global trends, LME prices, Energy cost are responsible for the applicants' economic performance.

iv. There is no serious injury.

v. Alleged economic performance is falsely drawn on weak data, if the perfect data or recent data is undertaken for investigation then there is no scope for imposition of safeguard measures.

24. **Views expressed by Australian High Commission**

i. Product coverage needs further investigation and clarification.

ii. The second largest domestic producer in India, Nalco is not supportive of this petition. Nalco must be included in the examination. Nalco is not included , whether the remaining producers can fulfil the requirements If of DI.

iii. Intervening trends of imports must be fully taken into consideration in assessing whether an increase in imports satisfies the increased imports requirement of Article 2.1 of the WTO Safeguards Agreement.

iv. Data provided in the petition is not sufficient.

v. In the petition, the use of 'domestic industry' and domestic production' is not consistently referring to the petitioners only which creates confusion.

vi. Imports have increased but market share of DI increased proportionately with increased imports.

vii. The combined market share of the petitioners is actually increasing compared with Nalco's market share. The % of market share of imports appears to be trending in line with the increase of market share of the petitioners.

viii. No unforeseen circumstances

ix. 'Other factors' that may have caused the injury may be examined.

x. No serious injury or threat of serious injury as there has been a sustained increase in installed capacity over the past years.

III Public Hearing:-

25. A public hearing was held on 3rd July.2014, notice for which was sent on 17th June, 2014 to the Interested Parties. In the said Public Hearing, Domestic Industry,M/s. Hindalco Industries Ltd, M/s. Sesa Sterlite Ltd and M/s. Bharat Aluminium Company Ltd as well as the following parties attended:-

Exporting Nations

1. Australian High Commission.
2. Trade and Economic Section, Delegation of the European Union to India.
3. Embassy of Sultanate of Oman .
4. Russian Federation.
5. Embassy of UAE.
6. Kingdom of Bahrain.
7. Malaysian High Commission
8.

Exporters

1. M/s Aluminium Bahrain.
2. M/s Rio Tinto, Australia.

Importers/ Importers Associations

1. M/s APAR Inds. Ltd.
2. M/s Bhoruka Extrusions Pvt. Ltd.
3. Cable and Conductor Manufacturers' Association of India (CACMAI) represented by Athena Law Associates
4. Hindustan Vidyut Products Ltd
5. IEEMA
6. M/s Jindal Aluminium Ltd.
7. M/s JSK Industries Pvt. Ltd.
8. M/s Ravin Cables Ltd.
9. M/s Smita Conductors Ltd.
10. M/s Sterlite Technologies Ltd.
11. Polycab wires (P) Ltd.
12. Century Extrusions.
13. Aluminium Extruders council.
14. M/s Indo AlusysInds. Ltd.
15. Sudal Industries Ltd.
16. Alom Extrusions Ltd.

26. All Interested Parties who participate in the public hearing are required to file a written submission of the views presented orally in terms of Sub-rule (6) of Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997. Thereafter, copy of written submissions filed by an Interested Party is made available to all other Interested Parties, including the Domestic Industry. Interested Parties and Domestic Industry are also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other Interested Parties. In the course of the Public Hearing in this matter on 3rd July, 2014, the Domestic Industry made oral submissions followed by a written submission. All Interested Parties who participated in the public hearing were requested to file a written submission of the views presented orally in terms of sub rule (6) of rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997. Copies of written submissions filed by the Interested Parties were made available to all other Interested Parties. Interested Parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other Interested Parties.

27. Accordingly, all views expressed by the Interested Parties in the written submissions post-initiation as well as post-hearing were examined and have been taken into account in making appropriate determination.

IV. VIEWS OF INTERESTED PARTIES (Post-Hearing)

28. **Views of Domestic industry through M/s TPM Consultant**

The Domestic Industry submitted as follow:-

(a) Increased imports of subject goods into India:

(i) Imports of the PUC have increased throughout the injury period, temporary change in the behavior of the imports may not be sufficient to reverse an overall trend indicating existence of increased imports. The imports of the PUC have shown sharp increase in absolute terms as well as in relative terms. The increase in imports is sudden and significant, causing serious injury to the domestic industry.

(b) Unforeseen Circumstances:

The DI has submitted the following reasons, which as per their understanding constitute the unforeseen circumstances in the present case:-

1) Imports of product under consideration have increased significantly over the period. It is submitted by the DI that the majority of the metal being imported is of Middle Eastern origin.The increase in imports is due to following reasons –

ii. Middle East became a net exporter from being a net importer

iii. Significant demand supply gap in middle eastern countries as China's dependence on imports have declined (which was a target market for Middle eastern countries)

iv. Indian market is a sizeable market with a high growth potential has been used to sell off their goods.

v. Advantages with foreign producers

a. Cheap Energy Cost
b. India is a freight friendly market

(c) Injury to the domestic industry:

i. The imports of the PUC have increased significantly in absolute terms and in relation to production and consumption in India.
ii. The overall demand for the PUC over the injury period has declined in the most recent period and increased imports aggravated the injury to the domestic industry.
iii. Production of domestic industry has not declined, as the DI followed a policy of maximizing the production.
iv. The capacity utilization of the DI has not declined
v. Domestic sales have declined significantly in the current year with the increase in imports in this period.
vi. The decline in domestic sales is much more than the decline in demand.
vii. Exports have increased due to compulsion for the DI to liquidate production.
viii. Landed price of imports is lower than
a. selling price of the domestic industry.
b. cost of production of the domestic industry
ix. The profitability has steeply declined
x. Return on investment has declined significantly
xi. No significant change in the level of employment
xii. The decline in market share, sales volumes far outweigh the increase in production.

(d) Threat of Serious Injury:

i. The price difference between domestic and imported product is quite significant

ii. The foreign producers are holding significant unutilized capacities. Resultantly , the foreign producers are looking for additional markets to the extent possible:

iii. The major Chinese market for Aluminium ingots has clogged for the export oriented producers of Middle East countries, whereas the Indian market is quite strong**.**

Demand of the product**:** While the demand in the most recent period declined to some extent, the overall demand over the injury period is positive. Further, in the most recent period, whereas the demand declined, imports surged. Thus, the injury to the domestic industry is due to increased imports.

Export performance: Petitioners have exported the product under consideration. As submitted earlier, the domestic industry cannot hold inventories and are therefore forced to export the goods. Exports by the domestic industry are a result of increased imports of the product in India.

(e) Causal Link:

i. The product is largely sold in comparison/competition with imports. The landed price of imports is significantly lower than the selling prices of the domestic industry.

ii. The domestic industry is losing sales opportunities. Consequently, sales volumes, market share, profits, return on investment of the domestic industry declined due to presence of low priced increased imports.

iii. Increased imports have led to increase in market share of imports. Consequently, market share of the domestic industry declined.

(f) Adjustment Plan:

Domestic Industry has submitted an adjustment plan detailing the efforts planned to be taken to make a positive adjustment to import competition, The plans focus on cost reduction, optimum utilization of the existing and future production capacity.

(g) Public Interest:

a. Imposition of safeguard duty shall arrest decline in the performance of the domestic industry and to restore the injury suffered by the domestic industry. The safeguard duty would enable domestic producers to be viable and competitive.

b. It is in the consumers interest to have a competitive Indian domestic industry capable of supplying the product under consideration to the consumers and compete with foreign producers. Usage of subject goods is must for industrial applications. Therefore it is extremely important from strategic point of view to reduce the import dependence.

c. DI is capable to meet the current and potential/future demand in the country.

d. The impact of the proposed safeguard duty on each of the consumer industry shall be negligible. Petitioner submits that the term public interest has to be considered as the interests of domestic producers, domestic consumers and public at large. In this regard, considering almost negligible impact on the eventual end product and considering that survival of the domestic industry is must, it must be concluded that the imposition of safeguard duty shall be in public interest.

Views of Exporting Nations:

29. **United Arab Emirates (UAE)**

(i) Inaccurate and invalid import data of the product under consideration from UAE.

- UAE exports of aluminum to India are mainly made of billets and foundry Aluminum products that are out of the scope of this investigation and there are only marginal quantities of NOT Alloyed Ingots of Unwrought Aluminum that were effectively exported from UAE to India during the period of Investigation.
- Bills of lading clearly show an obvious discrepancy between the description of the product being effectively exported from UAE to India which is "primary aluminum foundry alloyed ingots" which is out of the scope of this investigation.
- imports are really increasing in this investigation.

(ii) No unforeseen increase of imports that might cause or threaten to cause serious injury.

- Meeting the conditions pertaining to increased imports, serious injury and causality does not suffice for safeguards to be lawfully imposed, but it must further be demonstrated that imports increased as a result of unforeseen developments.

(iii) No serious injury or threat of serious injury to the domestic industry.

- there is no such overall impairment in the position of the applicants as clearly noticeable by an amelioration of the capacity of production, a better capacity utilization, and a progress of profitability.
- the real reason for the fall of the capacity utilization as it is unrelated to imports but " to delays in getting the mining license".
- the improvement of various economic and financial indicators during the last year of the period of investigation undermines any claim of threat of serious injury.

(iv) No causal link between increased imports and the alleged serious injury.

a. No temporal correlation between increased imports and the alleged serious injury:

- In parallel, at the time the volume of imports of the product under consideration increased in 2012-2013, the situation of the applicants was ameliorating as reflected by an apparent increase of almost all the economic indicators, especially, the market share (60%), production (538.657 MT), capacity of production (1.269.900MT), capacity utilization (42%) and domestic sales (461.509 MT).

b. Factors other than increased imports are the cause of any alleged injury to the applicants:

- Falling of the LME price during a particular time frame will consequently induce a fall of the selling price of the producers of the product under consideration.
- Alleged serious injury or threat thereof is not linked to imports trends but rather to unrelated factors including global trends generally and the drop in LME price in particular during the period of investigation.

(v) No Public interest to impose safeguards measures.

- The imposition of a safeguard measure would merely inflate aluminium prices in the Indian market which would have negative impact on key end users of this product in the Indian market.
- The domestic industry is already protected through the imposition of 5% customs duty on imports and thereby the imposition of any additional customs duty in the form of a safeguard measure would definitely prejudice the legitimate commercial interests of other enterprises in India and it is seen as contrary to the public interest.

(vi) Investigation should be terminated without further proceedings. Should the DG Safeguards continue its investigation, there should be no imposition of provisional measures.

30. **Australian High Commission**

i. Product coverage needs further investigation and clarification.

ii. The second largest domestic producer in India, Nalco is not supportive of this petition. Nalco must be included in the examination of whether the DI has suffered serious injury and whether a safeguard measure is justified on this basis. If Nalco is not included, whether the remaining producers can fulfil the requirements of DI.

iii. Intervening trends of imports must be fully taken into consideration in assessing whether an increase in imports satisfies the increased imports requirement of Article 2.1 of the WTO Safeguards Agreement.

iv. Data provided in the petition is not sufficient.

v. In the petition, the use of 'domestic industry' and domestic production' is not consistently referring to the petitioners only which creates confusion.

vi. Imports have increased but market share of DI increased proportionately with increased imports.

vii. The combined market share of the petitioners is actually increasing compared with Nalco's market share. The % of market share of imports appears to be trending in line with the increase of market share of the petitioners.

viii. No unforeseen circumstances

ix. 'Other factors' that may have caused the injury may be examined.

x. No serious injury or threat of serious injury as there has been a sustained increase in installed capacity over the past years.

31. **Russian Federation**

Exclusion of Russian Federation from the application of any safeguard measure on imports of not alloyed ingots of unwrought aluminium from Russian Federation as per the provisions of Article 9.1 of the Agreement on Safeguards of the WTO.

32. **Ministry of Economy of Mexico**

Exclusion of Mexico from the application of any safeguard measure on imports of not alloyed ingots of unwrought aluminium from **Mexico** as per the provisions of Article 9.1 of the Agreement on Safeguards of the WTO.

33. **High Commission of Malaysia**

Exclusion of Malaysia from the application of any safeguard measure on imports of not alloyed ingots of unwrought aluminium from Malaysia as per the provisions of Article 9.1 of the Agreement on Safeguards of the WTO.

34. **Kingdom of Bahrain**

Exclusion of Kingdom of Bahrain from the application of any safeguard measure on imports of not alloyed ingots of unwrought aluminium from Bahrain as per the provisions of Article 9.1 of the Agreement on Safeguards of the WTO.

35. **Sultanate of Oman**

The submissions were received at a very late stage on 2nd September 2014 and therefore were not available for viewing by other interested parties. However, the issues raised have been considered at appropriate places, as below:

i. DG should strike a balance between the protection of confidential information and the right of interested parties to defend their interest.

ii. Discrepancy in figures provided in petition and NOI.

iii. Proper analysis of return on investment and price undercutting should be carried out .

iv. Clarification on methodology of annualized figures needs to be clarified.

v. Waited average price of Oman imports into India, and weighted average price of Bahrain imports into India have an increasing trend over the last four years.

vi. The volume of import alone is not a relevant factor. It must be combined with a significant, sharp, recent increase in imports to qualify as a determined factor in finding serious injury.

vii. Oman exports have a large and almost stable share of imports into India due to its high quality and sound commercial practice

viii. Loss of domestic industry's profit is not due to change in imports.

ix. There is no relationship between change in imports and change in the number of employees.

x. No causal link between imports and alleged injury to the petitioners.

xi. No Public interest

xii. NOI needs more clarification

xiii. Negative changes in the performance of DI are due to other causes of injury but not imports of PUC.

Views of Exporters:

36. **M/s Aluminium Bahrain through ELP Advocates and Solicitors**

i. With regard to injury information, no data has been updated by the Petitioners. The presentation made by the Petitioners at the public hearing relied upon information that was updated for the last quarter of 2013-14 i.e. January 2014 to March 2014.

ii. No ground for issuance of a provisional finding since the data for the latest period is neither filed nor analysed by the Director General (Safeguards).

iii. The representation of injury data is grossly erroneous, misrepresentative and fundamentally violates the requirement for accuracy and adequacy of the information per unit figures are fluctuating in Annualisation while value figures have remained constant in Annualisation, both of which are mathematically impossible.

iv. A large amount of information and data has been claimed to be confidential in the petition and not disclosed even in summarised form- no reason provided as to why this information has been claimed to be confidential.

v. Petitioners have failed to demonstrate any unforeseen developments having led to the increase in imports.

vi. Surplus Capacity in the Middle Eastern Countries: Demand supply gap in "Middle East", from the year 2012 – 2018, does not cover the entire period of investigation.

vii. The data provides a speculative forecast and does not demonstrate that the increase in imports into India is attributable to the alleged surplus capacity in the Middle East. .

viii. Events occurring after the surge in imports cannot be said to have led to the imports in the first place. The analysis needs to be presented for the period of investigation and its preceding period in order to examine whether or not it has had any impact on unforeseeable developments at all.

ix. No evidence to substantiate that the alleged excess capacity was diverted to India instead of China or other markets.

x. The energy costs of foreign producers have always been substantially lower due to the generous natural gas deposits in the middle-east, which is a widely known fact. Therefore, by no means can this development be considered "unforeseen" or "unexpected".

xi. The focus is on the values added products since they yield higher returns. The leftover material and capacity is then utilised for the product under consideration.

xii. The actual capacity utilisation of the petitioners is completely different from the capacity utilisation presented in the petition and initiation notification. Petitioners have been utilising above 90% of their capacity throughout the injury period.

xiii. Lower production of the product under consideration and greater increase on exports has led to a lower sales volume for the domestic industry. The lower sales volume has in turn led to a deficit of demand in the domestic market, leading to an inevitable increase in imports. Therefore, any volume injury suffered by the domestic industry is entirely self inflicted and cannot reasonably be attributed to imports.

xiv. Profitability is improving for the domestic industry, it is clear that the domestic industry is already selling at a price where it may not be injured by any imports.

xv. Due to varied sales realisations (and profitability for various products manufactured at the same plants, the cost should be judiciously allocated to ensure no additional costs are being loaded on to the product under consideration such as High Interest rates of Hindalco for Novelis Debt, Cost of Export Sales, Cost of other products and Captive Consumption of Ingots.

xvi. Profitability of all products should be considered while calculating the NIP i.e. cost and ROCE may be allocated on turnover since the Applicants are deliberately leveraging their capacities in favour of value added downstream products

xvii. The global slowdown in aluminium consumption did lead to substantial surplus capacities worldwide. However, there is now an increase in worldwide consumption and there are no longer any unutilized capacities anywhere.

xviii. If there is a deficit in supply as forecasted by the Petitioners (Hinalco Presentation) themselves, there is bound to be an increase in prices since demand-supply forces would render it a seller's market if supply is in shortage.

xix. There is no causal link between the volume of imports and the profitability of the domestic industry. The largest fall in profits in the entire injury period is in a year where there is no increase in imports at all. There is an increase in profitability from 2012-13 to 2013-14.

xx. There is no relationship- between domestic sales quantity and imports.

xxi. Shift in focus and priority markets of the domestic industry has led to smaller volumes being sold domestically, whereby it is not the imports that are to be blamed rather the domestic industry's own priorities in terms of markets.

xxii. Supply constraints of Alumina and shortage of coal have caused the Petitioners substantial cost impediments in their production as is evidenced by the Annual reports.

xxiii. Largest cost in manufacturing aluminium apart from alumina is the cost of power and the Indian domestic industry has faced substantial obstacles with regard to power and energy costs as is seen from the Annual Reports.

xxiv. The global pricing of Aluminium is largely influenced by the LME. Due to severely fluctuating prices as per the LME, prices across the world have been affected adversely, including the domestic industry as can be seen from the Annual reports.

xxv. Imports from Bahrain in the latest period i.e. April, 2013 to Dec, 2013 are less than the prescribed threshold. Further, if all developing countries are considered (excluding Oman, South Africa and UAE which are above de minimis), the combined share in imports amounts to only 1.8% of the total.

Views of Importers/User Industries/Associations

37. **Bhoruka Extrusions Private Limited**

i. The data is entirely false and given with a mala fide intention to mislead.

ii. Bulk of smelting capacity is used for these value-added products to earn higher profits.

iii. Indian consumers are compelled to import more, as very less quantity of ingots is made available to them by the applicants.

iv. "Unutilized capacities" and based on wrong figures given by them.

v. The production of Nalco has slightly decreased from April'14 due to shortage of coal and is not affected by increase in imports.

vi. Hindalco is affected due to high interest cost, shortage of coal and CBI enquiry on its allocation of coal mine.

vii. The domestic aluminium prices are based on prevailing (LME prices + Main Japanese Port premium + 5% Customs Duty) X highest exchange rate prevailing in the country + Freight + other charges. Besides, freight from their plant to the factory of user is collected separately even though it is not collected from Japanese users.

viii. The premium is basically the charge which is incurred to deliver aluminium from LME warehouse to consignee's port. In addition to MJP, the levy of customs duty is also added on domestic sale prices due to almost monopolistic situation prevailing in Indian Primary aluminium industry.

ix. Since the LME prices are depressed, the companies' world over are faced with lower profitability and are taking steps to face the challenges.

x. Due to 5% import duty and increase in Main Japanese Port Premium (MJP), they are able to sell at prices higher than international rates.

xi. It is a known fact that the metal prices including aluminium are depressed globally but despite that the applicants are making good profits and are increasing their capacities regularly.

xii. Hindalco has following expansion plans at different stages besides their existing capacity of 5,06,000 MT.

xiii. Their profitability in 2013-14 is slightly reduced due to depressed global economy and high interest burden and due to their acquisition of Novelis, Europe where the company is incurring huge losses.

xiv. Vedanta, like Hindalco is expanding at a rapid pace and has undertaken the following expansions to ramp up its aluminium capacity:

xv. Nalco's financial results show that its profit in the current year will be better even in this depressed global economic situation and lower metal prices. Fall in LME prices has been suitably compensated by depreciation of Rupee by more than 20% in last 2 years.

xvi. The imports have not affected Nalco at all as claimed in the petition. It also proves that it's possible to run a company profitably with strict financial discipline and efficient operations.

xvii. Bauxite and coal which the Middle East manufactures has no natural source at their disposal and they import at very high cost whereas the primary producers in India have the natural advantage of local bauxite of one of the best quality and coal, the mining rights of which have been given to them by the Government at throw away prices, long back.

xviii. The salary and wages cost of employees are minimum 40 to 45% higher for Middle East manufactures compared to India.

xix. Suppliers from Middle East are fixing their selling price of aluminium metal at international price on the basis of LME as is done by Indian producers. Their prices are not lower as alleged by the applicants.

xx. The importer in India, apart from this, pays customs duty, clearing charges and also bears transportation charges from the port till their factory.

xxi. Selling price of both is same. There is no disparity or difference. The only difference is that in case of import, customs duty goes to Government Treasury but in case of domestic sale, the extent of customs duty of 5.6% goes to the pocket of these producers though it is the legitimate share of Government Exchequer.

xxii. The imports into the country have to be analyzed, on the basis of data, to find as to how much imports are for home consumption and how much are for use as "inputs" for manufacture of products for export.

xxiii. The import of aluminium is mainly against their export entitlements.

xxiv. The correct production figures and compare the same with Import data give a totally different picture.

xxv. The applicants are forced to exports to liquidate their inventory which is baseless and incorrect. All the applicants are exporting under a pre-planned long term strategy for various reasons; to fulfil exports obligation, to feed their associate companies abroad or for natural hedging to meet their currency exposures, taking advantage of depreciation in rupee, exports benefits etc. due to which the exports by them of aluminium ingots is also showing sudden surge in 2013-14.

xxvi. Exports they have better realization since they are getting export benefits as well as EPCG benefits.

xxvii. Hindalco transfers a major portion to its associate company Novelis, Europe starving the Indian consumers.

xxviii. Taking a total smelting capacity and showing production of only of some products is gross misrepresentation of the facts and is entitled for appropriate treatment.

xxix. The export figure has conveniently been indexed to 2010-11. Annexure 7 attached with the petition the figures have been concealed, twisted and misrepresented by showing Indexed numbers at many places.

xxx. Not given any comparable figures, rather using a vague statement that "the level of employment has marginally declined" which cannot be accepted at its face value. Companies in their published statement of accounts have shown increasing expenditure for their employees'.

xxxi. "The productivity has declined in view of decline in production" is not possible when almost all the applicants have increased productions

xxxii. The downstream industry is passing through one of the worst phase due low demand, rising interest cost, depreciation of rupee and global recession.

xxxiii. Government at the Centre is presently trying hard to revive the economy and is announcing stimulus package involving fiscal and non-fiscal benefits of Crores of rupees. At the same time imposing safeguard duty on primary aluminium will be a step in the wrong direction since it will increase costs of all aluminium products and affect the demand across all sectors of the economy including infrastructure, automobiles etc. which are showing negative growths for the last few quarters.

38. **Cable and Conductor Manufacturers' Association (CACMAI)**

i. Evidence of excess capacity has been claimed as confidential in Annexure 8 of the petition without assigning any reasoning

ii. Domestic sale is given in absolute term but export sale is given in indexed form.

iii. Closing stock of 2012-13 is 27(indexed) and opening stock of 2013-14 is 1(indexed) as per Ann 7 of petition, which cannot be.

iv. The present petition does not demonstrate the extraordinary or emergency situation which warrants for imposition of Safeguard duty.

v. A duty free import against advance license for manufacture of goods meant for export which has to be kept outside as these imports do not affect domestic market of India. Once we exclude the imports made against advance license there is no surge in imports.

vi A lot of imports has taken place under ICB at zero duty for notified power projects and these are also at par with consumption of goods outside India and should not be taken into account for the purposes of safeguards investigation.

vii There is no mention of any unforeseen developments.

viii Mere increase in imports cannot be a reason to impose safeguard duty. Every increase in import or availability of material at lower prices outside India is not bad and should not be discouraged.

ix. No linkage between imports and claimed injury.

x. It can be demonstrated that the (1) decline in domestic sales is attributable to export sales and lesser domestic demand in India and not to the imports of PUC and (2) decline in profit is attributable to higher interest burden and not due to the imports of PUC, based on figures, given in Annexure 7 of petition as below.

xi. Export sales as well as total sales are going up.

xii. The period during which profitability of Domestic Industry was declining, during the same period interest burden of Domestic Industry was going up and when interest burden of Domestic Industry started declining their profitability improved.

xiii. Hindalco decline in profit is primarily due to lower aluminium LME realizations, weakening in demand and certain one offs. The cost pressure is on account of elevated crude prices.

xiv. Annexure 7 of its petition has shown that the demand of the PUC during the period of investigation is reducing.

xv. The major consumers of the PUC are power distribution industries, automobile industry and construction industry; going through a very bad phase and performing very poorly. The reduction in domestic sale of PUC by the domestic industry is attributable to reduced demand of the finished products which are using the PUC as raw material.

xvi Reason given for increased import is cheap electricity available to the exporter and the fact that India is a freight friendly market. These are external factors beyond the control of Domestic Industry and it would not be possible for Domestic Industry to make adjustment plan in respect of such factors.

xvii. Aluminium ingot is a basic raw material which is used down the line by a number of industries which are small and medium scale industries giving employment to a large number of people. These industries also compete with imported products in the liberalised open economy.

xviii. Any imposition of safeguard duty will lead to inevitable closure of many of the user industries leading to loss of employment and economic activity in the country and import of value added products like cable.

xix. Further with import of value added cables even the ingot manufacturers will lose the domestic market.

39. **All Indian Aluminium Extruders Council(Alex)**

i. Drop in the total production in 2013-14 is mainly on account of **Nalco** which cut production due to coal supply issues for its power plant.

ii. .Contrary to the claim made by Hindalco& Vedanta their production of metal has increased during the period under investigation.

iii. Manufacturers in order to add value will give the highest priority to production of Value Added Products (Billets, Wire Rods, Slabs) instead of Ingots, for the simple reason that their realisation from value added products are much higher compared to Ingots. The Value Added Products were prioritized over Ingots production.

iv. The Imports are more expensive than the domestic prices.

v. It is important to check how much of the imports that the petitioner is showing in their petition are against duty free licences.

vi. The domestic producers are currently using the 5% import duty in their pricing for sales in the domestic market; effectively the 5% barrier (custom duty) is a straight profit to the Petitioners.

vii. Any further increase in duty by Safeguard or any other mechanism will only add to the profits of the Domestic Aluminium producers.

viii. The pricing formula of the Petitioner is based on the landed cost of imports (inclusive of all duties).

ix. The Extrusion Industry is currently competing with Extrusion Imports from China. An increase in Raw Material cost due to the domestic producers mechanism of pricing on landed cost (LME + International Premiums + Custom Duty + Safeguard Duty + Clearing charges) effectively will make extrusions produced in India expensive by 10% due to safeguard as against this Extrusions which can be imported at 5% Import Duty.

x. This has lead to closing of a number of downstream product units and no fresh investments are being made in these sectors.

xi. This has lead to loss of employment.

40. **Indian Electrical and Electronics Manufacturers' Association (IEEMA)**

i. Reduction of sales by the domestic Aluminum Producers-

ii. The Domestic Downstream manufacturers use aluminium as raw material and not only do exports but also make Deemed Exports Supplies under International Competitive bidding (ICB) and supply to SEZ undertakings.

iii. Low demand of conductors had resulted in the low demand of Aluminum.

iv. Domestic manufacturers buy their raw materials including Aluminum under Duty Exemption Entitlement Certificate (DEEC) Scheme of foreign Trade policy by obtaining Advance Authorization against Project Authority Certificate issued to the project, on duty free basis.

v. The Indian producers, preferred not to supply PUC on the matching cost of landed duty free imports due to the incidence of the Central Sales Tax (CST), due to which domestic manufacturers were forced to import.

vi. Since the Aluminium producers had chosen not to participate in Deemed Export Segment, it is not fair for them to allege for surge in imports.

Likely repercussion of SGD on PUC-

vii. The basic custom duty on finished goods is from 0% to 7.5% whereas Aluminum also attracts Basic Customs Duty of 5%.

viii. Profit margin of conductor, cable and capacitor manufacturer are extremely slim

ix. The imports of conductor, cable and capacitor, particularly from China would not have increase in cost and would swamp the Indian market, having adverse effect on the downstream manufacturers, creating huge unemployment and social unrest, resulting in sick industries.

x. SGD will prove counterproductive for the Indian aluminium producers due to closure of user industries.

41. **JSK Industries Pvt. Limited-**

i. Petitioners prefer to make more of other products having higher value addition curtailing ingot production.

ii. During the POI, petitioner companies had resorted to production cuts due to non availability of raw material bauxite & coal. Also there were natural calamities like floods resulting in power outage which in turn led to closure of pots in the production line and resultant shortfall in metal output.

iii. Petitioner companies had also consciously decided to cut production due to low prices prevailed in LME.

iv. Problems faced by petitioner companies were not creation of aluminium user industries. By not properly disclosing these factors to DG (Safeguards), petitioner companies are misleading the authorities.

v. During the POI petitioner companies have substantially added capacity and increased their sale of wire rods and other products substituting the ingot sale.

vi. Shadow pricing : Globally aluminium ingot, like other base metals, is sold on the basis of market price quoted in (LME and not sold on cost plus pricing). Petitioner companies price the metal at LME plus applicable Premium converted into Indian Rupees and applicable customs duty and all statutory levies and surcharges. Thus, they are currently enjoying a "Safeguard" of 5% customs duty and surcharges because they do not actually pay any customs duty on domestically manufactured metal products.

vii. Since LME price keeps fluctuating, it is necessary to keep adjusting the shadow price in tandem with LME price movements. While petitioner companies are very prompt in ' increasing their price for any upward movement in LME, they do not promptly reduce the shadow price when LME price show downward trend.

viii. Petitioner companies should keep their prices marginally lower not only to prevent import but also as incentive to compensate for longer credit period at lower interest rate one can get from imported sources.

ix. The import data of ingots submitted by the petitioner companies is for total imports. More than 50 % of import is against export incentives which cannot be stopped to "Safeguard" the petitioner companies.

x. Compared to the overall demand, import is very negligible to cause any injury to metal giants like the petitioner companies who are global players.

xi. Export of ingot from India is about three lac tons annually and growing.

xii. How can the import be prevented by safeguard when export of same product is freely permitted.

xiii. Petitioner companies have been continuously adding capacity eyeing global market. They have the advantage of low cost producer because our country is rich in natural resources bauxite & coal required to produce aluminium. The very fact that they are on continuous expansion is the proof that they are making huge profit.

42. **Jindal Aluminium Pvt. Ltd.**

i. Artificial segregation of aluminium Ingots and aluminium in billets, conductors, rolled products/extruded products etc. produced as per the choice of the Domestic Industry is not justified as they are like or competitive articles.

ii. Actual export sales data has not been furnished by them.

iii. Every month for first 15 days they export their entire production and do not supply metal to domestic needs creating artificial shortage.

iv. Selling price of the Domestic Industry is identical with the price at which the foreign exporters sell it to the Indian users since both of them use the same LME price based pricing formula. Hence, the argument of lower price offered by the foreign exporters in view of their low energy cost etc. is not tenable.

v. Whenever LME goes up, Primary Producers increase the price promptly but when LME prices come down, they do not show such promptness giving room for imports.

vi. Import price is lower to the extent of customs duty relief in case of imports made for exports. This benefit should not be attempted to be taken away by the Domestic Industry by requesting the imposition of Safeguard Duty. Benefits of imports under FTA with other countries cannot be taken away by imposing safeguard duty.

vii. Massive expansion of their production capacity particularly for other competitive products along with the lower LME prices is the main reasons for their reduced net profits

viii. Since NALCO enjoys significant market share in Aluminium Industry in India, their absence from this application itself indicates that there is no need to levy Safeguard duty.

ix. There is no significant price difference between the imported and domestic product

x. There is no large scale increase in the imports of the product in a relatively short period. Imports of the product which went up by 67% during 2012-13 have actually come down to about 25% during 2013-14.

xi. There is consistent profit as per the Balance Sheet -the reduction in Net profit of Hindalco is due to enhanced finance costs, depreciation etc and is self inflicted minor injury which cannot be linked to increased imports.

xii. The production of ingot has not increased significantly only because the applicants do not want to increase and they have increased production of other products to increase their profitability.

xiii. The capacity utilization in their application is 42% to 44% which shows that there is no decrease in their capacity utilization.

xiv. Imported price and the domestic price are based on the same LME price based formula there is practically no difference in these prices.

xv. Though the net profits of Hindalco have been falling, they are still making reasonably high profits. The reduction in net profits is mainly due to reduction in LME prices leading to reduced selling prices, high finance costs and depreciations due to massive expansion projects etc. not due to increased import of Ingots.

xvi. The marginal reduction in employee's strength is due to attrition and automation in their plants which is deliberate to enhance their profits and cannot be linked to the increased Import of Ingots.

xvii. DI has not been able to establish any injury either to production, sales, productivity, capacity utilization or employment. Indexed values of profits in various years are grossly misleading since it shows reduced profits as losses.

xviii. Increase in wire rod & billet sales which gives higher margin has lead to reduction in Ingot sales.

xix. No neighboring country is levying any customs duty on imported Ingots which is 5% in India. There is a strong case for withdrawal of this customs duty in India.

43. **APAR Industries Ltd. (Conductor Industry)**

i. It is not factually correct that the imports have increased at the expense of the local Aluminium producers' sales.

ii. Imposition of Safeguard duty would result in a proportional increase in the cost to the Conductor Manufacturers and the imported conductors from China would swamp the Indian Conductor market . Being a fragmented industry, there is no possibility of seeking a safeguard protection for the conductor industry.

iii. Indian manufacturers will be out priced by the Chinese conductor manufacturer and conductor industry would collapse.

iv. If the conductor manufacturers in India are closed down, then the Aluminium producers in India will not have any business from India and safeguard duty would prove counterproductive to the PUC (Aluminium) producers as well.

44. Further, besides above submissions, representations from the following parties, not registered as Interested Party in the case, have been received protesting imposition of safeguard duty on ' Aluminium Ingots'.

1. M/s MAAN Aluminium Ltd.
2. Boregaon Industries Association
3. Maharashtra Conductor Association
4. Shiva Chetana Electricals, Karnataka
5. VR Patil Vividh Vidyut Nirman Pvt. Ltd. Karnataka
6. Sterling & Wilson Limited, Mumbai
7. EMC Ltd. (JV) Shrinivas Electricals, Nasik
8. Vidarbha Electrical Contractors Association, Nagpur
9. Vidarbha Industries Association, Nagpur
10. Binayak Aluminium Private Limited
11. Orissa Aluminium Utensils Manufacturers' Association

12. Federation of All India Utensils Manufacturers
13. M/s Everest Aluminium Pvt. Ltd.
14. Kingdom of Bahrain
15. High Commission of Malaysia
16. Alom Extrusions Ltd., Kolkata
17. Sudal Industries Ltd.
18. Rakhi Agencies Ltd.`
19. Indo Alusys Inds Ltd.

V. Rejoinder submissions by other Interested Parties.

45. **Cable and Conductor Manufacturers' Association of India (CACMAI)**

i. Domestic Industry in its written submission has actually accepted that there is no injury as in totality the number of parameters have shown improvement in the most recent period. There is no mention of any unforeseen developments and no creditable and viable adjustment plan has been given.

ii. The capacity utilization of Domestic Industry suggest that imports were inevitable and they are caused by Domestic Industry inability to produce more for domestic market as no extra capacity was left unused.

iii. Domestic Industry is claiming increase in imports and reduction in market share during the period when their production, capacity utilization, export sales and most importantly the profitability and return on investment (ROI) has shown significant improvement. Therefore there is no injury which can be attributive to increase in imports.

iv. The decline in domestic sales is on account of Domestic Industry prioritizing export markets. Had they been forced to export by dumping the products at throw away prices in export market their profitability would have been gone down.

v. Domestic Industry before authority are claiming injury attributable to imports whereas the NALCO has not joined the investigation and has not claimed any injury on account of increase in imports.

vi. It is evident that a large quantity of PUC has been imported for the purposes of re-export. There is no surge in imports for consumption in domestic market at all as alleged by Domestic Industry. The imports meant for domestic market did not increase at all.

vii. None of the reasons for increased imports given by Domestic Industry are real reasons for import. In any case there not unforeseen at all..

viii. Overall examination of parameters of Domestic Industry does not suggest any kind of injury to them.. .

ix. Domestic Industry claims that there are no factors other than increased imports, which are causing injury and in the same para it accepts that demand of PUC in India has declined and the export of PUC has gone up.

x. Since there is no injury to Domestic Industry there is no need to go for causal link analysis. Further the less than expected growth of Domestic Industry is attributable to factors other than increased imports.

xi. The members of CACMAI and every other industry is competing with imported products and they will not be able to pass on any increase in cost on account of safeguard duties down the line. The user industries down the line are also producing the goods in India and giving employment to much more people compared to Domestic Industry. If user industries are closed that will be definitely against public interest and also against the interest of Domestic Industry because in that case to whom they are going to sell the products.

xii. Domestic Industry does not have any idle capacity to cater any extra demand and the imports have taken place because of their inability to cater the domestic demand.

xiii. Without imposition of duty all the parameters of Domestic Industry in the recent past has shown significant improvements.

46. **APAR Industries Ltd.**

i. The conductor segment is practically half the volume of the Aluminium market and have to compete with foreign companies, particularly those from china. Safeguard duty if imposed, would make the Indian Conductor Industry non competitive leading to massive deluge of imported (Chinese) conductors.

ii. It is neither in the interest of the Indian Conductor Industry nor the Indian Aluminium Industry to lose the Indian market for conductors since it would mean wiping out 100% of the Indian Conductor Industry and 50% of the Aluminium consumption which goes in the Indian Conductor Industry. It has been already seen that in the case of Insulator Industry, Powergrid and other users had switched over to Chinese insulators when they were cheaper to Indian Insulators.

iii. The proposed safeguard duty is not in the general Public- at- large Interest as it will ultimately raise the cost of electricity and many other consumer products.

47. **Indian Electrical and Electronics Manufacturers Association (IEEMA)**

i. Strong objection on the views of the domestic industry's submissions pertaining to Public Interest.

ii. Other submissions are similar point-wise as reflected above by APAR Industries Ltd.

48. **M/s Aluminium Bahrain BSC through M/s ELP Advocates and Solicitors**

i. The petition has not been fully examined.

ii. There is an absolute increase in imports but mere increase in imports is not sufficient for the levy of safeguard duty.

iii. Bahrain being a developing country with a de minimus share in imports ought to be excluded from the purview of the present investigation.

iv. Injury figures and public domain reports indicate that any injury caused to the domestic industry is self inflicted.

v. There is no threat of the injury to the domestic industry as per its own estimates in the public domain.

vi. There is a severe breach in causal link as there is no correlation between rise in imports and injury parameters

vii. Other factors are responsible for injury.

49. **UAE, Ministry of Economy**

i. None of the listed factors constitute 'unforeseen developments' and demonstrate that the increase of imports of the PUC to India is linked to the surplus capacity in the Middle East.

ii. Petition shows that Indian demand for the PUC decreased in the most recent period of investigation. Petitioner provided known data about the Middle East enhancement of capacities of production but failed to demonstrate that the increase of imports of the PUC to India is linked to the surplus capacity in the Middle East.

iii. The petitioner's claims that there exists significant demand supply gap in UAE which has led the Middle East countries to aggressively target the Indian market is without basis as is evident by the import data of the PUC from UAE or other Middle East countries over the last decade.

iv. Safeguard investigation does not target unfair imports but fair imports without any allegation of an unfair trade practice, which ultimately overturns the petitioner's allegations of being aggressively targeted by Middle East Countries.

v. Detailed import data of the PUC from UAE transaction wise should be provided.

vi. The financial documents of the domestic industry clearly establish that there is no injury or threat of serious injury. Rather these documents demonstrate that the petitioners are ameliorating their financial situation for the financial year 2013-14.

vii. The trends in imports of the product under consideration seem to have no impact on the movements of the relevant injury indicators of the applicants

viii. Other factors had a major impact on the performance of the petitioners breaking any link between increased imports and the alleged injury

ix. There is a significant decrease in the demand of the product in the most recent POI of 2013-14 which caused the lost of sales and market share of the DI. There is correlation between the trends in demand and the domestic industry performance, especially the domestic sales.

x. The data pertaining to the period 2012-13 shows clearly that imports have no direct impact on the petitioners export performance, as the increase of imports during this period have had no impact on the petitioners exports which declined to its lowest level over the period of investigation. Exports performance is driven by the petitioners business opportunities in export markets at the expense of domestic market.

xi. The petitioner did not make any comment pertaining to LME depressed prices and its impact on the petitioner as it merely demonstrate that the alleged injury to the DI is not attributed to imports but to the lower LME trends in prices.

xii. Despite the significant fall in LME prices of aluminium over the POI by around 25% to 30%, there is no corresponding decrease in the selling price

xiii. The petitioners claims pertaining to price injury are not justified because the petitioners were always increasing their selling price over the period of investigation on one hand , and on the other hand, imports might be below the petitioners selling price because merely the petitioners did not reduce their prices in consideration of LME falling prices over the same period, instead the petitioners keep increasing their selling prices and not passing the drop of LME prices to consumers and users in order to maintain their profits as established in the annual reports and financial documents of the petitioners.

xiv. There is no case of cheap imports from UAE or Middle East countries as they are entirely in line with the worldwide pricing mechanism of primary aluminium based on LME prices + premium and petitioners did not even challenge this fact.

xv. Imposing safeguard duty will only lead to the increase in petitioner's profits at the cost of increase of the price of raw material for extrusion industry and the cost of the finished goods i.e. extrusions will go higher

xvi. The imposition of a safeguard measure would not be in the public interest because it will merely inflate aluminum prices in the Indian market which would have negative impact on key end users of this product in the Indian market.

VI. Rejoinder to Post PH Submissions by Domestic Industry

i. The PUC is different fromaluminiumin billets, conductors, rolled products/extruded products etc products as ingots are continuous cast items whereas others like bar, rod.plate, sheet, wire are drawn items, hot rolled or cold rolled. They are also different stage products in the manufacturing process and as per Customs Tariff Act 1975,Aluminium Ingots, billets, conductors are classified separately as different products.

ii. The only reason why consumers have imported the product is because of lower price at which imported product was available. The foreign producers are giving long term credit and at much lower interest rate which has motivated the consumers to import the product.

iii. On one hand, the parties have contended that the foreign producers and domestic producers are pricing their product on the basis of LME and on the other hand, they have contended that the domestic industry does not reduce its prices when LME comes down. If domestic industry's price is based on LME price, it follows that it moves along with LME.

iv. The objective of FTA was not that it would result in trade distortion and would lead to surge in import; nor the objective of the FTA was that reduction of customs duty in FTA should lead to serious injury to the domestic industry. The submission made makes it evident that the consumers found imported product cheaper as a result of FTA.

v. The surge in imports has led to decline in sales volumes and market share of the domestic industry.

vi. NALCO is a public sector company. It is for the NALCO to consider their performance and seek redressal about the same. The facts on record clearly establish that the domestic industry has lost significant sales volumes and market share. Similarly, NALCO has lost significant sales volume and market share. It is possibly because of PSU status of the company and the constraints with a PSU company in approaching government for redressal of injury being caused due to increased imports that the NALCO possibly has not participated in the investigations so far.

vii. The petitioners have not claimed injury on the basis of decline in production and capacity utilization.

viii. It is not necessary that all parameters must show deterioration. The WTO Panel in the matter of United States – Definitive Safeguard Measures on Imports of Wheat Gluten from the European Communities, upheld by the AB Report has held that performance of the domestic industry may be established in one or more parameters.

ix. The argument of increase in wire rod & billet sales which gives higher margin has lead to reduction in Ingot sales,is without basis. Increase in Wire Rods and Billets should have led to decline in production of the product under consideration. The decline in production could have led to decline in sales. However, in the instant case, production marginally increased whereas domestic sales significantly declined.

x. The neighboring countries are not producing aluminium ingots. Furthermore various impose custom duty on ingots, such as Europe, USA, Russia, Brazil, developed countries Industry to given inputs.

xi. Interested Parties have no factual basis to contend that the data given in the notice of initiation is incorrect. All the relevant information has been provided to the Director General (Safeguards).

xii. There is no merit in the argument that DI export their entire production and do not supply metal to domestic needs creating artificial shortage. The domestic industry has been constrained to export only because they have not been able to sell in the domestic market.

xiii. The petitioners have used data for 2013-14 at the time of Public Hearing. Further, written submissions filed by the petitioners are based on data for the period upto March 2014. Thus, the Interested Parties have got sufficient opportunity to comment on the data adopted by the petitioners.

xiv. Petitioners have claimed only such information as confidential, confidentiality of which is protected under the law. There is no specific instance pointed out by the Interested Parties which shows that the information was publicly available and the petitioners have suppressed the information.

xv. The information for 2012-13 clearly covers the period of investigation. There is no requirement under the law that the information should cover entirety of the period of investigation. Further, petitioners have shown increasing imports from Middle East in Indian market. Petitioners have also shown declining imports into Middle East over the injury period.

xvi. The interested parties have submitted that it has not been demonstrated that the increase in imports into India is attributable to the alleged surplus capacity in the Middle East. The petitioners have provided information based on published source. The exporter has not demonstrated that the actual facts are contrary to the facts reported by the petitioners. In fact, the exporter has not even demonstrated based on its own data that there is no surplus capacity with the exporter and the exporter is selling entire volumes in the domestic market; nor has the exporter demonstrated that its production and sale constitute a significant proportion of production and sale in Middle East.

xvii. The petitioners have referred to the events happening in 2012 and 2013. Increase in imports in the recent period is required to be considered in the light of events occurring in the recent period. It cannot be a situation that increase in import is determined considering 2013-14 data and the unforeseen events should be seen in 2010-11.

xviii. The pattern of import into India clearly demonstrates that the excess capacity has been diverted to India. Imports into China have significantly declined and foreign producers are facing decline in their sales in other markets.

xix. Low energy cost in the Middle East is a widely known fact, however, emergence of significant capacities in these regions far disproportionate to domestic demand is clearly an unforeseen development. These capacity additions have been made in order to sell the product outside domestic market, such as India.

xx. The argument of Interested Partiesthat the focus is on the value added products since they yield higher returns and the leftover material and capacity is then utilised for the product under consideration could have been relevant only if production of the petitioners for the product under consideration would have shown a decline and only if the petitioners had claimed injury to the domestic industry on the basis of decline in production.

xxi. Capacity utilization of the company is irrelevantthat they have not claimed decline in production or capacity utilization as the factor establishing injury from increased imports,.

xxii. There is no basis for the argument that sales volumes declined due to greater increase in exports. The fact is that faced with decline in domestic sales, the domestic industry was constrained to export the product.

xxiii. It is the increase in imports which has led to decline in sales volumes of the domestic industry. The significant price undercutting between imports and domestic price clearly shows that the consumer preferred imported material because of the fact that price of imported product was lower than the price of the domestic product.

xxiv. The DI had reported profitability by following a methodology which has been consistently applied over the injury period. Further, petitioners have got their cost of production and profit statement certified from a practicing Cost Accountant. The cost accountant has done detailed scrutiny of the cost of production and profit statement and has determined cost of production and profit based on their accepted norms. The profit in the product under consideration has therefore been determined at different level by the cost accountant. Therefore, the domestic industry has revised the calculations of profits. At the same time, it was noticed while consolidating the data that there were consolidation errors in the profits claimed earlier.
Further, increase in profitability in 2013-14 is not on account of improvements in operational profitability of the product. The increase in profits in 2013-14 is on account of (a) significant reduction in interest costs in 2013-14, (b) increase in realization due to improvement in exchange rate.

xxv. Since safeguard investigations are product specific, the cost of production, non injurious price, selling price and profitability needs to be determined only by considering product under consideration. These parameters in respect of products not included in the present petition are entirely irrelevant.

xxvi. The data presented in the petition clearly shows not only existence of surplus capacities, but also rising capacities for the product.

xxvii. The domestic industry benchmarks its prices to LME prices and therefore there is no reason why the prices should change disproportionate to the changes in LME.

xxviii. It has been argued that there is no relationship- between domestic sales quantity and import.It is submitted by the DI that the argument is not correct, despite increase in production, sales of the domestic industry have declined significantly in current year with the increase in imports in this period. Further, the market share of the domestic industry declined sharply, whereas the market share of imports increased. It would also be seen that the demand for the product declined in the most recent period and the imports surged. Thus, the surge in imports is despite decline in demand for the product in the Country. As a result of decline in demand, the volume of imports should have also proportionately declined. However, the volume of imports surged. Further, even in 2012-13, the increase in imports (68%) was far higher than the increase in sales of the domestic industry (13%).

xxix. The profits have declined due to increased imports but the domestic industry earned profits due to "other factors". Under the Rules, the Director General (Safeguards) is required to segregate other factors. Therefore, profits of the domestic industry due to other factors are required to be segregated. Once this is done, profits of the domestic industry shows decline.

xxx. Fluctuation in LME price is nothing unusual. However, the fluctuations in LME prices do not adversely impact the producers and the consumers of the product under consideration. The producers tend to insulate their performance from possible adverse affects of fluctuations in LME prices by obtaining orders and immediately booking raw materials.

xxxi. Imports from Bahrain are at present below the limits prescribed of developing countries. On this account, the Bahrain producer should not be even considered as an affected party.

xxxii. Middle East is exporting large volumes and producers in Middle East are exporting at prices significantly lower than rest of the world. This has resulted in increase in imports from Middle East even when imports from other countries declined.

xxxiii. The total Indian production referred by the Interested Party from Minerals and Metals Review Magazine is based on total Indian Production is of Hot metal and not the product under consideration.

xxxiv. Novelis is not incurring losses. Further, the information provided by the domestic industry is in respect of (a) Indian entities, (b) for product under consideration and (c) domestic operations of the product under consideration. Performance of other units outside India is therefore not even included in the data provided by the domestic industry.

xxxv. Merely because imports of Aluminium Ingots have surged, does not mean that the domestic industry should close operations or terminate expansion plans. Expansion plans are long drawn exercise. The domestic industry has invested Rs. 27,000 crores in expansion and these started in the year 2009-10. The market was not suffering from surge in imports when the industry planned these expansions.

xxxvi. The studies done by CRU and Wood Mckenzie show that that the cost for middle eastern countries is significantly less as compared to India. This is mainly because of the low rates of energy cost which forms a major part of the cost of the product.

xxxvii. Increased imports are required to be considered by considering imports into India. Segregation of duty free and duty paid imports cannot be made for the purpose. No duty is payable on imports for exports. Hence, imposition of safeguard duty in any case would not impact the consumers.

xxxviii. Price of the domestic industry is based on LME, as has also been accepted by other Interested Parties. Therefore, if domestic industry's price is based on LME price, it follows that it moves along with LME.

xxxix. No Exports have been made to Novelis Europe.

xl. The domestic industry has not claimed excessive confidentiality. The information on export sales of the domestic industry is not publically available information. Furthermore, export sales are not a criteria to determine existence or non existence of injury in the domestic market. Moreover, the fact whether exports have increased or decline can be very well ascertained from the indexed figures.

xli. Claimed injury is not on account of production. However, it is a matter of fact that decline in productivity is on account of decline in production.

xlii. Evidence and data used for substantiating the grounds of unforeseen development has been given. It is the relevant extract of the reports that have been claimed confidential as they have been obtained with confidentiality clause.

xliii. Emergence of China, from a stage of being a net importer of product, to a stage of self sufficiency and even becoming an emerging player in the global market was unforeseen. Therefore, excess capacity built up by Middle Eastern countries focusing China had to be diverted to India.

xliv. Despite decline in demand, imports have surged causing injury to the domestic industry which is already battling low demand issue in the country.

xlv. Considering almost negligible impact on the eventual end product and considering that survival of the domestic industry is must, it must be concluded that the imposition of safeguard duty shall be in public interest.

xlvi. The domestic industry has given a detailed adjustment plan focusing on reduction in energy consumption, raw material cost reduction, reduction in manpower cost and melts loss. All this has been quantified and have been submitted to the Director General.

xlvii. The product has a dedicated custom classification code. Imports coming under this code have only been treated as subject imports. None of the exporter from UAE has cooperated and provided relevant information.

xlviii. In 2011-12, imports declined and domestic industry's sales declined. Therefore, the domestic industry had no complaints. In 2013-14, domestic industry sales declined and imports surged and therefore, the domestic industry is suffering injury because of increased imports.

xlix. It is mere presumption that the prices would increase by the quantum of safeguard duty. The domestic industry intends to continue with its pricing policy as was being followed by the domestic industry in the past.

l. Imports of the product under consideration have increased in absolute terms, in relation to production, sales of the domestic industry and consumption in India. As a result, the market share of the domestic industry has declined. Imports are undercutting the prices of the domestic industry which has resulted in decline in profitability and ROI.

li. Domestic industry has followed the same pricing policy as was being followed by the domestic industry earlier. In fact, the domestic industry has been forced to compromise on the pricing methodology that was being followed by the domestic industry because of lower prices being offered by the foreign suppliers Since foreign suppliers gave discounted prices, the domestic industry was not able to even maintain its earlier pricing policy.

liii. The consumers have actually preferred imports because they found imports more lucrative than the domestic prices. Longer credit period at lower interest rate is one of the reasons for increased imports.

liii. Petitioners have not sought safeguard duty on imports for exports. Further, safeguard duty in any case does not apply on imports for exports.

liv. Share of imports in demand/consumption of the product in the country is 29% which cannot be considered as negligible.

lv. Exports of ingots from India is given below:

	Unit	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**
Exports (MT)	MT	133,658	118,354	74,606	221,018
Domestic sales (MT)	MT	416,993	408,225	461,509	342,800
Demand (MT)	MT	740,674	703,937	765,688	657,698
Trend					
Exports (MT)	Index	100	89	56	165
Domestic sales (MT)	Index	100	98	111	82
Demand (MT)	Index	100	95	103	89

It would be seen that the domestic industry is faced with decline in domestic sales which has forced the domestic industry to increase exports. The domestic industry would not gain anything by seeking imposition of safeguard duty, if the focus of the domestic industry is on exports.

lvi. Exports from India are a result of imports into India. If imports of the product decline, exports of the product would automatically decline. The domestic industry does not gain anything by seeking of safeguard duty if the domestic industry is not willing to sell in the domestic market.

lvii. Claimed injury to the domestic industry is despite the present competitive situation of the domestic industry. While JSK has contended that the domestic industry is competitive, other Interested Parties have contended that costs in Middle East are significantly lower (i.e., domestic industry is uncompetitive). Notwithstanding their contrary positions, the petitioners have given the factual information which shows that the domestic industry has suffered injury as a result of increased imports.

VII. Examination & Findings:

(a) I have carefully gone through the case records, the replies filed by the domestic producer, user/importers, exporters and exporting nations. Submissions made by the various parties and the issues arising there from are dealt with at appropriate places in the findings below.

(b) Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of Safeguard Duty on imports. Its sub-section (1) provides for imposition of Safeguard duty by the Central Government on an article if the article is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry.

(c) The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provides the manner and principles governing investigation.

(d) The investigation has been conducted in accordance with the said rules and the Final Findings are recorded through this notification.

(A) **The product under investigation**:

50. The product under consideration (PUC) in the present case is "Not Alloyed Ingots of Unwrought Aluminium". The product scope specifically excludes Alloyed Ingots and all products of aluminium not in ingot form, such as billets, bars, rods etc. PUC is a basic form of cast aluminium (unwrought). It is made by the process of solidifying the liquid hot metal by pouring into a mould. The aim is to make the metal easy for handling and transportation. Aluminium Ingots are available in various shapes and sizes (std – 20 to 24 kg to sow ingots – 450 to 700 kg). Liquid aluminium is

produced by the electrolytic reduction of alumina (AI_2O_3) dissolved in an electrolyte (bath) mainly containing Cryolite (Na_3AIF_6). The overall chemical reaction can be written as:

$2\ AI_2O_3$ (dissolved) $+3C(s) = 4\ AI(I) + 3CO_2(g)$ (1)

50.1 Prebaked technology is used in manufacturing PUC. In prebaked technology the anodes used are termed as prebaked anodes which are made from a mixture of petroleum coke, aggregate and coal tar pitch binder moulded into blocks and baked in separate anode baking furnace at about 1120 degree centigrade. An aluminium rod with iron studs is then cast or rammed into grooves in the top of the anode block in order to support the anode and conduct the electric current to the anode when it has been positioned in the cell. On production of liquid hot metal it is then transferred to the Casting stations.

50.2 PUC is classified under Customs sub-heading nos. 76011010 of Chapter 76 of the Customs Tariff Act, 1975. It is used in electrical industry, utensils & other customer durables, transportation, packaging, building and construction, steel de-oxidizing, pyrotechnics biz., foundry, casting and other industrial & engineering equipments.Accordingly, it is also held that domestically produced Not Alloyed Ingots of Unwrought Aluminium falls under the ambit of like or directly competitive article in all respects to the imported product under investigation and that the domestically produced Not Alloyed Ingots of Unwrought Aluminium is a like article to the imported Not Alloyed Ingots of Unwrought Aluminium within the meaning of Rule 2(e) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997.

(B) Domestic Industry:

51. Section 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act 1975 defines Domestic Industry as follows:

(b) *"Domestic Industry" means the producers –*

(i) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or

(ii) whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a majorshare of the +total production of the said article in India;"

51.1 M/s Hindalco Industries Ltd (manufacturing plants at Renukoot and Hirakud) M/s SesaSterlite Ltd (manufacturing plant at Jharsuguda) and M/s Bharat Aluminium Company Ltd (manufacturing plant at Korba) are the three applicants constituting domestic industry in this case. The domestic industry has claimed that their production of PUC accounts for 71% of the total production of PUC in India and thus they have the standing to file the present petition. Accordingly, it is held that the applicant domestic producers constitutes and represents the Domestic Industry (DI) within the meaning required and defined under Sec 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act,1975.

(C) Source of information:

52. The import data for the product under consideration has been taken from DGCI&S as provided by the applicants and verified from the monthly CDs of DGCI&S received in the Directorate. Further, the domestic data pertaining to economic parameters for the period from 2010-11 to 2013-14 (upto Dec 13), has been verified on the basis of central excise records of the domestic industry to the extent possible, through on-site verification of the manufacturing units of the applicants and such verified data for the POI has been taken into consideration for injury analysis. During the course of the present investigation, data for additional period, i.e., till Mar'2014 in respect of various economic parameters have been considered as per central excise records as furnished by the applicant, duly certified, in order to arrive at yearly consolidated data for the year 2013-14 for injury analysis. The additional information was made available to interested parties through Public File as required under Rule 6(7) of Safeguard Rules 1997. The data for three years or longer has been provided by the Domestic Industry in the form and manner decided by DG (Safeguard) under Rule 5(2) of Safeguard Duty Rules 1997 r/w the Trade Notice No-SG/TN/1/97 dated 06/09/1997. The non-confidential version of the verification report has been placed in the public file for comments by all concerned. The cost data and calculations of injury margin have been provided by the petitioner duly certified by an independent Cost Accountant.

(D) Period of Investigation (POI):

53. Neither the Customs Tariff Act, 1975, nor the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, specifically define 'period of investigation' or the minimum period to be considered for a Safeguard investigation. The WTO Agreement on Safeguards does not contain any general or specific provision or guidelines for choosing the investigation period. However the issue of period of investigation has been dealt in detail in Panel findings in US-Line Pipe Case against Korea. The Panel in this case ruled that it is up to the discretion of the investigating authority of the importing Member to decide the "length of the period of investigation" and its "breakdown":

"We note that the Agreement contains no requirements as to how long the period of investigation in a safeguards investigation should be, nor how the period should be broken down for purposes of analysis. Thus, the period of investigation and its breakdown is left to the discretion of the investigating authorities. In the case before us the period selected by the ITC was five years and six months, which is a period similar in length to the one used by the Argentine investigating authority in Argentina-Footwear Safeguard. However, we note that the Appellate Body, in the findings relied upon by Korea to argue the question of the length of the period of investigation, emphasized not the length of the period per se, but that there should be a focus on recent imports and not simply trends over the period examined. In the case of the line pipe investigation the ITC did not merely compare end points, or look at the overall trend over the period of investigation (as Argentina had done in the investigation at issue in Argentina-Footwear Safeguard). It analyzed the data regarding imports on a year-to-year basis for the 5 complete years, and also considered whether there was an increase in interim 1999 as compared with interim 1998. We are of the view that by choosing a period of investigation that extends over 5 years and six months, the ITC did not act inconsistently with Article 2.1 and Article XIX. This conclusion is based on the following considerations: first, the Agreement contains no specific rules as to the length of the period of investigation; second, the period selected by the ITC allows it to focus on the recent imports; and third, the period selected by the ITC is sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding the existence of increased imports."(paras. 7.196, 7.199 and 7.201)

53.1The Panel in the same US-Line pipe case ruled that:

"In a safeguard investigation, the period of investigation for examination of the increased imports tends to be the same as that for the examination of the serious injury to the Domestic Industry. This contrasts with the situation in an anti-dumping or countervailing duty investigation where the period for evaluating the existence of dumping or subsidization is usually shorter than the period of investigation for a finding of material injury. We are of the view that one of the reasons behind this difference is that, as found by the Appellate Body in Argentina – Footwear Safeguard, "the determination of whether the requirement of imports "in such increased quantities" is met is not a merely mathematical or technical determination." The Appellate Body noted that when it comes to a determination of increased imports "the competent authorities are required to consider the trends in imports over the period of investigation". The evaluation of trends in imports, as with the evaluation of trends in the factors relevant for determination of serious injury to the Domestic Industry, can only be carried out over a period of time. Therefore, we conclude that the considerations that the Appellate Body has expressed with respect to the period relevant to an injury determination also apply to an increased imports determination." (Para 7.209)

53.2 From the above it is clear that neither the domestic laws on Safeguard nor Agreement on Safeguard and Article XIX of GATT provide specific guidelines on the period of investigation. However, in the spirit of the references cited above, it appears that the relevant investigation period should be sufficiently long to allow conclusion to be drawn on increased import and serious injury and it should not only end in the very recent past, but the investigation period should be the recent past.

53.3 Considering that the period selected should be sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding existence of increased imports and to neutralize the effect of seasonal variation, data has been considered on year to year basis, from financial year 2010-11 to 2013-14. In the Notice of Initiation, import data up to December, 2013 had been considered on annualized basis. The import data has since been updated till March, 2014. The domestic data has been taken as per verified central excise records and data submitted by the DI, duly certified till 2013-14. Therefore, considering these facts, and source of information stated above, it is considered appropriate to adopt data for the period 2010-11 to 2013-14 for the purpose of the present investigations which is considered as the Period of Investigation (hereinafter referred to as POI) in this case.

(E) Confidentiality of information submitted:

54. Rule 7 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 and Article. 3.2 of WTO Agreement on Safeguards provides for confidentiality treatment to certain information. The rules provide that an Interested Party is not required to disclose such information on actual basis which is confidential information of the company and disclosure of which can cause serious prejudice to the business interests of such party, which is not in public domain and which the petitioner has not disclosed before public at large in the past.

54.1 The Domestic Industry has provided some information on confidential basis and sought confidentiality on the information /data submitted. The Domestic Industry provided non-confidential version of the application for safeguard measure as per the provisions of Safeguard Rules 1997 and Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 06.09.1997.

54.2 Further, the Domestic Industry has submitted reasons for seeking confidentiality at the time of filing the application, which appears to be reasonable and, therefore, has been accepted, whenever claimed.

(F) Increased Imports:

55. Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 deals with the power of the Central Government to impose Safeguard Duty and provides as follows:

> *"If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to domestic industry, then, it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article:"*

55.1 The Rules mandate increase in imports as a basic prerequisite for the application of a safeguard measure. Thus, to determine whether imports of the product under consideration have "increased in such quantities" for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the increase in imports, in absolute terms or in relation to domestic production.

55.2 Rule 2(c) of Customs Tariff ((Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provides as follows

> *"(c) 'Increased quantity' includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production*

55.3 With regard to the nature of the increase in imports, the Appellate Body in Argentina—Footwear (EC), in contrast to the Panel, held that the increase in imports must have been recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten to cause serious injury. Relevant extract therefrom is as follows:

"131. [T]he determination of whether the requirement of imports 'in such increased quantities' is met is not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year — or five years ago. Again, and it bears repeating, not just any increased quantities of imports will suffice. There must be 'such increased quantities' as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry in order to fulfill this requirement for applying a Safeguard measure. And this language in both Article 2.1 of the Agreement on Safeguards and Article XIX:1(a) of the GATT 1994, we believe, requires that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause 'serious injury'."

55.4 The Panel on US — Wheat Gluten4, interpreted the phrase "in such increased quantities" as follows:

"8.31 [A]rticle XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 [of the Agreement on Safeguards ("SA")] do not speak only of an 'increase' in imports. Rather, they contain specific requirements with respect to the quantitative and qualitative nature of the 'increase' in imports of the product concerned. Both Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 SA require that a product is being imported into the territory of the Member concerned in such increased quantities (absolute or relative to domestic production) as to cause or threaten serious injury. Thus, not just any increase in imports will suffice. Rather, we agree with the Appellate Body's finding in Argentina — Footwear Safeguard that the increase must be sufficiently recent, sudden, sharp and significant, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause serious injury."

55.5 The analysis of the increased imports of the product under consideration has been conducted in the light of the above mentioned domestic law and evaluations of international law made by WTO fora. Imports of product under consideration into India have shown sharp increase in absolute terms as well as in relative terms.

(a) Increased Import in absolute terms:

56. The imports of Not Alloyed Ingots of unwrought Aluminium during financial year 2010-11 to 2013-14 were as under:

Financial Year	Total Imports (MT)
2010-11	100312
2011-12	92184
2012-13	154449
2013-14	192766

From the table above, there appears to be an increase in imports in 2013-14 in absolute terms both from the base year and penultimate year. The imports have increased sharply from 100312 MT in 2010-11 to 192766 MT in 2013-14, which shows an increase of 92%. There was a dip in 2011-12, but the rise in 2013-14 from 2011-12 is very significant. However, even if it cannot be concluded that there is a continuous surge in imports over the entire POI, this increase is also very sharp and significant and therefore,it is held that imports of ' Not Alloyed Ingots of Unwrought Aluminium' have surged over the POI in absolute terms.

(b) Increased imports (in relation to production):

57. The imports of product under consideration in India during the POI have also increased in relation to production of the Domestic Industry when compared with the base year as well as preceding year. From the table below, it is seen that the import with respect to total production has increased from 12% in 2010-11 to 25 % in 2013-14, which is a significant increase. There was a dip in 2011-12, but the rise in 2013-14 from 2010-11 is still very significant.However, even if it cannot be concluded that there is a continuous surge in imports over the entire POI, it is noted that there has been significant increase in imports during POI.

Financial Year	Total Imports (MT)	All India Production (MT)	% of Import with respect to production
2010-11	100312	871492	12
2011-12	92184	826000	11
2012-13	154449	831405	19
2013-14	192766	785317	25

57.1. From both the tables above, it is evident that there is a surge in imports during the Period of Investigation, both in absolute terms as well as in relation to domestic production. The increase in imports during 2013-14 when compared with imports in 2012-13 is sudden, sharp, recent and significant enough to constitute "increased imports" within the meaning of Section 8B of the Customs Tariff Act' 1975.

(G) Serious Injury and Threat of Serious Injury:

58.Section 8B subsection 6(c) of Customs Tariff Act provides as follows:

"*Serious injury"means an injury causing overall impairment in the position of a Domestic Industry;*

59.Section 8B sub section 6(d) of Customs Tariff Act provides as follows:

"threat of serious injury" means a clear and imminent danger of serious injury.

60. The Paragraph 1 of Annex to Rule 8 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997 provides as follows:

"In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a domestic industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment."

61. Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguard and Annexure to Rule 8 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 requires that certain listed factors as well as other relevant factors must be evaluated to determine serious injury or threat of serious injury. However, these provisions do not specify what such an evaluation must demonstrate. Any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining".

62. In one case, for example, there may be significant decline in sales, employment and productivity which may show "serious injury" to the Domestic Industry. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate " serious injury" to the Domestic Industry.

63. Thus, in addition to a technical examination of all the listed factors and any other relevant factors, it is essential that the overall position of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

64. In Argentina — Footwear (EC), the Appellate Body discussed the relationship between the definition of "serious injury" in Article 4.1(a) and the requirement of an evaluation of "all relevant factors" in Article 4.2(a):

> *"[I]t is only when the overall position of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on a situation of that industry, that it can be determined whether there is 'a significant overall impairment' in the position of that industry. Although Article 4.2(a) technically requires that certain listed factors must be evaluated, and that all other relevant factors must be evaluated, that provision does not specify what such an evaluation must demonstrate. Obviously, any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is 'declining'. In one case, for example, there may be significant declines in sales, employment and productivity that will show 'significant overall impairment' in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate 'significant overall impairment' of the industry. Thus, in addition to a technical examination of whether the competent authorities in a particular case have evaluated all the listed factors and any other relevant factors, we believe that it is essential for a panel to take the definition of 'serious injury' in Article 4.1(a) of the Agreement on Safeguards into account in its review of any determination of 'serious injury'."*

65. The Panel on US — Wheat Gluten, in a finding upheld by the Appellate Body, elaborated on the meaning of the term "serious injury":

> *"[A] determination as to the existence of such 'significant overall impairment' can be made only on the basis of an evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.*
>
> *[W]e do not consider that a negative trend in every single factor examined is necessary in order for an industry to be in a position of significant overall impairment. Rather, it is the totality of the trends, and their interaction, which must be taken into account in a serious injury determination. Thus, such upturns in a number of factors would not necessarily preclude a determination of serious injury. It is for the investigating authorities to assess and weigh the evidence before them, and to give an adequate, reasoned and reasonable explanation of how the facts support the determination made."*

66. Accordingly, in analyzing serious injury or threat of serious injury all factors, which are mentioned in the rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have been considered. No single factor has been considered as dispositive. All relevant factors within the context of the relevant business cycle and conditions which are relevant to the affected industry have been considered. All submissions made by the interested parties, domestic industry, supporting domestic producers and opposing interested parties, have been considered. The determination of serious injury or threat of serious injury is based on evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

67. Now whether the increased imports of Not Alloyed Ingots of Unwrought Aluminium' have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic producer of Not Alloyed Ingots of Unwrought Aluminium',is analysed below, on the basis of various listed as well as other relevant factors which are objective and quantifiable:

(i) **Market Share in domestic demand**: From the table below, it is seen that during the POI, market share of domestic industry has decreased in 2013-14, after rising continuously from 2010-11 to 2012-13. The DI had a market share of 56% in 2010-11 which was on a rise and had risen to 60% during 2012-13, but has declined to 52% in 2013-14, even less than the base year. Whereas the market share of imports has risen from 14% in 2010-11 to 29% in 2013-14, after slight dip in 2011-12.

Financial Year	**Total Import (MT)**	**Sales of DI (MT)**	**Total Demand (MT)**	**Market Share (%)**	
				DI	Import
2010-11	100312	416993	740674	56	14
2011-12	92184	408225	703937	58	13

2012- 13	154449	461509	765688	60	20
2013-14	192766	342800	657698	52	29

Some of the interested parties have argued that the DI has preferred to export the PUC in large quantities in 2013-14 and therefore, their share in the local market has come down. The DI in this regard has stated that they have not preferred to export the PUC but out of compulsion they have exported, since they were not able to sell the PUC in the domestic market due to influx of cheaper imports.Irrespective of the submissions made above, the fact remains that the share of the DI in the domestic market has come down.

(ii) Production: From the table below it is seen that the production of the domestic industry has increased very marginally by 2% from 552864 MT in 2010-11 to 565272 MT in 2013-14. After marginally declining in 2011-12 as compared to 2010-11, production of DI has increased till 2013-14, but not significantly.

Year	**Production of '**Not Alloyed Ingots of Unwrought Aluminium'**(MT)**
2010-11	552864
2011-12	527571
2012-13	538657
2013-14	565272

It has been stated by some of the interested parties that the DI has over the years given preference to maximize production of their downstream goods such as wire rods, rolled products, foils, alloy ingots etc. and the left over alumina is used to manufacture PUC. It has been further stated that it is not the increased imports which is responsible for injury but DI's own choice to reduce the manufacture of PUC. However, no cogent material has been placed on record to substantiate this argument. It may be understood that the DI has capacity to manufacture ingots and other downstream products like wire rods, foils, etc. The DI does not have dedicated capacity to manufacture ingots. In any case, there appears no need to verify facts in this regard. It is seen that the production of the PUC is on the increase in the hands of the DI.

(iii) **Capacity Utilisation**: From the table below, it appears that though very marginal increase in Installed capacity has been noticed throughout the POI, i.e., from 1263500 MT in 2010-11 to 1280263 MT in 2013-14 by about 1%, capacity utilizationhas remained at the same level, i.e.44% in 2013-14 as compared to base year 2010-11 but has increased by 2% when compared to the previous year i.e. 2012-13.

Year	**Installed Capacity (MT)**	**Capacity utilized(%) (Ingots only)**
2010-11	1263500	44
2011-12	1269500	42
2012-13	1269900	42
2013-14	1280263	44

Further, even the plant utilization has shown persistent increase during the period of investigation. During 2013-14, the plant utilization has been 109%.

(iv) **Changes in the level of Sales** :- As seen in the table below, the sales of the domestic industry increased from 416993 MT in 2010-11 to 461509 MT in 2012-13, but declined significantly thereafter by about 26% to 342800 MT in 2013-14, which is even below the base year level.

Financial Year	Sales of DI (MT)
2010-11	416993
2011-12	408225
2012- 13	461509
2013-14	342800

It has been submitted by some of the interested parties that sale volumes of the PUC in the domestic market have come down since the DI has exported huge quantities of the PUC. The submission is factually correct, since it seen that the DI has exported three times in 2013-14 in comparison to the quantity they exported in 2012-13.

(v) Employment: There is a declining trend in employment throughout the POI whereby the employee's strength has reduced from 17109 in 2010-11 to 15944 in 2013-14.

Financial Year	Employment at the end of the year (Nos)
2010-11	17109
2011-12	16854
2012- 13	16053
2013-14	15944

(vi) **Productivity**: As seen from the table below the productivity per day of the DI has increased in 2013-14 to 102 indexed point as compared to 100 in the base year 2010-11, which is marginal as compared to the base year, but shows a rising trend from 2011-12 till 2013-14.

Year	Productivity per day (Production /350) MT per day (indexed)
2010-11	100
2011-12	95
2012-13	97
2013-14	102

(vii) Profit & Loss: As seen from the table below the profitability of the domestic industry during the POI, has been as under:

Financial Year	Profitability (Rs. /Lacs) (Indexed)
2010-11	100
2011-12	38
2012-13	(30)
2013-14	37

Regarding profits/loss, I find that at the time of issuance of the Notice of Initiation, the data was taken till Dec,13, where the DI was in losses. However, when the data was updated during Post-hearing analysis, the profitability of the DI perceptively improved and it showed a remarkable recovery by leaping back into profits in 2013-14 after being in loss in 2012-13 and even till Q 3 of 2013-14. Though the profitability is far below the base year of 2010-11, but appears to show improved condition of the DI in this factor in the most recent period.The DI has later, vide their letter dated 24-09-2014 (containing confidential data) attempted to clarify that huge chunk of profits have accrued due to readjustment of the cost of interest of one of the constituents of the DI and not due to trading activity. This may be correct but I find that despite adjustment of cost of interest, the DI is running into significant profits as seen from the table below, though the profits have come down in comparison to the base year but these have increased when compared with the preceding year.

Domestic Industry	**Unit**	**2010-11 (Indexed)**	**2011-12 (Indexed)**	**2012-13 (Indexed)**	**2013-14 (Indexed)**
Profits, if interest not charged in both years (2012-13 & 2013-14)	**(Rs./Lacs)**	100	54	28	41
Profits, if interest is charged in both years (2012-13 & 2013-14)	**(Rs./Lacs)**	100	54	-25	13

Other important factors:

68**. Exports:** As seen from the table below, the exports of the DI have risen very significantly in 2013-14 from the preceding year and the base year, i.e. 2010-11, after showing a declining trend till 2012-13 from the base year, i.e. 2010-11.

Financial Year	**Exports of DI (MT)**
2010-11	133658
2011-12	118354
2012- 13	74606
2013-14	221018

69**. Inventory:** As seen from the table below, the inventory has decreased from 149 MT in 2010-11 to 65 MT in 2013-14, which is in fact a very insignificant quantity when compared to the sale and production figures of the DI.

Financial Year	**Inventory DI (MT)**
2010-11	149
2011-12	37
2012- 13	41
2013-14	65

70**. Price Undercutting and Price suppression/ depression**:

The DI has submitted the cost data duly certified by the independent cost accountant. It is seen that the selling price of DI is more than the landed value of the imported product in 2013-14. The DI in its submission has asserted that landed value of imports is lower than the cost of sales of the domestic industry but the information provided by them does not support their claim as the cost of sales is less than the landed value and selling price of the DI. It is noticed that the price undercutting between the selling price of the DI and the landed value of the imported product is quite insignificant and negligible, as evident from the table below, and there does not seem to be any threat of serious injury to the DI on this count.

Particulars (Indexed with respect to cost of sales of DI)	**2010-11 (Indexed)**	**2011-12 (Indexed)**	**2012-13 (Indexed)**	**2013-14 (Indexed)**
Cost of Sales(Rs./MT)	100	117	124	125
Landed Value (Rs./MT)	110	120	125	127
Selling price (Rs./MT)	110	119	125	129
Price Undercutting (RS./MT)	**0**	**-1**	**0**	**2**

Other changes causing serious injury or threat thereof:

71. **Changes in the patterns of consumption**: It is claimed by the Domestic Industry that there is no change in the pattern of consumption with regard to the product under consideration. None of the interested parties have contended change in the patterns of consumption and therefore the record does not show that patterns of consumption has undergone any material change as far as the Indian market is concerned. Since none of the Interested Parties has brought out any evidence to dispute this claim of the Domestic Industry, and is, as such, accepted.

72. **Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers:**

There is no evidence on record that trade restrictive practices or competition between the foreign and domestic producers could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

73. **Developments in technology:**

The applicant has claimed that the technology for production of the product has not undergone any change. This has not been refuted by any Interested Party. Developments in technology are therefore, not a factor of injury, in this case.

74. It is thus noted that possible other factors have not caused injury to the Domestic Industry. There are no other factors that may be attributing to the serious injury to the Domestic Industry other than surge in the low priced imports.

Conclusion Regarding Serious Injury or threat thereto:

75. As mentioned above, 'serious injury' as well as 'threat to serious injury' are defined expressions in the domestic law. Serious injury as defined in law means significant overall impairment in the position of the industry caused by increased imports. What is 'significant overall impairment' has not been defined in law. The expression 'overall impairment' is further qualified by the word 'significant' which points out toward a certain level of gravity of impairment. It is left to the judicious discretion of the DG to make the evaluation of overall position of the domestic industry and come to the conclusion in this regard.

75.1 In my view, there is no straight formula which can lead to rationale conclusion as to what is 'significant overall impairment'. Every case has to be analysed on the basis of various listed as well as other relevant factors. The overall position of the DI is reflected in the analysis of listed as well as other important relevant factors as discussed above.

75.2 From the analysis above, I find that the production of the PUC,capacity utilization, productivity, profits and exports have increased during the POI. Even the sales (taken together in the domestic market as well as by way of export) have increased in 2013-14 when compared with 2012-13. These factors are not supporting the case of the DI. However, factors like decrease in their share in the domestic market, domestic sale, reduction in employment support their case. I also find that their share in the domestic market has come down due to substantial increase in exports though it is contended by the DI that the exports have increased since the domestic customers did not buy their PUC due cheaper import of PUC. Further, the quantum of inventory of 65 MTs is totally insignificant when compared to total production and total sale of the PUC even though there is marginal increase.

75.3 However, I find that it is not the case that the DI was not able to sell the PUC in the domestic market in profits. The landed price of the PUC has been lower than the selling price of the PUC in the domestic market suggesting that there is no price under-cutting/suppression.The profitability of the Domestic Industry has shown an extraordinary healthy trend in 2013-14 vis a vis the base year. This improvement is all the more significant as it has improved to the level of 2011-12 from a state of loss for a major part of the year 2013-14, i.e. till Q3, which has been achieved in a very small period of 3 months, i.e., Q 4 of 2013-14 only. This is besides increased imports and decline in domestic sales.

75.4 There is reduction in employee's strength during the period of investigation but the reduction is not significant. However, productivity has improved, mainly due to rise in production.

76. Various economic parameters of DI during 2013-14, the last year of period of investigation, have shown marked improvement as compared to the immediately preceding year i.e. 2012-13. Moreover in parameters like production, after a dip in 2011-12, there is a continuous increase, which is also co-terminus to the rise in imports. Even though domestic sales have declined in the most recent period of 2013-14, imports have risen and the DI has recovered remarkably in the profits. This is even more important because this performance has been shown by the DI in the event of rising imports. Even though the DI seems to have suffered injury till 2012-13 due to surge in imports, the same cannot be said to be true for 2013-14 in this case. This leads to the conclusion that there appears to be no threat of any serious injury to the DI due to surge in imports in 2013-14, since the DI has made good profits in 2013-14 and the same trend is likely to be continue in the post-POI also.

77. Thus, in my view, the analysis does not suggest significant overall impairment and therefore, the DI has not suffered serious injury or threat thereto. The analysis also does not suggest any threat of such injury.

(H) Unforeseen developments:

78. It is noted that there is no express obligation/requirement on the Director General (Safeguards) to analyse unforeseen circumstances as there is no specific requirement either in Indian Rules, on the methodology that should be followed for analyzing unforeseen developments, or the WTO Agreement on Safeguards, which also does not make any prescription with regard to the methodology that should be followed or the parameters that must be met in deciding unforeseen developments. The Agreement on Safeguards read with Article XIX of GATT, however, obligates the national authorities to examine the "unforeseen developments" which led to the serious injury to the Domestic Industry. This Directorate has consistently been examining the issue of "unforeseen developments" in its investigations. It is, therefore, considered important to examine the unforeseen developments or circumstances which have led to increased imports. In this regard, I find that Article XIX of GATT,94 provides that serious injury has to be as a result of unforeseen developments.

Article XIX of GATT 1994 states as follows:

1.(a)If, as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement, including tariff concessions, any product is being imported into the territory of that contracting party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers in that territory of like or directly competitive products, the contracting party shall be free, in respect of such product, and to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession.

79. The Appellate Body in Argentina — Footwear (EC) case held that the phrase "Unforeseen Developments" means the developments which were unexpected. 'Unforeseen developments' requires that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been 'unexpected'. The Appellate Body in Korea-Dairy case held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation.

80. The applicant has given a number of reasons for surge in imports, which in their understanding constitute the unforeseen circumstances in this case, which are summarized below:

80.1 Middle East region was initially net importing area for Aluminium where as it is now a net exporting area as can be seen from the table below:

Countries	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Middle East Imports	1,43,022	1,81,701	15,731	3,898

80.2 Significant demand supply gap (as demonstrated in the table below) in Middle Eastern Countries as China's dependence on imports have declined (which was a target market for Middle Eastern countries. The foreign producers in the Middle East are holding significant unutilized capacities. Resultantly, they are looking for additional markets to the extent possible.

(Demand Supply gap in Middle East) in '000 MT							
Year	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Apparent Consumption	2021	2137	2256	2429	2606	2814	2963
Production	4031	4375	5119	5518	5695	6035	6346
GAP	2010	2238	2863	3089	3089	3221	3383

Source: Data by CRU

80.3 Excess capacity established by the Chinese and Middle Eastern producers has led to a situation of global demand supply gap;

80.4 Foreign producers have the advantage of cheap energy cost is one of the major reasons for the surplus production of product under consideration in Middle Eastern Countries. Further, India is a freight friendly market for Middle East countries and therefore it is convenient and economically more viable for them to export aluminium to India.

81. It has been contended by the opposing Interested Parties that :

i. Surplus Capacity in the Middle Eastern Countries: Demand supply gap in "Middle East", from the year 2012 – 2018, does not cover the entire period of investigation
ii. The data provides a speculative forecast and does not demonstrate that the increase in imports into India is attributable to the alleged surplus capacity in the Middle East.
iii. Events occurring after the surge in imports cannot be said to have led to the imports in the first place. The analysis needs to be presented for the period of investigation and its preceding period in order to examine whether or not it has had any impact on unforeseeable developments at all.
iv. The energy costs of foreign producers have always been substantially lower due to the generous natural gas deposits in the middle-east, which is a widely known fact. Therefore, by no means can this development be considered "unforeseen" or "unexpected
v. The geographical location of India has remained constant and there is no unforeseen development in this behalf which has suddenly let to a surge in imports
vi. Whenever LME goes up, Primary Producers increase the price promptly but when LME prices come down, they do not show such promptness giving room for imports.

82. On examination of the factors cited by the DI as unforeseen circumstances, I find that the data provided by the DI with respect to the factors like rising export from Middle East and demand-supply gap appears to prove that Middle East countries have excess capacity for the PUC. It is also seen from the trend in imports coming from the Middle East countries like Oman, UAE etc. that their share has risen tremendously in 2013-14 than the base year. Therefore, this reason cited by the DI appears to substantiate their claim of shift of imports from Middle East to India as the unforeseen reason for increased imports during the POI.

82.1 The expansions in capacity in the Middle East per se cannot be considered as unforeseen since expansion in capacity is not an overnight process. It takes considerable time to expand capacities to such levels. Further such expansions are not as a consequence arising out of India's obligations under the GATT and therefore, expansions in capacity in the Middle East, cannot be taken as unforeseen development.

82.2 Regarding other claim of cheap energy cost and freight cost in export to India, there is nothing unforeseen about it. It is common knowledge that due to their oil/gas reserves,Middle East countries have cost advantage in production of energy and due to their proximity to India they have freight cost advantage.

82.3 Regarding increase in imports from China, the DI has not submitted any data and therefore, this contention is not acceptable.

(I) Public Interest:

83. The domestic law does not contain any specific provision with regard to levy of safeguard duty. However**,** Article 3 of the Agreement on Safeguards states as follows:

> "*A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all Interested Parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other Interested Parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law."*

84. In their written submissions regarding the question of public interest, the domestic industry have stated that the impact of the proposed safeguard duty on each of the consumer industry shall be negligibleas shown in the table below:

Impact Analysis

				Impact		Price	Impact %	
	Factor	Price	Cost	10% Duty	20% Duty		10% Duty	20% Duty
Conductor*	14.60	135	1971	197	394	315176	0.06%	0.13%
Cable**	0.19	135	26	3	5	250	1.03%	2.05%
Autobobile	18	135	2430	243	486	25000	0.97%	1.94%
Construction				90	180	10000000	0.001%	0.002%
Foil	0.66	135	89	9	18	653	1.36%	2.73%

* Conductor is consumed for Grid in which this account for 20% cost. Further, even this 20% is also capitalized and depreciated over a period of 20 years with other assets, hence impact is determined accordingly

** Cable is produced from wire rod. Wire rod accounts for 30% of cable cost, hence impact is determined accordin

85. The DI has submitted that considering almost negligible impact on the eventual end product and considering that survival of the domestic industry is must, the imposition of safeguard duty shall be in public interest.

86. On the other hand, it has been contended by other Interested Parties that the major consumers of the PUC are power distribution industries, automobile industry, extrusion industry and construction industry; going through a very bad phase and performing very poorly. Aluminium ingot is a basic raw material which is used down the line by a number of industries which are small and medium scale industries giving employment to a large number of people. These industries also compete with imported products in the liberalized open economy. Any imposition of safeguard duty on PUC will increase its cost, forcing the downstream industries to close down. These factors shall not be in the consumer/public interest.

87. It is also noticed that an evaluation of all the listed parameters shows that even though there has been an increase in imports, it has coincided with rise in production, same level of capacity utilization, almost nil inventory, rising exports and vastly improved profitability (in 2013-14 from Q1-Q3 to Q4). Though the demand has declined and so has domestic sales, the DI has managed to show significant improvement in exports. This also gets supported by the fact that the DI has gained on account of sale as per LME in international markets. Moreover, the sharp and significant improvement in the profitability shows that the DI has become competitive and has assumed a position of significance in the export market. Therefore, seeking protection when the DI has shown signs of improvement, does not go in tandem with the spirit of safeguards when the DI have themselves submitted that increased production and capacity utilization are not the injury factors in their case.

88. In view thereof, considering the points put forth by the DI as well as all the Interested Parties and examination of the serious injury and threat of serious injury, it is concluded that the imposition of safeguard duty on 'Not Alloyed Ingots of Unwrought Aluminium' may not be justified at this stage when there is no serious injury caused to the DI and therefore, it may not be fully in the Public Interest at large.

(J) Causal Link between Surge in Imports and Serious Injury & Threat of Serious Injury caused:

89. Para 2 to Annexure to Rule 8 provides for causal link between increased imports and serious injury or threat thereto. It has to be demonstrated that serious injury has been caused due to increase in imports.

90. The Panel on Korea-Dairy set forth the basic approach for determining "causation":

> "*In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and determine whether developments in the industry, considered by the national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the Domestic Industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports.*
>
> *To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its Domestic Industry results from increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the Domestic Industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the Domestic Industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors.*"[1]

91. For the purpose of determining causation, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of the industry, have been evaluated. In the instant case, the following are relevant in this regard–

92. It has been submitted by the DI that there is a direct causal link between the increased imports and the serious injury to the domestic industry.

(a) The product is largely sold in comparison/competition with imports. The landed price of imports is significantly lower than the selling prices of the domestic industry.

(b) The domestic industry is losing sales opportunities. Consequently, sales volumes, market share, return on investment of the domestic industry declined due to presence of low priced increased imports. However, there is almost negligible inventory, rising production, rising exports and productivity in the most recent period when there is also increased imports.

(c) The imports of the PUC have increased significantly in absolute terms and in relation to production and consumption in India. Increased imports have led to increase in market share of imports. Consequently, market share of the domestic industry declined.

(d) The overall demand for the PUC over the injury period has declined in the most recent period and increased imports appears to have caused some injury to the domestic industry.

93. The examination of the above factors shows that though there is increase in imports yet there is no serious injury or threat thereto, as determined above. Therefore, there appears no necessity to determine causal link between the two.

(K) Adjustment Plan:

94. Rule 5(2) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 requires submission of a statement on "efforts being taken or planned to be taken or both to make positive adjustment to import competition". The WTO Agreement on Safeguard provides that a member shall apply safeguard measure only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and facilitate adjustment.

95. The purpose of definitive safeguard measure is to provide the domestic producers with a limited period of time in which to restructure so as to more effectively compete with the imports. Section 8B (4) of Customs Tariff Act, 1975 and Rule 16(2) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 prohibits any possible extension of measure if there is no evidence that the domestic producers are adjusting.

96. Domestic Industry in this case has laid down the following Adjustment Plan:

i. Reduction in average energy consumption:

Power is major input cost in production of Aluminum. Power is around 35-40% of the cost of producing Aluminium. The Domestic Industry has chartered a roadmap and identified a set of projects to reduce the costs.

ii. Raw Material Cost Reduction:

a. Steps have been taken by the domestic industry to reduce the cost of alumina. These include installing alumina plant. The location with good access to soft bauxite (low temp digestion) and use of double digestion process, both help in reducing alumina cost.

b. Steps will be taken to reduce consumption of alumina and aluminium fluoride like automisation of alumina handling and process optimisation, modernisation of FTP etc.

c. Manufacturing Cost: Keeping manufacturing cost into control through system strengthening by adopting various initiatives like Asset optimization, 6 Sigma initiative and proper value addition of generated scraps into system.

iii. Reduction in melt loss:
Domestic industries are investing on technology and practices to cut down the Melt loss are planned in coming years.

iv. Reduction in Manpower Cost :

Lot of focus is given on reducing the manpower cost by restructuring the manpower allocation, increasing the productivity and reducing non-value adding activities.

v. Administrative and Selling Costs:

Due to various cost cutting measures, domestic industry proposes to further reduce the Administrative and selling costs in the next two years.

97. The domestic producers in this case have laid down adjustment plan which mainly focuses on cost reduction. Domestic Industry has submitted an adjustment plan detailing the efforts planned to be taken to make a positive adjustment to import competition. The plan focuses on reduction in energy consumption, raw material cost reduction, reduction in manpower cost and melting loss. However, a close scrutiny of the details given in the adjustment plan reveals that the plan does not adduce/evince any evidence with regard to the adjustment measures implemented/already in place to give a concrete view of the intentions of the DI with regard to becoming competitive due to the adjustment plan.

VIII. Conclusion and recommendation:

98. On examination of relevant factors I find that:

i. There has been a significant increase in imports in absolute terms as well as in relation to demand and production, in the year 2013-14 as compared to the base year and immediately preceding year 2012-13. However, the imports have fallen in 2011-12 vis-à-vis the base year 2010-11. The trend however shows increase in imports since 2011-12.

ii. On analysis of the updated data, it is observed that the position of the domestic industry has improved in respect of factors of production, sale (including sale in exports) profitability (in last quarter of 2013-14) and capacity utilization. There is no serious injury or threat thereto, since in my view there is no significant overall impairment.

iii. The domestic industry has been able to demonstrate that the developments in the market for the Product under consideration were unforeseen so far as increased imports from Middle East countries are concerned.

iv. The DI has been able to demonstrate that the imposition of the safeguard duty on the PUC is minimal and therefore, it is in Public Interest. However, when the DI has improved its profitability even in the wake of rising imports and declining sales with almost nil inventory, even the minimal impact on public at large would not be fully in public interest as then it would show providing protection to a viable, robust and good performing industry, which may not get along with the idea of safeguard duty protection.

v. The prime objective of the Designated Authority under the law is to assess significant overall impairment of the industry. The competent authority cannot be governed by the sheer number of parameters favouring the DI. Even if one parameter is against the DI but the same parameter is so crucial that it compensates substantially to the DI and improves the overall picture of the domestic industry then the safeguard measure cannot be imposed. In this case, profitability of DI has significantly improved in recent period, so as to compensate any adversity/injury to them due to other safeguard parameters. Even if the submission of the DI regarding factoring in of cost of interest of one of the constituent unit of the DI is considered, still the DI is running into profits. In such situation, I am of the view that there may be impairment in the position of the DI but the same is neither significant nor overall. Further, the position of the DI in respect of production, utilization, total sale, inventory etc. has also improved.

99. In view of above, safeguard duty on the imports of 'Not Alloyed Ingots of Unwrought Aluminium' is not recommended and investigation in this regard is terminated.

[F. No. D-22011/1/2014]

R.K. SINGLA, Director General

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.